Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का तृतीय दिवस [संख्या २

बुधवार, १८ फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ३५:

श्री अध्यक्ष: श्री मानिकचन्द कोठारी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६

श्री पी. के. चौधरी ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३७

श्री मानिकचन्द कोठारी ।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

जयपुर भरतपुर सड़क की मरम्मत का कार्य

३८. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जयपुर-भरतपुर सड़क भरतपुर से लगभग २५ मील तक बरसात में बहुत खराब हो गई थी ?

(२) क्या यह भी सही है कि पिछली बरसात में भी इस सड़क की प्राय: यही दुर्दशा होती रही है ?

(३) क्या वर्षा के अनन्तर इस सड़क की प्रति वर्ष मरम्मत की जाती है ?

(४) क्या सरकार इस सड़क के प्रति-वर्ष वर्षा से प्रभावित होने वाले भाग को आवश्यकतानुसार ऊंचा कराके तथा उसमें कुछ स्थानों पर पुल निकाल कर ऐसी व्यवस्था करने का विचार करती है जिससे इस सड़क के दुरुस्त रखने का स्थाई हल निकल सके ?

(५) यदि हां, तो उस पर कब तक अमल होगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं । १, २ मील में मामूली खराबी हुई थी ।

(३) जी हां ।

(४) जी हां, मामला विशेषज्ञों के विचाराधीन है ।

(५) निकट भविष्य में ही ।

Page No.2

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपने दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि पिछले दिनों में एक दो मील में मामूली खराबी हुई थी। मैं यह सूचना देता हूँ कि लगातार खराब होती रही है। १७, १८ मील का टुकड़ा है उसमें वेव्ज पड़ गई हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : पिछले वर्षों में इतनी खराबी नहीं हुई है। इस साल ज्यादा खराबी हुई है। लेबोरेटरी देहली में मामला रेफर किया गया है। करीब ३ लाख का खर्चा होगा, जिस जिस तरह फंड्स उपलब्ध होंगे इसको ठीक किया जायगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या पूरे हिस्से में स्वेलिंग नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : है जरूर, पर थोड़ी है, जो कि इतने वाटर और मिट्टी के लिये काफी नहीं है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसे ठीक कराने का इरादा सरकार रखती है कि नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने अर्ज किया कि व्यवस्था करने का सरकार विचार कर रही है।

श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना सु०): व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : कितना रुपया इस सड़क की मरम्मत में लगा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री गोवर्धनसिंह केन : इस सड़क की व्यवस्था कब तक हो जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने उत्तर दिया न, कि निकट भविष्य में।

श्री गोवर्धनसिंह केन : निकट भविष्य में कब तक, एक महीने में, दो महीने में या कब तक ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तीन लाख रुपये का मामला है, एस्टीमेट्स बन गये हैं और तीन लाख एक साथ निकलना मुश्किल है, इसलिये जितना इस साल कर सकते हैं इस साल किया जायगा और जितना अगले साल के बजट में हो सकेगा वह अगले साल किया जायगा।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): Since this road is a national Highway, will the Government approach the Centre for the construction of this High Way ?

श्री नाथूराम मिर्धा : No, it is not.

प्रश्न संख्या ३६

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४०

श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४१

श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री जुगकिशोर चतुर्वेदी।

नगर डिस्पेन्सरी बैड्स की व्यवस्था।

४२. **श्री जुगलकिशोरचतुर्वेदी** [डीग]: क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भरतपुर जिले के नगर कस्बे की डिस्पेन्सरी में कितने बैड्स रखने का प्रावधान है तथा इस समय वहां कितने बैड्स की व्यवस्था है ?

(२) यह व्यवस्था कितने समय से चली आ रही है ?

(३) सरकार निर्धारित संख्या में बैड्स कब तक मुहैया (उपलब्ध) कर सकेगी ?

उपमन्त्री स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) : (१) भरतपुर ज़िले के नगर कस्बे की डिस्पेन्सरी में ५ बैड्स रखने का प्रावधान है तथा इस समय वहां पर ५ बैड्स की ही व्यवस्था है।

(२) यह व्यवस्था डिस्पेन्सरी के खुलने के समय से ही चली आ रही है।

(३) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि वहां पर दो बैड्स की ही व्यवस्था है, पांच की नहीं। अगर आप चाहें तो इसकी जांच करा सकते हैं।

श्री भीखाभाई : प्रावधान ५ बैड्स का है। मरीज़ ज्यादा नहीं आये होंगे, इसलिये दो ही बैड्स काम में आ रहे होंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपने कहा कि प्रावधान ५ बैड्स का है। मगर मैं आपको सूचना देता हूँ कि वहां पर केवल दो ही बैड्स हैं।

श्री मुरलीधर व्यास [बीकानेर सिटी] : क्या मरीज आते हैं तभी बैड्स बढ़ाये जाते हैं या ५ बैड्स वहां रखे जाते हैं ?

श्री भीखाभाई : ५ बैड्स वहां रखे जाते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : तो फिर दो ही वहां कैसे रहते हैं ?

श्री भीखाभाई : मरीज़ नहीं आये होंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या यह सही है कि वहां पर मरीजों को, बैड्स नहीं होने के कारण वापिस लौटना पड़ता है।

श्री भीखाभाई : ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४३

श्री अर्जनदास।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

उनियारा (डिस्ट्रिक्ट टोंक) में गलवे बांध का निर्माण।

४४. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) उनियारा, डिस्ट्रिक्ट टोंक में गलवा बांध कितना बन चुका है और कब तक कम्पलीट बन कर नहरें जारी हो जावेंगी ?

Page No.4

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

[२] क्या यह सही है कि उपरोक्त बांध की नहरें तैयार हो चुकी हैं ? अगर हां, तो कितनी कितनी ?

(३) क्या यह सही है कि नहरें तैयार होकर उनका डेमेज़ भी हुआ है ? अगर हां, तो कितनी लागत का ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री भीखाभाई) :

(१) गलबा बांध व नहरों के निर्माण का कार्य लगभग ५० प्रतिशत हो गया है और आशा है कि यह कार्य १९६० में, वर्षा से पहले सम्पूर्ण हो जावेगा तथा रबी १९६० में नहरें चालू करादी जावेंगी।

(२) उपरोक्त बांध की मेन केनाल व ब्रांच केनाल पर अभी काम बाकी है और डिस्ट्रीब्यूट्री का काम करीब करीब पूरा हो गया है जिस का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :

		कुल लम्बाई (मीलों में)	लम्बाई नहर जो अबतक बन चुकी है (मीलों में)
१. मेन केनाल		२०.८	८७
२. ब्रांच केनाल		१०.९	४.५
३. डिस्ट्रीब्यूट्री	न० १	.५	सम्पूर्ण
४. ,,	न० २	३.५	,,
५. ,,	न० ३	३.९	,,
६. ,,	न० ५	५.१	करीब-करीब सम्पूर्ण
७. ,,	न० ६	१.५	,,
८. ,,	न० ७	१.४	मिट्टी का कार्य समाप्त

(३) अतिवृष्टि के कारण नहरों की कुछ क्षति हुई है, जिसकी लागत का अन्दाजा १८,७०० रुपया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह जो क्षति हुई है उसकी जिम्मेवारी सरकार पर है या ठेकेदार पर ?

श्री भीखाभाई : यह तो वर्षा पर है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सरकार बना रही है।

श्री भीखाभाई : यह दैवी प्रकोप का असर था। इसलिये यही कहा जा सकता है कि अकस्मात कारणों के कारण हुई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं यह दर्याफ्त करना चाहता हूं कि केनाल का जो डेमेज हुआ है, केनाल तैयार होकर सरकार ने संभाली और उसके बाद यह नुकसान हुआ है इसलिये, इसकी जिम्मेवारी सरकार पर है या ठेकेदार पर है ?

श्री भीखाभाई : ऐसा नहीं है। बलून नाला में जब पानी ज्यादा आया, बेक वाटर जिसके कारण से नहर गिर गई और उससे डेमेज़ हुआ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डेमेज का मुआयना किसने किया ? वहां एस. डी. ओ. रहता है उसने फर्जी लिख दिया या वाकई में कोई डेमेज़ हुआ ?

श्री भीखाभाई : जहां तक डेमेज़ का प्रश्न है, उत्तर दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ४५

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

भरतपुर जिले के नहर का पानी नहीं मिलने वाले इलाकों में ट्यूब वेल्स का लगाया जाना।

४६. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भरतपुर जिले की किन-किन तहसीलों में कौन-कौन से ऐसे इलाके हैं, जहां किसी नहर का पानी नहीं पहुँच सकता ?

(२) उक्त इलाकों में सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

(३) क्या सरकार ऐसे कुछ इलाकों में ट्यूब वेल लगाने का इरादा रखती है ?

(४) यदि हां, तो कहां-कहां और कब तक ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) केवल कामा, राजाखेड़ा व धौलपुर तहसील में सिंचाई व्यवस्था कम है और नहरों का पानी अधिक मात्रा में नहीं पहुँचता है।

(२) कामां में जमुना नदी से नहर लाने पर विचार जारी है धौलपुर के लिए कोई व्यवस्था करना संभव प्रतीत नहीं होता। राजाखेड़ा के लिये उत्तर प्रदेश से पानी लाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(३) नहीं, ट्यूब वेल कार्य का संबंध सिंचाई विभाग से नहीं है।

(४) प्रश्न नहीं उठता ।

एक माननीय सदस्य : धौलपुर के लिये ट्यूब वेल्स करवा दें।

श्री भीखाभाई : वह तो कृषि विभाग से सम्बन्धित है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : ऐसी कई तहसीलें हैं, जिनमें कोई नहर नहीं पहुँच सकती, वहां पर पानी कैसे ले जावेंगे ?

श्री भीखाभाई : जहां तक तहसील का प्रश्न है वहां पर कुंए जरूर हैं। उसका सम्बन्ध सिंचाई विभाग से नहीं है । अगर माननीय सदस्य को मालूम हो तो बतावें, उसकी सर्वे करावें।

एक माननीय सदस्य : पार्वती नहर उधर यू० पी० को बहती है, उससे १६, १७ गांवों को पानी मिल सकता है।

श्री भीखाभाई : जहां तक यू० पी० सरकार का प्रश्न है, उनसे बातचीत हो रही है।

एक माननीय सदस्य : कहां तक बात हो चुकी है ?

श्री अध्यक्ष : बात चीत हो रही है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : कहां तक उसका उत्तर आया है ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : नबाई, आधा नगर, आधा डीग वहां कहीं से भी पानी पहुँचाने की जरूरत नहीं है। वहां सर्वे करावें।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान में भरतपुर की बात कर रहे हैं।

श्री भीखाभाई : कुंए खोदे जा सकते हैं और उसके लिए ट्यूब वेल्स से सिंचाई हो सकती है।

एक माननीय सदस्य : क्या पार्वती बांध के बाद की भी कोई दूसरी योजना है ?

श्री भीखाभाई : यह अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४७

श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

सहकारी समिति, डीडवाना के हिसाब में ४० हजार रुपयों की कमी

४८. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : Will the Co-operative Minister be pleased to state :

(a) Is the Government aware that a sum of Rs. 40,000/- is short in Co-operative Societies' account at Didwana ? If so, who is responsible for it ?

(b) Is the Government also aware that Mr. Sud, Ex-Registrar, Co-operative Societies of Rajasthan took up the enquiry but his attempt was thwarted ?

(c) Is the Government aware that when a serious enquiry against Shri R. P. Bhargava was pending in this connection he has been appointed as Block Development Officer and is now posted at Makrana ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (ए) नहीं।

(बी) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सी) श्री आर० पी० भार्गव नाम का कोई सहकारी विभाग का कर्मचारी बी० डी० ओ० नहीं बना है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या डीडवाना के को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ के एकॉउन्ट में कभी ४० हज़ार का डिफॉल्ट था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने उत्तर दिया, 'नहीं'।

डॉ० चन्द्रकला : कभी था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने उत्तर दिया 'नहीं'।

डॉ० चन्द्रकला : क्या आर० पी० भार्गव के खिलाफ एक्स रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ श्री सूद ने कभी इन्क्वायरी के लिये कहा था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कतई नहीं।

श्री अध्यक्ष : दूसरा भार्गव था।

नेक्स्ट।

उनियारा म्युनिसिपैलिटी द्वारा सरकार से लोन की मांग

४९. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि म्युनिसिपैलिटी

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

उनियारा द्वारा कस्बे में सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है ? अगर हां, तो कब से ?

(ख) क्या यह सही है कि म्युनिसिपैलिटी उनियारा ने सरकार के पास लोन की प्रार्थना की थी ? यदि हां, तो क्या वह लोन सरकार ने दे दिया है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) नगरपालिका की मांग सरकार के विचाराधीन है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या सड़क का काम नहीं लगा रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : निर्माण कार्य नहीं हो रहा है ऐसी इत्तला मिली है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो रहा है। आप कहते हैं कि नहीं हो रहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब आपके पास सूचना है तो बहुत अच्छा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उसको इन्स्टॉलमेंट मिल चुका है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह पी. डब्ल्यु. डी. से है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या निर्माण कार्य मिनिस्टर साहब के आदेश से रोक दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या अन्य मिनिस्टर के आदेश से रोका गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या आप अब इसकी जानकारी करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जहां तक मेरी जानकारी है किसी ने रोकने का ऑर्डर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

तहसील केकड़ी के ग्राम लसाड़िया के पास बांध का बंधवाया जाना

५०. **श्री हजारीलाल बकोलिया** (केकड़ी): क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या केकड़ी तहसील में ग्राम लसाड़िया के पास लसाड़िया बांध बांधने की मंजूरी हो गई है ?

(२) यदि हां तो, कार्य शुरू होने में विलम्ब क्यों हो रहा है तथा अब कार्य कब तक शुरु हो जायगा ?

उप मंत्री सिंचाई : (श्री भीखाभाई) :

(१) अभी नहीं हुई है।

(२) अभी एस्टीमेट पूरा तैयार नहीं हुआ है। काम एस्टीमेट की स्वीकृति के बाद शुरु किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह।

Page No.8

कस्बा रायसिंहनगर, जिला गंगानगर में कमल टॉकीज़ को भूमि दिया जाना।

५१. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) **एवं श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कस्बा रायसिंहनगर, जिला गंगानगर में सन् १९५८ में कमल टॉकीज़ को सरकार या नगरपालिका द्वारा कुछ भूमि दी गई है ? यदि हां, तो किसके द्वारा, कितनी और किस दर से ?

(ख) क्या यह भी सही है कि इस भूमि को नीलाम नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका क्षेत्र से बिना नीलाम किये भूमि देना स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार के सर्क्युलर क्रमांक एल. एस. जी. १९५६ तारीख १०–१–५७ के विरुद्ध है ? यदि हां, तो फिर यह भूमि क्यों दी गई ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां, नगरपालिका रायसिंहनगर ने कमल टॉकीज़ को २००×२०० वर्ग गज़ भूमि ५० नये पैसे प्रति वर्ग गज़ के हिसाब से देना प्रस्तावित किया था और दिनांक २५–४–५८ को कमल टॉकीज़ को भूमि देने की स्वीकृति प्रदान की। तत्पश्चात् नगरपालिका के नए प्रस्तावानुसार भूमि की स्वीकृति को स्थगित कर दिया गया है और इस सम्बन्ध में जिलाधीश गंगानगर से पत्र-व्यवहार जारी है।

(ख) जी हां, कमल टॉकीज़ के पासवाली भूमि नगरपालिका ने विद्युत विभाग को सब-स्टेशन बनाने हेतु ५० नये पैसे प्रति वर्ग गज़ के हिसाब से बगैर नीलाम किए स्वीकृति दी थी। इसलिए इस भूमि को भी नीलाम नहीं किया गया।

(ग) जी हां। भूमि बिना नीलाम दिये जाने का कारण खण्ड (ख) में दिया जा चुका है।

श्री भैरोंसिंह : जो यह भूमि बिना नीलाम दी गई थी, वह किसके अधिकार में है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो बहुत दिनों से सिनेमा वालों के पास थी। चूंकि वह जमीन लीज़ पर दी हुई थी, जो सिनेमा के कब्जे में चली आ रही है। म्युनिसिपैलिटी ने बीच में प्रस्ताव किया था कि इसको लेकर दिया जाय, इसलिए इसके आदेश दे दिये गये थे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नगरपालिका की तरफ से अन्तिम स्वीकृति यह दी जाती है कि इस लीज़ को सेल में परिवर्तित कर दिया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले जब म्युनिसिपैलिटी ने लिख कर भेजा था तो सरकार ने उनकी सिफारिश के अनुसार स्वीकृति दी थी। लेकिन जब बाद में दुबारा फिर नगरपालिका ने प्रस्ताव भेजा तो उसके लिए सरकार की ओर से कलेक्टर को लिखा गया है।

श्री भैरोंसिंह : कमल टॉकीज़ के उस

Page No.9

(श्री भैरोंसिंह)

जमीन पर जो प्रोप्राइटरी राइट्स माने जा रहे हैं, तो क्या वे दुरुस्त हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पट्टा नहीं दिया गया है इसलिए वह लीज़ होल्डर है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रायसिंहनगर की तरफ से जो स्वीकृति पत्र मिला था उसको अदालत में पेश किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब नगरपालिका ने पहली बार रिकमण्ड करके भेजा था तो सरकार की ओर से आदेश हुए थे, लेकिन जब दुबारा भेजा गया तो उसको कलेक्टर को भेजा गया है। जब तक उसका पट्टा नहीं हो जाता है तब तक लीज़ होल्डर मालिक है।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट के आदेश होते हुए भी इस प्रकार क्यों स्वीकृति दी गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्यूनिसिपैलिटी ने रिकमण्ड करके भेजा था और वह पुराना लीज़ होल्डर भी है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार के सामने जब एक निश्चित नीति है कि किसी नगरपालिका में भूमि बिना नीलाम न ली जाय, फिर उन आदेशों के विरुद्ध आदेश क्यों दिये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने नगरपालिका को कहा कि बिना सेल के जमीन न दी जाय, ऐसा बहुत-सी इन्स्टिट्यूशन्स करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट अपना डिस्क्रीशन किस आधार पर करती है ? कमल टॉकीज़ लगाने के लिए कहा था और जमीन चाही थी उसको रिजेक्ट कर दिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसी आदमी को जमीन लीज़ करने के लिए रिजेक्ट नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह : जब सरकार के सामने नगरपालिका ने सिफारिश की तो सरकार ने उसको रोका क्यों नहीं ? क्या यह सरकार के ध्यान में नहीं आया कि एक आदमी लीज़ होल्डर है उसको बिना नीलाम नहीं दे सकते तो नगरपालिका को नुकसान हो जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चूंकि नगरपालिका ने रिकमण्ड किया था इसलिए इसकी स्वीकृति दे दी थी। उसको मार्केट प्राइस पर भी डिटर्मिन किया, पुराना ऑक्यूपायर है उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर कलेक्टर रिकमण्ड करेंगे तो दुबारा कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : डिस्क्रीशन क्यों एक्साइज़ किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ है, म्युनिसिपैलिटी की धांधली है। वैसे गवर्नमेंट को राइट भी है और उन

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

राइट्स को ठीक तौर पर एक्सरसाइज़ किया है।

श्री भैरोंसिंह : इसके माने यह हुआ कि म्यूनिसिपैलिटी ने सिफारिश की, उससे गाइड होते हैं न कि सरकार की निश्चित नीति है उससे। एक दफा लिख दिया कि न दिया जाय और फिर जब दुबारा उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेन्ट को राइट है, फ्री जमीन भी दे सकती है, मार्केट प्राइस पर भी दे सकती है। जयपुर में दी जा रही है। सरकार की नीति में कोई फर्क नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने आज्ञा देने से पहले सरकार को जो फाइनेन्शियल लोस होने वाला था उसको भी दृष्टि में रखा था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई लोस नहीं होने वाला था। पहले तहसीलदार से पूछ लिया गया था कि मार्केट रेट क्या थी ?

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार समझती है कि जिसे लीज़ पर चालू किया गया यदि नीलाम किया जाता तो उतनी रकम मिलती जो नहीं मिली ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मैं नहीं कह सकता लेकिन मार्केट प्राइस पर दिया गया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : मार्केट प्राइस किस हिसाब से लगाई गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आस-पास की जमीन जिस रेट पर बिकती थी उस हिसाब से तहसीलदार ने मार्केट रेट तय की।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आस पास की जो मार्केट वेल्यू है, उससे कम दिया गया है। यदि मार्केट प्राइस पर दे दी जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी

जागीरदारी तथा खालसा क्षेत्र में चराई की रेट

५२. **श्री मुक्तिलाल मोदी** (बैराठ) : क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या राजस्थान के जागीरदारी तथा खालसा क्षेत्रों में पशुओं की चराई की रेट तय हो गई है ? यदि नहीं, तो कब तक होने की संभावनाएं हैं ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जिन जिन स्थानों पर जो जो चराई की दर राजस्थान बनने या जागीर विलीनीकरण के समय लागू थी वे अब भी लागू हैं। नई दर अभी कायम नहीं हुई है।

श्री मूलचंद डागा (पाली) : सरकार के पास क्या आंकड़े हैं। (घंटी)

श्री अध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह रेट कब तक हो जायगी। काश्तकारों को काफ़ी दिक्कत हो रही है।

श्री नाथूराम मिर्धा : चराई की रेट्स को रेश्नेलाइज़ करने के लिए २५. ६. ५६ को एक कमेटी बिठाई गई थी। उसने कुछ रिपोर्ट दी जो सरकार के सामने आयी। अभी थोड़े दिन पहले एक फोरेस्ट की कमेटी बिठाई थी जो फोरेस्ट्स की प्रोब्लम्स पर विचार करेगी। उस कमेटी की रिपोर्ट को इस कमेटी को दे दी गई है ताकि सब बातों पर अच्छी तरह से विचार विनिमय हो जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या माना जाय कि फोरेस्ट कमेटी अभी तक एग्जिस्ट करती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, एग्जिस्ट करती है। श्यामलालजी उसके चेयरमैन हैं, सी. सी. एफ. उसके मेम्बर हैं, कलेक्टर भी उसके मेम्बर हैं। यह अलग-अलग विभागों में गई भी है। जयपुर में भी बहुत से एम. एल. एज़ हैं जिनसे वह मिलेगी।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या यह सही है कि एक व्यक्ति को एक पशु की तीन-तीन चराई देनी पड़ती है, जैसे फोरेस्ट, एरिया, जागीर एरिया और रेवेन्यू एरिया।

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ हलकों में ऐसी बात ध्यान में आई थी कि फोरेस्ट और रेवेन्यू दोनों ही चराई वसूल कर रहे हैं। वह इलाका जो रेवेन्यू का, लेकिन फोरेस्ट में तब-दील हो रहा है, वहां फोरेस्ट वाले वसूल करते हैं लेकिन रेवेन्यू ने पहले वसूल कर ली। इसलिए हमने यह कह दिया है कि दुबारा न करें। जब रेवेन्यू ने कर लिया है तो फोरेस्ट वाले न करें। जहां जहां की शिकायत आई है वहां वहां तो हमने उसको ठीक कर दिया है लेकिन यदि और कोई आपके ध्यान में हो तो बता दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : इस कमेटी की मिटिंग हुई है भी या नहीं ? हुई है तो कितनी दफा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह कमेटी सवाई-माधोपुर इलाके में भी गई है, अजमेर भी गई है, उदयपुर के इलाके में भी इस कमेटी ने दौरा किया है, कुछ हल्के बाकी हैं।

श्री मदनसिंह : क्या आपके विश्वास के आधार पर हम, लोगों को कह दें कि एक जगह ही चराई दें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बराबर। जैसे जंगलात की चराई के लिए जंगलात ही लेगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : एक महीने में यह रिपोर्ट तय नहीं हुई तो कितने महीने में यह तय हो जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चूंकि यह लार्ज स्केल पर इफेक्ट करने वाली है। हालांकि पहले की कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, लेकिन उसमें कुछ कमियां नज़र आ रही थीं, इसलिए इस कमेटी के ज़िम्मे इसको रखा गया। रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन इसके प्रेसिडेन्ट हैं और जानकारी रखने वालों को भी काफी रखा है। इसमें थोड़ा समय लग जायगा लेकिन रेश्नेलाइजेशन की दृष्टि से इसके वाइड रिपर्कशन्स होंगे इसलिए उन सारी बातों पर अच्छी तरह से विचार किया जाकर ही गवर्नमेन्ट के सामने आना चाहिये।

श्री मदनसिंह : आपने पहले जो फरमाया उसमें सन्देह हो गया है। जो जानवर फोरेस्ट में चरते हैं, आपने कहा कि उनसे चराई ली जावेगी, लेकिन वे जानवर जो रेवेन्यू में चरते हुए, जागीर में चरते हुए आगे चले जाते हैं जैसे पहले रेवेन्यू में चर लिया, फिर जागीर के एरिया में घुस गये, वहां चरा और फिर चराई के लिए डूंगर पर चढ़ जाते हैं। इसलिए उनकी तीन जगह पर चराई ले ली जाती है। आप तो फरमाते हैं कि एक ही जगह ली जाय, तो फिर यह बात समझ में नहीं आयी।

श्री नाथूराम मिर्धा : जागीरदार की तो कोई जमीन नहीं रही।

श्री मदनसिंह : कैसे नहीं है, है?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके प्राइवेट खुद काश्त की है उसमें कोई पशु चरता है तो हम लेंगे। रेवेन्यू में चराई करते हैं और वह टोटल रकबा रेवेन्यू का हो तो रेवेन्यू वाले ही वसूल करेंगे और फोरेस्ट के एरिया में हो तो फोरेस्ट वाले वसूल करेंगे। लेकिन जहां ड्युअल एरिया है रेवेन्यू से ट्रान्सफर होकर फोरेस्ट में आ गया है तो एक ही डिपार्टमेन्ट चराई लेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट ले लेगा तो फोरेस्ट नहीं लेगा और फोरेस्ट ले लेगा तो रेवेन्यू नहीं लेगा।

श्री मदनसिंह : मैं यह चीज़ तो मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि जागीरदारों की जमीनें समाप्त हो गईं, अभी तो वह मामला सिलेक्ट कमेटी के पास है। जब वहां से समाप्त होगा तब मान लूंगा। डिफीकल्टी इस बात की है कि जो पशु चरने के लिये फोरेस्ट में जाते हैं वे यदि जागीरदार की भूमि से पास होते हैं तो वहां भी चराई वसूल होती है, रेवेन्यू एरिया से गुजरते हैं तो वहां पर भी वसूल की जाती है और उसके बाद जब फोरेस्ट एरिया में जाते हैं तो वहां पर भी चराई वसूल की जाती है इस प्रकार तीन स्टेज़ेज् पार करनी होती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर सीधे-सीधे चले जाते हैं तो कोई वसूली का सवाल ही नहीं है। फोरेस्ट में जाने के लिये रास्ता बना हुआ है सीधा वहां पर जा सकते हैं।

श्री मदनसिंह : अगर तीनों जगहों से होकर जाता है तो क्या तीनों को दिया जाय?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिन जिन की जमीन है उन सब को दिया जाय।

श्री मदनसिंह : क्या सब को दिया जाय?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, अगर उनकी ज़मीन से चरते हुए निकलते हैं तो देना पड़ेगा ?

श्री मदनसिंह : निकलना पड़ता है क्योंकि रास्ता उधर से ही जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सभी जगह रास्ता बना हुआ है। फोरेस्ट में पहुँचने के लिये उस रास्ते पर न जाकर दूसरे से जाते हैं तो देना पड़ेगा। अगर कहीं रास्ता नहीं है तो ध्यान में लाकर ठीक किया जा सकता है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि जागीरी इलाके में और खालसा इलाके में चराई के रेट तय नहीं हुए हैं। ऐसी भी जागीरें हैं जहां पर चराई की रेट नहीं ली जाती है तो क्या ऐसे इलाकों में जहां पहले जागीरदारों द्वारा चराई नहीं ली जाती थी, वहां भी चराई वसूल की जायगी ? अगर की जायगी, तो किस रेट से की जायगी ? अगर रेट रिपोर्ट में कम हुई, तो क्या जो ज्यादा रेट वसूल कर ली गई हैं उसको वापिस करेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रेट कम होगी तो उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। जिस दिन रिपोर्ट आयगी उसी दिन से वे रेट लागू होंगे और जहां जागीरी इलाके का सवाल है वहां तो हर मवेशियों के लिये रेट मुकर्रर है जो पन्द्रह और बीस साल से वे लेते जा रहे हैं उन्हीं की बेसिस पर अब भी लिया जायगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अगर कोई जागीरदार लेता नहीं है तो क्या सरकार लेगी या नहीं ?

श्री नाथूराम : जहां लेते नहीं हैं तो वहां एक दम लेने का सवाल नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : शाहपुरा ठिकाने में चराई वसूल नहीं होती है। अब सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट वहां से जबर्दस्ती वसूल कर रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट ने फोरेस्ट विभाग को लिखा है कि जबर्दस्ती वसूल किया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो आप रेवेन्यू विभाग से पूछें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वहां तो चराई ली ही नहीं जाती थी। अब रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के जोर देने से फोरेस्ट विभाग ले रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर आप पर्टीकुलर बात के लिये शिकायत लिखकर दें तो मैं जांच करके कह सकता हूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैंने सरकार को इस बारे में लिखकर दिया था उस पर सरकार ने दो साल तक तो माफ कर दिया, लेकिन इस साल से फिर जबर्दस्ती चराई वसूल की जा रही है। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि क्या कमेटी की रिपोर्ट आने तक इस चराई को मुल्तवी करने का आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आपके एक दफा लिखने पर दो साल तक माफ हो गया तो एक दफा और लिख दीजिये और भी दो साल के लिये माफ हो जायगा।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह।

सवाई मानसिंह हॉस्पिटल की नर्सेज को महंगाई–भत्ता

५३. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंने की कृपा करेंगे :–

(१) सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर की नर्सेज को महंगाई भत्ता कितना और किस आधार पर मिलता है ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य के अन्य कर्मचारियों को जिन नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता मिलता है उसी के अनुसार इन नर्सेज को नहीं मिलता ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) इन नर्सेज को महंगाई भत्ते के अलावा कौन-कौन से और भत्ते मिलते हैं और इनमें कौन से छुट्टी पर रहने की सूरत में काटे जाते हैं और क्यों ?

उपमंत्री स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) : (१) सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर की नर्सेज क्लास एक को राजस्थान के महंगाई भत्तों के नियमानुसार आधा महंगाई भत्ता दिया जाता है ।

(२) जी हां । क्योंकि उनको बोर्डिंग और लोजिंग एलॉउन्स भी मिलते हैं ।

(३) उपचारिकाओं को महंगाई भत्ते के अलावा मैसिंग एलॉउन्स व हाउस रेन्ट अलॉउन्स नियमानुसार मिलते हैं । केजुअल लीव व प्रिविलेज लीव के अतिरिक्त सब छुट्टियों में यह अलॉउन्स काटे जाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या जो नर्सेज क्लास एक में नहीं हैं उनको डीअरनेस अलाउन्स कम मिलता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : ऐसा है कि इसके लिये नियम बना हुआ है जो मैसिंग और बोर्डिंग फ्री चाहती हैं उनको तो आधा डी० ए० मिलेगा और जो नहीं चाहती हैं उनको पूरा डिअरनेस अलॉउन्स मिलेगा इसी रूल के मुताबिक सारी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिनको इस प्रकार आधा अलाउन्स मिलता है वे यदि प्रिविलेज लीव या केजुअल लीव पर जाती हैं तो उनका डी० ए० भी काटा जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डी० ए० काटने की बात नहीं है, मैसिंग अलॉउन्स जो मिलता है वह नहीं दिया जाता है ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): यह आप गलत फरमा रहे हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो मेरे पास सूचना है, वह मैं आपको दे रहा हूँ । अगर आपके पास इससे भी अधिक सूचना हो तो आप जवाब दे दीजिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । आप यदि यह फ़र्माते हैं तो दुबारा जानकारी कर लूंगा । लेकिन मेरे पास जो जानकारी है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि जो प्रिविलेज़ लीव पर जातीं हैं तो उनका मैसिंग अलॉउन्स कट जायगा ।

श्री भैरोंसिंह : जिनको मैसिंग अलॉउन्स और लॉज़िंग अलॉउन्स मिलता है उनको आधा डी० ए० मिलता है, क्या यह उससे कम है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो उनके ऑप्शन पर है । वे अगर चाहें तो पूरा डिअर–

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

नेस ले सकती हैं। उनको दूसरा अलॉउन्स नहीं मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह नर्सेज़ के ऑप्शन का प्रश्न नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी अगर वे पूरा डिअरनेस अलॉउन्स लेना चाहें तो उनको लॉज़िंग और मैसिंग अलॉउन्स नहीं मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह उनके ऑप्शन का सवाल नहीं है ? सरकार ने जो ग्रेड्स फिक्स कर रखे हैं और उसके अनुसार ए, बी, सी क्लास बना रखी हैं, उसके अनुसार ए और बी क्लास में जो रखे गये हैं उनको आधा डिअरनेस अलॉउन्स दिया जाता है तो क्या सरकार ऑप्शन के आधार पर उनको लेने का अधिकार देती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रूल्स तो ऐसे बने हुए हैं, जैसे चाहें वे ले लें।

श्री मदनसिंह : ऐसा नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑप्शन हम कर देते हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। वे ऑप्शन कर सकते हैं।

प्रश्न संख्या ५४

श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

म्यूनिसिपल बोर्ड सोजत के विरुद्ध फोर्जरी का जुर्म

५५. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सत्य है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने क्रिमिनल रिविज़न नंबर १६५-५७ मंगलचन्द बनाम भोलाराम में अपने फैसले दिनांक ६-६-५८ में यह निर्णय दिया है कि म्यूनिसिपल बोर्ड सोजत ने स्पष्टतया फोर्जरी करने का जुर्म किया है, अतः उनका कार्यवाहक रजिस्टर जब्त कर उनके विरुद्ध इस जुर्म के लिए आवश्यक कार्यवाही की जावे ?

(२) यदि हां, तो उक्त मामलों में अभी तक अभियुक्तों का चालान क्यों नहीं पेश किया गया व अब इन अभियुक्तों का चालान कब तक अदालत में पेश कर दिया जावेगा ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : इस प्रकार का निर्णय नहीं दिया है कि कोई फोर्जरी हुई है। इस बारे में पुलिस विभाग को जांच करने के लिये कहा गया है उसमें कुछ एवीडेन्स की कमी है इसलिए इसकी दुबारा जांच होगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : पुलिस को कब लिखा गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही लिखा गया है और उसकी रिपोर्ट भी आगई है।

श्री मूलचन्द डागा : कौन सी तारीख को और कौन से महीने में लिखा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : महीना और तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या पुलिस में केस दर्ज़ हो गया है ?

Page No.16

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दर्ज हो गया है और एस० पी० की रिपोर्ट भी आगई है। एवीडेन्सेज़ की कमी है इसलिए म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस दिया है। दुबारा एवीडेन्सेज़ हों।

श्री मूलचन्द डागा : तो जो फैक्ट्स बताये गये हैं वे क्या गलत हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पुलिस ने अपनी रिपोर्ट भेजी है उसमें लिखा है कि चेयरमैन को नोटिस दिया गया है, यह बीस-पच्चीस रोज़ पहले की बात है, उन्होंने एतराज लिख कर दिया है, फोर्जरी नहीं हुई है, एवीडेन्सेज़ की कमी को पूरा करना है।

श्री मूलचन्द डागा : पुलिस डिफेन्स के लिए एवीडेन्स लेती है या प्रोसीक्युशन के लिये लेती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दोनों ली जाती हैं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या पुलिस की प्रोसीक्यूशन एवीडेन्स खत्म हो चुकी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पुलिस ने जो जानकारी दी है उसकी रिपोर्ट भी भेजी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजस्थान में सरकार द्वारा संचालित एवं प्राइवेट पॉवर हाउसेज़

५६. रावराजा श्री सरदारसिंह : (उनियारा) क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में बिजली के पॉवर हाउसेज़ कितने हैं, उनमें सरकार द्वारा संचालित कितने हैं और प्राइवेट आदमियों के कितने हैं ?

(ख) उनमें कितने सेल्फ सपोर्टिंग हैं, कितने घाटे पर चल रहे हैं और कितने बन्द पड़े हुए हैं ?

(ग) क्या सरकार उपरोक्त प्राइवेट पॉवर हाउसेज़ को सुचारू रूप से चलाने के हेतु अपने संरक्षण में लेने का विचार रखती है ?

विद्युत उपमंत्री : (श्री भीखाभाई) : (क) राजस्थान में ५६ पॉवर हाउस हैं जिनमें से २४ इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड के आधीन हैं, ६ पॉवर हाउस म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा संचालित किये जाते हैं और १६ प्राइवेट कम्पनियों द्वारा संचालित हैं।

(ख) अधिकतर पॉवर हाउस बोर्ड को मिले हुए हैं वे घाटे में चले आ रहे हैं और जो प्राइवेट पॉवर हाउसेज़ हैं उनमें से सात लाभ में चल रहे हैं और बाकी के पॉवर हाउस घाटे में चल रहे हैं।

(ग) कोई पॉवर हाउस की बात नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या यह सही है कि बोर्ड के पॉवर हाउसेज़ हैं वे अव्यवस्था के कारण घाटे में चल रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह : तो किन कारणों से घाटे में चल रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : जो मशीनरी मिली पुरानी इन्टीग्रेटेड स्टेटों से वह काफी पुरानी हालत में थी, दूसरी बात यह है कि उसकी फ्यूअल कॉस्ट भी बढ़ गई है, तीसरी बात,

Page No.17

(श्री भीखाभाई)
बहुत से स्पेअर पार्ट्स मिलते नहीं हैं। ये सब मिलाकर कारण हैं। फिर रिप्लेसेमेन्ट के लिये सामान नहीं मिलने के कारण भी हम इन्हें कमर्शियली रन नहीं कर पा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : २४ घंटों में २ घंटे ही बिजली दी जाती है क्या यह सरकार के ध्यान में है ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : (डीग) लीकेज़ और कोयले में गड़बड़ी आदि इस तरह की शिकायतें भी हैं क्या ?

श्री भीखाभाई : ऐसी कोई शिकायत अभी तक नहीं आई ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या सरकार यह कहने की स्थिति में है कि इस तरह की शिकायत सरकार के पास नहीं आई ?

श्री भीखाभाई : अभी तक नहीं आई। अभी शब्द है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अभी से क्या मतलब। इस समय नहीं आई या अभी तक कोई शिकायत आई ही नहीं ?

श्री भीखाभाई : यह सवाल अलग है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : प्राइवेट पॉवर हाउसेज़ हैं और वे घाटे में चलने की वजह से बन्द पड़े हैं और कभी कभी चलाते हैं, उन कम्पनियों ने सरकार से लोन की प्रार्थना की है कि उन्हें लोन दिया जावे ताकि वे उन्हें चला सकें ?

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : यह प्रश्न फाइनेन्स के विचाराधीन हो सकता है और दर असल इसके बारे में हमने एक बोर्ड बनाया है। बोर्ड उचित समझेगा तो उसकी सिफारिश पर लोन दिया जा सकता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या बोर्ड के पास उनियारा पॉवर हाउस के लिये म्युनिसिपेलिटि के पावर थ्रू हाउस को चलाने के लिये लोन की कोई दरख्वास्त आई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये आप उनको हमारी तरफ से यह अर्ज़ कर दें कि फ़ाइनेन्स कॉर्पोरेशन लोन देता है।

डॉ० बहादुरसिंह : धौलपुर के लिये इन्तज़ाम कर दीजिये।

(हंसी)

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : जो पॉवर हाउस घाटे में चलते हैं क्या सरकार उनको नगरपालिकाओं को सौंपने को तैयार है।

श्री रामकिशोर व्यास : लौस के कन्सर्न्स को नगरपालिकाओं को देने से क्या फ़ायदा ?

श्री दयाकृष्ण विजय : अव्यवस्था के कारण वे घाटे में हैं और नगरपालिका उस अव्यवस्था को दूर कर सकती है।

एक माननीय सदस्य : जो प्राइवेट पॉवर हाउसेज़ हैं, उनको अबतक बोर्ड ने क्यों नहीं लिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्राइवेट बहुत से नहीं लिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या मालपुरा में सरकार पॉवर हाउस स्थापित कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, प्रश्न विचाराधीन है।

'बी' क्लास डिस्पेन्सरी की दवाइयों एवं औज़ारों का वार्षिक बजट

५७. **श्री मुक्तिलाल मोदी** (बैराठ) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) 'बी' क्लास डिस्पेन्सरी की साल भर की दवाइयों तथा औज़ारों का कितने रुपये का बजट होता है ?

(ख) राजस्थान निर्माण से पहले सभी स्टेटों को मिलाकर स्वास्थ्य पर खर्च करने का जो बजट था, इससे राजस्थान का बजट अब कितना बढ़ा है ?

उपमन्त्री स्वास्थ्य विभाग (श्री भीखाभाई): (ग) तीन हज़ार रुपये का बजट दवाइयों के लिए तथा औज़ारों के लिए कोई धन राशि हर एक डिस्पेन्सरी के लिए निर्धारित नहीं है। यह उनकी आवश्यकतानुसार बजट को ध्यान में रखते हुए दी जाती है।

(ख) पहिले के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जब यह असेम्बली के अन्दर दो महीने पहिले क्वेश्चन दिया गया है तो पहले के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो गवर्नमेन्ट कैसे चलाई जाती है ?

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : आप तो रियासतों की पुरानी बातें पूछते हैं। नई बातें, रूस की बातें पूछते तो जवाब देते।

(हंसी)

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : पुरानी बातें इसलिये पूछी जाती हैं कि उस समय थोड़े खर्चे में भी व्यवस्था ठीक रहती थी, पर अब नहीं रहती हैं, अधिक खर्चा करते हुए भी, इस लिये पूछा है ? नहीं तो आंकड़े बताइये कि क्या खर्चा होता था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ७६४ हज़ार था, अब ४७३ हज़ार खर्चा है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैंनें सारा नहीं पूछा है। एक डिस्पेन्सरी का पूछा है। स्टेट के वक्त में औज़ार और दवाइयों का कितना खर्चा था और आज में बताऊं राजस्थान बनने के बाद एक डिस्पेन्सरी में औज़ार और दवाइयों का क्या खर्चा है यह प्रश्न पूछा है। तो मेरा निवेदन है कि कम से कम आज बजट इतना होता है, पर कई डिस्पेन्सरियों में दवाईयों का पूरा बजट नहीं होता है, औजार भी पूरे नहीं होते हैं। फिर पीछे मरीज जयपुर और जोधपुर के बड़े बड़े शफाखानों में जाते हैं। तो मेरा खास मतलब तो यह था कि आप वह कह दे कि दवाइयों का बजट बढ़ावेगें और औज़ारों का भी बढ़ावेंगे तो मुझे तसल्ली हो जावेगी।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने सवाल में तो सभी पहले स्टेटों के बारे में पूछा है। एक का नहीं पूछा। एक को तीन हज़ार हम देते हैं और आवश्यकता ज्यादा की अगर होती है तो और ज्यादा भी देते हैं। हर एक के डिविजनल हैड क्वाटर पर दवाइयां रहती हैं। औज़ार भी आवश्यकतानुसार सैंक्शन कर देते हैं।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : What are the guiding principles for distributing medicines and instruments in the various types of hospitals.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I have replied this point several times that these are distributed according to necessities. According to necessities these are provided in the dispensaries.

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

पुलिस हैड क्वार्टर्स में श्री रामसिंह सिपाही की मृत्यु

५८. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पुलिस हैड क्वार्टर्स में एक रामसिंह नाम का सिपाही तपेदिक की बीमारी से मर गया? यदि हां, तो कब और वह कब से बीमार था?

(२) इस सिपाही को बीमारी के समय क्या-क्या सहायता व सुविधा प्रदान की गई?

(३) इसकी मृत्यु के पश्चात् इसके परिवार को सरकार द्वारा क्या सहायता दी जा रही है?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) रामसिंह कॉन्स्टेबल, मुतयन पुलिस लाइन, जयपुर को दिनांक ६।६।४७ से टी. बी. की बीमारी थी और जब वह दिनांक १।१०।५७ से ५० दिन के अवकाश पर था तब उसकी मृत्यु उसके गांव में दिनांक ६।११।५७ को हुई।

(२) उसकी बीमारी के दिनों में वह विश्राम में समझा गया और उसको पूरा वेतन, अलॉउन्स, मुफ्त औषधियां दी गई और मुफ्त इलाज किया गया।

(३) पुलिस बेनेवोलेन्ट फण्ड में से उसकी स्त्री को १५ रुपया माहवारी के हिसाब से कुल रूपया ७०० मिलने की स्वीकृति दे दी गई है। ग्रेच्युटी के रुपये ४६८ उसकी स्त्री को मिलने के विषय के कागज़ात अकॉउन्टेन्ट जनरल, राजस्थान के कार्यालय में अन्तिम आज्ञा देने हेतु विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस बीमारी वाले ने सरकार से दर्ख्वास्त की थी कि उसको टी. बी. सेनिटोरियम में एडमिशन दिलाया जावे?

श्री रामकिशोर व्यास : सही है, पर उस समय बैड खाली नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय इस बीमार ने दर्ख्वास्त दी थी तो वहां के डीवाई० एस० पी० ने फोन से मालूम किया तो उस समय दो वेकेन्सीज़ थीं? इस के बाद भी स्थान नहीं दिला सके इसका क्या कारण है?

श्री रामकिशोर व्यास : हमें तो यह जवाब मिला कि वेकेन्सी नहीं है। पुलिस विभाग ने पूछा था।

श्री भैरोंसिंह : आपको अब जवाब मिला होगा।

श्री रामकिशोर व्यास : खाली भी हों तो एप्लीकेशन प्रायोरिटी से लेते हैं, प्रायोरिटी के लिहाज़ से एडमिट करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो रामसिंह का नम्बर प्रायोरिटी में नहीं आया, इसलिये वह भरती नहीं हो सका?

श्री रामकिशोर व्यास : दोनों ही बातें हो सकती हैं। ज्यादा तो हालात हैल्थ डिपार्ट-

Page No.20

(श्री रामकिशोर व्यास)

मेन्ट से मालूम हो सकते हैं। पर जहां तक हमारी जानकारी है उस समय बैड खाली नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : तो यह माना जावे कि प्रायोरिटी का सवाल नहीं था, जगह खाली नहीं थी।

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा है कि एप्लीकेशन्स जिनकी होती हैं उनको नम्बरवार नोट करते हैं और फिर इस हिसाब से चलते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रामसिंह के पास जब दवाइयों के लिये पैसा नहीं रह गया था, तो उसने पुलिस बनेवोलेन्ट फण्ड से दवाइयों के लिये पैसा देने को दर्ख्वास्त दी थी, जो उसके मरने के बाद मन्जूर हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास : दवाइयां तो वैसे ही दी हैं, ५० स्टेप्टोमाइसीन के इन्जेक्शन दिये हैं और दूसरी दवाइयां दी हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, सभापति महोदय, क्या यह सही है कि जो दर्ख्वास्त उसने दी थी, उसकी मन्जूरी उसके मरने के बाद आई, इसका 'हां' 'ना' में जवाब चाहता हूं।

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये नोटिस चाहिये। इसकी जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के यह ध्यान में है कि उसने बेनेवोलेन्ट फण्ड के लिये कोई दर्ख्वास्त दी थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी मुझे जानकारी नहीं। औषधियों के लिये दी थी या किसके लिये दी थी।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि क्या उसने बेनेवोलेन्ट फण्ड से दवाइयों के लिए रकम देने के लिये कोई दर्ख्वास्त दी थी ? नहीं दी, तो इन्कार कर दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : ग्रेच्युटी कब सैंक्शन हो जावेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : ए. जी. साहब के दफ्तर में अन्तिम आज्ञा के लिये गये हुए हैं। हम भी स्वयं चाहते हैं कि जल्दी उसे मिल जावे, हमारी उसके प्रति हमदर्दी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या उसको पुलिस लाइन छोड़ने के लिये आदेश दिये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह अपनी मर्जी से जाना चाहता था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रोज़नामचे में यह रिपोर्ट लिखी गई है कि इस प्रकार के बीमार का पुलिस लाइन में रहना ठीक नहीं है, इसलिये उसे हिदायत दी जावे कि वह पुलिस लाइन छोड़ कर चला जावे।

श्री रामकिशोर व्यास : बहुत दिनों तक वह वहां रहा, बाद में वह स्वयं भी जाना चाहता था और ज्यादा रखना मुनासिब भी नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछता हूँ कि वह अपनी मर्जी से गया या जाने के लिये मजबूर किया गया ? स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ।

श्री रामकिशोर व्यास : दोनों ही बातें हो गईं। खुद भी जाना चाहता था और हमें भी स्यूट नहीं करता था।

(हंसी)

बीकानेर शहर में अनाज का वितरण

५६. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर शहर में इस समय सस्ते अनाज वितरण की कुल कितनी दुकानें हैं ? क्या सरकार इतनी दुकानों को पर्याप्त समझती है ? यदि नहीं, तो दूकानें बढ़ाने का क्या प्रबंध किया है ?

(२) क्या सरकार इन दुकानों की जगह उपभोक्ता सहकारी भण्डारों के जरिये अनाज वितरण करवाने का प्रबन्ध कर रही है ? यदि हां, तो इस कार्य को विकसित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या किया है ?

(३) शहरों से लगने वाले समीप के गांवों के लोग जो कि शहरों में नौकरियां करते हैं उनको सस्ता अनाज देने के लिए सरकार ने क्या प्रबंध किया है ?

(४) औद्योगिक बस्ती जामसर में सस्ते अनाज की दुकान अब तक क्यों नहीं खोली गई ?

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) बीकानेर शहर में इस समय सस्ते अनाज वितरण की कुल ६८ दुकानें है। ये पर्याप्त हैं।

(२) हां, सरकार ने अब तक ४२ उपभोक्ता सहकारी समितियों को सस्ते अनाज की दुकाने दे दी हैं और भविष्य में अन्य दुकानें भी सहकारी समितियों को देने का ही निश्चय है।

श्री मुरलीधर व्यास : आवाज़ नहीं आती।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (१) बीकानेर शहर में इस समय सस्ते अनाज वितरण की कुल ६८ दुकानें हैं। पर्याप्त हैं।

(२) हां सरकार ने अब तक ४२ उपभोक्ता सहकारी समितियों को सस्ते अनाज की दुकानें दे दी हैं और भविष्य में अन्य दुकानें भी सहकारी समितियों को देने का ही निश्चय है।

(३) शहरों से लगने वाले समीप के गांवों के लिए दो सस्ते अनाज की दूकान खोलने की व्यवस्था की जा रही है।

(४) औद्योगिक बस्ती जामसर में भी वहां की एक सहकारी समिति को सस्ते अनाज की दुकान खोलने की स्वीकृति दे दी गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : जो ४२ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बीकानेर में, जैसा कि अभी आपने बताया, हैं तो क्या इनके अतिरिक्त और भी दूसरी दुकानें हैं जो प्राइवेट आदमी चलाते हैं या उनको सरकार चलाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह निर्णय करने से पहले की कुछ दूकानें चली आ रही हैं। नई जो दुकानें बनाई गई है वे सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे पूछने का मतलब यह है कि सरकार की नीति क्या है ? क्या दुकानें कोऑपरेटिव बेसिस पर दी

(श्री मुरलीधर व्यास)

जायेंगी चीप ग्रेन शॉप की या फिर प्राइवेट तौर पर ही चलती रहेंगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ज़्यादा से ज़्यादा को-ऑपरेटिव बेसिस पर ही दूकानें होनी चाहिए। लेकिन फिर भी २५ पर्सेंट कन्ज़्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बना देनी चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास : यदि वहां के मौहल्ले में वहां के लोग को-ऑपरेटिव सोसाइटी बना करके उसके ज़रिये से काम चलाना चाहें तो उसको प्राथमिकता दी जायेगी या फिर पुरानी दूकानों का क्या होगा ?

श्री बद्रप्रीसाद गुप्ता : पुरानी दूकानें तो चलती आ रही हैं उनके बारे में तो उनके चलते रहने पर कोई दिक्कत नहीं है और न उनकी कोई व्यवस्था में गड़बड़ी है। मैं स्वयं वहां होकर आया हूं और वहां के सारे कलेक्टरों को इक्ट्ठा करके मैंने बातचीत की तो हमने ऐसा सोचा कि वहां की म्युनेसिपल बोर्ड स्वयं वहां के लिए व्यवस्था करे। वैसे ही २५ पर्सेंट उपभोक्ता सहकारी समितियां होनी चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास: अगर कोई कन्ज़्यूमर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी बना करके काम चलाना चाहे तो सरकार उसको प्राथमिकता देगी या उनको देगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्राथमिकता तो को-ऑपरेटिव सोसाइटी को ही देगी जहां जो पुरानी दूकानें चल रही हैं उनको अब बन्द करने में दिक्कत आयेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : तो फिर इस प्रकार से दोनों ही तरह की दूकानें किस प्रकार से चल सकेंगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो पुरानी दुकानें चली आ रही हैं वह तो चलती ही रहेंगी।

डॉक्टर चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): जैसा अभी आपने बताया कि जामसर के बारे में तो वहां दुकान कब तक खुल जायेगी ? सरकार कब तक उस पर विचार कर लेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा था कि स्वीकृति दे दी गई है। मैंने यह नहीं कहा कि विचार चल रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां पर दुकान खुली या नहीं खुली ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : आपके पत्र से ऐसा तो मालूम हुआ कि वहां एक दुकान तो खुल चुकी है......

श्री मुरलीघर व्यास : मेरे पत्र से ऐसा मालूम होता है कि एक दुकान खुल चुकी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपके पत्र से ही ऐसा मालूम होता है कि एक दुकान तो वहां खुल चुकी है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने पत्र जरूर दिया था पर उसमें लिखा था कि एक दुकान खोलने की वहां आज्ञा दी गई है, लेकिन वहां पर वह अभी तक खुली नहीं है और इसके अलावा एक दुसरी दूकान की भी और वहां पर मांग है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा है कि उस दुकान कि इस महीने के कोटे में स्वीकृति दी गई है और वह शीघ्र ही खुल जायेगी।

Page No.23

श्री मुरलीधर व्यास : वह दुकान खुली है या नहीं, आपके पास इसकी क्या सूचना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास सूचना है उसके अनुसार दुकान अभी नहीं खुली है।

एक माननीय सदस्य : पास के गांव वाले तो शहर से खरीद लेते हैं लेकिन दूर गांव वाले कहां से लायेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दूर गांव वाले तो खुद अनाज पैदा करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री गोवर्धनसिंह केन।

भरतपुर जिले में किसानों को बीज वितरण

६०. **श्री गोर्धनसिंह केन** (बयाना सु०): क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भरतपुर जिले के कृषि विभाग को गेहूं, चना आदि का बीज कितना-कितना राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया ?

(२) भरतपुर ज़िला कृषि अधिकारी ने इस वर्ष यह बीज किस-किस किसान को कितना-कितना दिया ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ?

(३) क्या यह सत्य है कि बीज उन्हीं किसानों को दिया गया है, जिन्होंने निज खेती में गत वर्ष काफी पैदावार होने से अपने निज बीज को २५ रु० व २६ रु० मन से बेच कर मुनाफा कमाया है ?

(४) क्या यह सत्य है कि वहां के कुछ गरीब किसानों को बीज नाममात्र को दिया गया है ? हरिजन किसानों को किस-किस गांव में दिया गया है ? सूची सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१)

	मन	सेर	छ०
गेहूं	२२५५६	२७	०
चना	४५३७	१४	८
जौ	४६६८	३६	८

सूची मेज़ पर रखदी गई है।

(३) इस कुल बीज में से ३६५६ मन २५ सेर कृषि अधिकारी भरतपुर ने बांटा व अन्य कोआपरेटिव सोसाइटी और लैंड रेवेन्यू अधिकारियों ने बांटा। बीज कृषि विभाग द्वारा उन्हीं किसानों को दिया गया है जिनके पास बीज बोने को नहीं था।

(४) यह सत्य नहीं है। कोई भी हरिजन किसान कृषि विभाग भरतपुर के पास बीज लेने को नहीं आया।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री गोवर्धनसिंह केन : क्या यह सही है कि हरिजनों ने दरख्वास्तें दीं और उनकी दरख्वास्तों को वहां के अधिकारियों ने जला दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको कहा कि कुल इस बीज में से जो कि करीब ३० हजार मन के करीब होता है उसमें से ३६५६ मन कृषि अधिकारी ने स्वयं ने बांटा।

श्री गोर्धनसिंह केन : आपने यह बताया कि हरिजनों की कोई भी दरख्वास्त नहीं आई।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप पहले बात समझिये फिर कहें। मैंने कहा कि इतने बीज में से जो कि करीब ३० हजार मन के होता है उसमें से ३६५६ मन डाइरेक्टली कृषि अधि-कारी ने बांटा। बाकी का सारा बीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पंचायतें और रेवेन्यू एजेन्सीज के ज़रिये बंटा। अब इसमें से ३६५६ मन जो कृषि अधिकारी ने बांटा है उसकी एक डिटेल्ड लिस्ट कि उसने किस-किस को बांटा वह मैंने आपके सामने पेश कर दी। उसके सामने याने कृषि अधिकारी के सामने हरिजन किसान की कोई एक भी दर्ख्वास्त नहीं आई और अगर फिर भी किसी हरिजन किसान ने दर्खवास्त दी है और अगर उसने उसको जला दी है तो आप मुझे उसके बारे में बतायें मैं उसकी जांच करूंगा। बाकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, पंचायतें और रेवेन्यू एजेन्सीज के जरिये से बीज बंटा है अगर उसके लिए भी किसी ने दर्ख्वास्त दी और वहां के अधिकारियों ने उसे जला दिया है तो उसको भी बतायें मैं उसकी जांच करवाऊंगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : भरतपुर ज़िले से कितने बीज की मांग थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : भरतपुर से तो मांग की कमी नहीं है कभी दो लाख मन मांग लिया तो कभी तीन लाख मन, ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : फिर भी आपने कितना दिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने आंकड़े नहीं रखे। मगर आप मांग रहे थे कि दो लाख मन बीज दिया जाये। आप लोग तो बहुत ऊंची-ऊंची मांग कर रहे थे, लेकिन सुधरे हुए बीज हमारे पास दो तीन लाख मन नहीं था।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : ज़िले के जो कृषि अधिकारी हैं उसने भी बीज के सम्बन्ध में इतनी ही मांग भेजी थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, उसने नहीं भेजी। हमारे पास में जो २॥। लाख मन सुधरा हुआ बीज था, वह भी कोई ज्यादा अच्छा किस्म का सुधरा हुआ बीज नहीं था। लेकिन फिर भी पूरे राजस्थान की जितनी मांग थी उसमें से लाइम शेयर हमने भरतपुर को दिया।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं कह रहा हूं कि वहां के कलेक्टर ने निश्चित मात्रा बताई है कि इतना बीज जरूरी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कलेक्टर को तो आप दबा रहे थे। कलेक्टर साहब हमसे जरूर मांग रहे थे, लेकिन हमारे पास ज्यादा मात्रा में नहीं था, फिर भी, क्योंकि आपकी हालत कुछ बिगड़ी हुई थी, हमने तीन लाख मन करीब बीज में से करीब ३० हजार मन बीज दिया। हमारे पास इससे ज्यादा शेयर देने को नहीं था।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : लाइम शेयर भरतपुर को मिला तो फिर सबसे ज्यादा शेयर किस को मिला ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उदयपुर को।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अगर उन अधिकारियों ने कि जिन्होंने दर्ख्वास्तें जला दीं उनके नाम बतायें जायें तो उन पर एक्शन लेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बराबर।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री गिरधारीलाल।

नगरपालिका बीकानेर में हरिजन हड़ताल

६१. **श्री गिरधारीलाल,** (नोखा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) नगरपालिका बीकानेर में हुई हरिजन हड़ताल में नगरपालिका ने कितना रुपया खर्च किया ?

(२) क्या उक्त रकम के खर्चे की स्वीकृति सरकार तथा बोर्ड से ले ली गई थी ?

(३) क्या उक्त रकम का हिसाब तैयार है, और वह बोर्ड के समक्ष रखा जा चुका है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या हरिजनों को समझौते के अवसर पर हड़ताल समय का वेतन देने का बोर्ड ने कोई आश्वासन दिया था ? अगर हां, तो क्या वह दिया जा चुका है ? अगर नहीं, तो कब तक दे दिया जावेगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) करीब ३८,००० रुपये ।

(२) इस खर्चे की स्वीकृति बोर्ड से ले ली गई है व बोर्ड द्वारा स्वीकृति देने हेतु सरकार को लिखा गया है ।

(३) जी नहीं । हिसाब अभी तक तैयार नहीं हो पाया है क्योंकि बोर्ड को अभी तक कुछ व्यक्तियों को भुगतान करना बाकी है ।

(४) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री गिरधारीलाल : इस खर्चे की स्वीकृति बोर्ड से किस तारीख को ली गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तारीख तो इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : खर्चा कहां लगा और हड़ताल का वहां काम किसने किया और खर्चा किसको दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ तो नये एम्प्लॉइज रखे गये थे उनको दिया । डिटेल तो इस समय मेरे पास नहीं कि खर्च किस में हुआ ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह नये एम्प्लॉइज कौन रखे गये हैं ? क्या वहां पर कोई नये आदमी रखे गये या बाहर से लाये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी सूचना यह है कि बाहर से लाये गये थे, लेकिन मेरे पास इस समय डिटेल्स नहीं हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : खर्चा किसको दिया गया है ? वह पैसा किसको दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि डिटेल्स उनके पास में नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि अजमेर के हरिजन वहां आये थे काम करने के लिए और उन्होंने तनख्वाह वहां भी उस टाइम की ली और यहां से भी उठाई यानी एक ही साथ में दोनों जगहों से ली ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर आपको जानकारी करायेंगे तो क्या पता लगाने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि बोर्ड से मन्जूरी ली गई है, वह १५ हजार की ली गई है न कि ३८ हजार रुपये की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी में यही है कि खर्चे की स्वीकृति बोर्ड से ली गई।

श्री गिरधारीलाल : मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि कुल १५ हजार की मन्जूरी ली गई थी और ३८ हजार की मन्जूरी नहीं ली गई थी। क्या यह सही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज़ किया कि मेरे पास जो जानकारी है, वह यह है कि बोर्ड की स्वीकृति ले ली गई। मैं नहीं कह सकता कि आप जो कह रहे हैं वह ठीक है। मैं इसकी भी जानकारी करूंगा।

श्री गिरधारीलाल : माननीय अध्यक्ष, सीधा सा प्रश्न है कि क्या रकम जो खर्च हुई है उसकी स्वीकृति बोर्ड से या सरकार से ले ली गई है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जवाब दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि ले ली गई है और आप कह रहे हैं कि १५ हजार की ही ली है और ३८ हजार की नहीं ली तो बाद में पूरी रकम की लेली होगी।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तारीख पूछ रहा हूँ कि किस तारीख को ली गई है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी में है कि बोर्ड की स्वीकृति ले ली गई है और आप कह रहे हैं कि नहीं ली गई है तो मैं इसकी और जानकारी करूंगा। तारीख मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : तारीख और रकम बतादें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ३८००० रु० के करीब खर्च हुए हैं और उसकी स्वीकृति उन्होंने बोर्ड से ले ली है।

श्री गिरधारीलाल : बोर्ड से जो रकम खर्च हुई है उसका हिसाब पेश नहीं किया गया है, क्या यह सही है ? और हड़ताल किस तारीख को हुई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हिसाब तैयार हो रहा है और जल्दी ही पेश हो जायगा।

श्री गिरधारीलाल : ७ महीने हो गये हैं और अभी तक पेश नहीं हुआ है। अभी तक तैयार नहीं हुआ है। ३८,००० रु० खर्च हुआ था, वह सैंक्शन नहीं हुआ, और १५,००० रु० की ही सैंक्शन ली गई।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के बारे में स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप तो बहस करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों किया और क्यों हुआ। आप आँकड़े चाहते हैं तो उन्होंने कह दिया कि तारीख पता नहीं और ३८ हज़ार खर्च किया तो उसके लिए कह दिया कि स्वीकृति ले ली गई है।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह माना जाय कि ३८ हज़ार की स्वीकृति ले ली है ? इसका उत्तर 'हां' या 'ना' में दें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

जेल में सिपाहियों एवं कैदियों की व्यवस्था

६२. **श्री मुक्तिलाल मोदी** (बैराठ) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जेल में काम करनेवाले सिपाहियों को क्या वेतन मिलता है ? उन्हें साल में कितनी वर्दियां दी जाती हैं तथा उनसे कितने घंटे काम लिया जाता है ?

(ख) जयपुर, जोधपुर तथा उदयपुर जेल में कैदियों को कितने छटांक आटा दिया जाता है ?

(ग) राजस्थान में जेल कानून स्टेट समय के ही हैं अथवा राजस्थान निर्माण के बाद नये बनाये गये हैं ?

(घ) राजस्थान जेल में कैदियों की कितनी क्लासें हैं तथा उन्हें क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

(ड.) जयपुर जेल में फैक्टरी में काम करने वालों को कितना पैसा दिया जाता है अथवा कितनी सज़ा माफ़ की जाती है ?

(च) क्या जेल के कैदियों को कोई स्पेशल डाइट भी दी जाती है या नहीं ?

(छ) जेल में शिडियुल्ड कास्ट के कैदियों से क्या काम लिया जाता है ?

(ज) कैदियों के मनोरंजन तथा लाईब्रेरी के लिये क्या प्रबन्ध है तथा सरकार ने कितना रुपया बजट में रखा है ?

(झ) एक डिस्ट्रिक्ट के कैदी को उसी डिस्ट्रिक्ट में रखा जाता है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी भेजा जाता है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जेल में काम करने वाले सिपाहियों को अलावा मंहगाई के वेतन ३०-१-५० की स्केल में मिलता है। उन्हें भरती होने के समय दो वर्दियां मिलती हैं और इसके बाद हर साल एक वर्दी मिलती है। दिन में ६ घंटे और रात में ३ घन्टे काम लिया जाता है और जब ड्यूटी पर नहीं होते हैं तो जेल की सुरक्षा के लिहाज़ से हर वक्त जेल की हद में हाज़िर रहना पड़ता है।

(ख) इन जेलों में काम करने वाले कैदियों को ११ छटांक आटा और काम न करने वाले कैदियों को १० छटांक आटा रोजाना दिया जाता है।

(ग) राजस्थान निर्माण के बाद जेल के कानून नये बनाये गये हैं जो कि राजस्थान जेल मैन्युअल में छपे हुए हैं।

(घ) कैदियों की तीन क्लासें हैं, ए, बी, सी और उन्हें उनकी क्लासीफिकेशन के अनुसार जो जो सुविधाएं दी जाती हैं, वह राजस्थान जेल मैन्युअल से अलग अलग विषयों पर अलग अलग दर्ज हैं। इसके अलावा जेलों पर अखबार, किताबें, खेलकूद का सामान, प्रारम्भिक शिक्षा, रेडियो वगैरह की सुविधाएं दी जाती है।

(ङ) जयपुर जेल फैक्ट्री में काम करने वालों को मुकर्रर किए हुए काम के अलावा काम करने पर मेन्युअल के अनुसार पैसा दिया जाता है और उनको रैमिशन जेल मेन्युअल के अनुसार दिया जाता है।

(च) हां, दीवाली, होली, इदुलफितर और स्वतंत्रता दिवस के अवसरों पर।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(छ) जेल में काम लेने में जाति का भेदभाव नहीं रखा जाता है।

(ज) जेलों में कैदियों के लिए मनोरंजन तथा लाइब्रेरी का यथासंभव प्रबन्ध है। मनोरंजन के लिए १,३५० रु० और ६०० रु० लाइब्रेरी के लिए, किताब अखबार आदि खरीदने के लिए जेलों के बजट में हुए हैं।

(झ) सज़ा की अवधि और क्लासीफ़िकेशन के लिहाज़ से कैदियों को उपयुक्त जेलों में रखा जाता है न कि डिस्ट्रिक्ट के लिहाज़ से।

श्री मुरलीधर व्यास : यहां ६ घन्टे काम क्यों लिया जाता है, ८ घन्टों की जगह ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा ही चला आ रहा है शुरू से।

श्री मुरलीधर व्यास : ६ घन्टों के बाद भी उनको वहां रहने को बाध्य किया जाता है, क्या यह फैक्ट है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वे रहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : रहते नहीं है उनको रहने को बाध्य किया जाता है। वे छोड़कर जा नहीं सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : That is right.

ठा० श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या माननीय मंत्री महोदय ने कभी व्यक्तिगत रूप से जाकर मुलाहिज़ा किया है कि ६ घन्टे के बजाय १० घन्टे काम करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : केवल ६ घन्टे रहते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : एक बार में एक ही बोलें।

श्री मुक्तिलाल : माननीय मंत्रीजी ने प्रश्न के उत्तर में बताया कि ६ घन्टे सुबह और ३ घन्टे रात में इस तरह से ६ घन्टे काम करना पड़ता है। तो इसमें १ घन्टा आने और जाने में तथा वर्दी पहनने में लगता है, इस तरह से १० घन्टे उनके लग जाते हैं जब कि दूसरे प्रान्तों के अन्दर एक साथ ही ड्यूटी ली जाती है तो राजस्थान में ही यह ड्यूटी दो दफ़ा क्यों ली जाती है ? उनके लिए क्या सरकार ज्यादा पैसा देने की सोच रही है कि दो दफ़ा ड्यूटी लेते हैं तो अलाउन्स दें या कुछ करें। उनकी हेवी ड्यूटी है।

श्री रामकिशोर व्यास : जो भी ऐसी मुलाजमत करने आते हैं, वे जानते हैं कि यह पाबन्दी है और इतने वक्त काम करना पड़ता है।

श्री मुरलीधर व्यास : वर्दियां सब को अलग-अलग दी जाती हैं या एक ही वर्दी सब इस्तेमाल करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : अलग-अलग दी जाती हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं आपकी सूचना के लिए बता दूँ कि बीकानेर के अन्दर गरम वर्दी एक ही है। एक सिपाही जाता है और दूसरा उसकी जगह आता है तो वही वर्दी पहन कर आता है।

श्री रामकिशोर व्यास : ठंडी वर्दी दी जाती है गर्म नहीं देते हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : राजस्थान में एक्ट बना जेलों का, तो सिपाही से जब कि हिन्दुस्तान के दूसरे कोनों के अन्दर एक ही दफ़ा ड्यूटी ली जाती है तो राजस्थान में ही यह चीज़ क्यों लागू है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ६ घन्टे दिन में लेते हैं और रात में ३ घन्टे। ६ घन्टे एक साथ ज्यादा हो जाते हैं।

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार) : सिपाही को जब एक ही वर्दी दी जाती है तो क्या सरकार उसको कम नहीं मानती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक वर्दी कम पड़ती है, इसलिए दो साल में ३ वर्दी की बात तय हो गई है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह जो आटे क बात कही है कि ११ और १० छटांक मिलता है तो क्या माननीय मंत्रीजी ने जाकर देखा है कि कितने कैदी इससे भूखे रहते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं जाता हूं वहां। कई दफ़ा मैंने देखा है, कि कई जेलों को देखा है कि जितना मुकर्रर है, वह उनको मिलता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उणियारा): आपने कभी रहकर भी देखा है क्या ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या माननीय मंत्री महोदय ने कभी जांच की है कि जो आटा निर्धारित है वह पेट भरने के लिए पर्याप्त है।

श्री रामकिशोर व्यास : वह डॉक्टर की राय के मुताबिक है। बहुत से लोगों की खुराक ज्यादा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि जिन लोगों की ज्यादा खुराक है उनको भूखे रहना पड़ता है।

श्री रामकिशोर व्यास : डॉक्टरों की राय के मुताबिक खुराक का स्केल फिक्स किया गया है, उसके मुताबिक उनको दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न साफ़ है कि जिन लोगों को जो आटा सैन्कशन है वह उनकी जरूरियात से कम मिलता है तो क्या सरकार यह उचित समझती है कि कैदी भूखे रहें।

श्री रामकिशोर व्यास :—भूखे नहीं रहते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर मैंने यह दिया है कि वह फिक्स्ड स्केल है उतना ही दिया जाता उससे पेट भरे या न भरे।

डॉ० चन्द्रकला : यह औसत है या कम्पलसरी है कि जितना मिले वह ले चाहे कम खाये या ज्यादा खाये।

श्री रामकिशोर व्यास : वे आपस में एडजस्ट कर लेते हैं।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : राजस्थान सरकार जब दूसरे राज्यों की तरह एक्ट बनाती है तो जेल के सिपाहियों को दो वर्दी क्यों नहीं देती है ?

श्री अध्यक्ष : वर्दी बढ़ा दी है। दो साल में ३ दे रहे हैं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : एक प्रश्न और है, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय

(श्री मदनसिंह).

ने कहा कि वहां काम के लिहाज से कोई जातीय भेदभाव नहीं है तो फिर हरिजन से ही नीचे का काम क्यों लिया जाता है ? सब कैदियों से क्यों नहीं लिया जाता है ? यह क्या व्यवस्था है आपकी सेक्युलर स्टेट की ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोई भेदभाव नहीं है ।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर महोदय ने यह बिल्कुल गलत बात कही है । टट्टी साफ़ करने का वहां पर काम भंगी से ही लिया जाता है और दूसरे कैदियों से नहीं लिया जाता है ।

श्री रामकिशोर व्यास : दूसरे इस काम को करने के लिए तैयार नहीं हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : अब आप लोग जायेंगें तो कोई भेदभाव नहीं रहेगा ।

(हंसी).

श्री मदनसिंह : अब तो आप लोग ही जायेंगे ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरी ओर से माननीय मन्त्री जी से कहना है.........

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हो गये ।

श्री मुरलीधर व्यास : जो प्रश्न रह गये हैं वे दूसरे दिन आयेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : लिखित उत्तर आ जायेंगे ।

(प्रश्न काल में न लिये जा सकने वाले प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री देवनाथ, विधान सभा सदस्य, की गिरफ्तारी सम्बन्धी सूचना

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री देवनाथ, सदस्य, विधान सभा के सम्बन्ध में सब डिविजिनल मजिस्ट्रेट, गंगानगर, ने मुझे निम्नलिखित सूचना भेजी है :

"Dear Mr. Speaker,

I have the honour to inform you that Shri Dev Nath M. L. A. Ganganagar has been arrested at 10.30 p.m. on 31.1.59 by the Deputy Superintendent of Police Shri Ganganagar under sec. 165 (a) I. P. C. in the course of offering Rs. 1900/- as bribe to the Asstt. Collector and Magistrate, Gangangar, Shri Sukhdeo Arya, at his residence.

He was immediately released on bail of Rs. 2,000/-

Yours faithfully,
febr. 1, 1959. Narendra Mohan."

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित सदस्यों ने विधान सभा की बैठक से उस समय तक के लिये जो उनके नामों के आगे निर्धारित है, अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है :

श्री हीराभाई—१६.२.५६ से सत्र के अंत तक

मेजर श्री फतेहसिंह—१६.२.५६ से २७.२.५६ तक

Page No.31

श्री शंकरलाल—१६.२.५६ से २७.२.५६ तक

क्या सदन की अनुमति है कि अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

सभापति तालिका के लिये मनोनीत सदस्य

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्न सदस्यों को सभापति तालिका (पेनल ऑफ चेयरमैन) के लिये मनोनीत किया गया है :

१. श्री आबिद अली,
२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल,
३. श्री अनोपसिंह,
४. श्री मनोहर कोठारी,

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जानेवाले पत्र।

श्री देवनाथ की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात के लिये आपसे निवेदन करूंगा कि अभी जिन माननीय सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना दी गई है। वह एक ऐसा अपराध है जिसके कारण सदन के माननीय सदस्य और उनकी संस्था पर लान्च्छन आता है। मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय की तरफ से श्री देवनाथ को आदेश दिया जाय कि वे सदन में खड़े होकर अपने चरित्र का स्पष्टीकरण करें। उनके स्पष्टीकरण न करने से सार्वजनिक क्षेत्र में लांच्छन लगता है जिससे नीचा मुँह करना पड़ता है मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि आपकी तरफ से और सदन के नेता की तरफ से हस्तक्षेप करके स्पष्टीकरण कराया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसे स्वीकार किया जा सकता है। जब कि यह मामला कोर्ट के विचाराधीन है............

एक माननीय सदस्य : विचाराधीन कोर्ट के नहीं है।

श्री अध्यक्ष : (जारी) कोर्ट के विचाराधीन नहीं है तो अब चला जायगा, मामला सब-जुडिस है, चालान पेश है। यही मंशा है कि अदालत के सामने मामला पेश किया जाय। ऐसी स्थिति में यह उचित नहीं होगा कि आपकी मांग स्वीकार की जाय। जहां तक गृह मन्त्री और राज्य पक्ष का प्रश्न है, उनको यदि इससे ज्यादा सूचना मिलेगी और वे उचित समझेंगे तो माननीय सदस्यों को सूचना दे देंगे।

श्री श्रीभानसिंह : जब कि केस कोर्ट में रजिस्टर नहीं हुआ है तो माननीय सदस्य को यह सुविधा है कि वे स्टेटमेन्ट दे सकते हैं डिमान्ड करें तो, क्योंकि चालान पेश नहीं हुआ है इसलिये वे स्टेटमेन्ट दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : यदि ऐसी बात माननीय सदस्य की ओर से आयेगी तो विचार करेंगे।

श्री तनसिंह (बाड़मेर): एस. डी. एम. गंगानगर ने कब इत्तला दी ?

श्री अध्यक्ष : Letter dated-Ganganagar First February, 1959.

Page No.32

श्री भैरोंसिंह : क्या गृह-मन्त्रीजी यह स्पष्टीकरण करेंगे कि उन्होंने कितने रुपये रिश्वत में दिये थे और किस व्यक्ति को दिये ?

श्री अध्यक्ष : इस समय इस पर बहस उपयुक्त नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : मैं बहस नहीं करना चाहता हूं लेकिन एक इम्पोर्टेन्ट प्रश्न यह है कि इससे इन्डिविज्युअल ही नहीं बल्कि लेजिस्लेचर भी इन्वोल्व्ड है, इसलिये लेजिस्लेचर एक कमेटी बनावे जो कोड ऑफ कंडक्ट ड्रॉ-अप करे कि मेम्बर्स को क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। यदि उपयुक्त समझें तो इस पर विचार करें।

सदन की मेज़ पर रखे गये अध्यादेश

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लैंड एक्विज़िशन (संशोधन) अध्यादेश, १९५९ (अध्यादेश संख्या १, १९५९) सदन की मेज़ पर रखता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं नाथद्वारा टैम्पल अध्यादेश (अध्यादेश संख्या २, १९५९) सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन रूल्स, १९५९ के अन्तर्गत विज्ञप्ति

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता विभाग विज्ञप्ति संख्या एफ ५ (१२१) कोओप /५७, दिनांक ६ जनवरी, १९५९, जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन रूल्स, १९५७ के नियम ३ व ११ में संशोधन किया गया है, सदन की मेज़ पर रखता हूं।

राजस्थान मोटर विहिकल्स रूल्स, १९५७ के अन्तर्गत सदन की मेज़ पर रखी गई विज्ञप्ति

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, मैं होम (बी) विभाग विज्ञप्ति संख्या डी. ७२०५। एफ १६।१ (१) एचटूबी ५७ दिनांक ८ नवम्बर, १९५८, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर-विहिकल्स रूल्स, १९५१ के नियम ५२ में संशोधन किया गया है, सदन की मेज़ पर रखता हूं।

सदन की मेज़ पर रखी गई राजस्थान सप्रेशन ऑफ़ इम्मोरल ट्रैफिक इन वीमेन एण्ड गर्ल्स नियमावली १९५८

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड गर्ल्स रूल्स, १९५८, की एक प्रति सदन की मेज़ पर रखता हूं।

सदन की मेज़ पर रखे गये अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री धर्मेन्द्र परिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैं गत सत्र में विधान सभा द्वारा पारित उन विधेयकों का विवरण, जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, सदन की मेज़ पर रखता हूं।

वे विधेयक जिन पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है :

1. The Rajasthan WareHouses Bill, 1957.

Page No.33

(श्री धर्मेन्द्र परिहार)

2. The Ajmer Abolition of Intermediaries and Land Reforms (Amendment) Bill, 1958.

3. The Rajasthan Suits Valuation Bill, 1958.

4. The Rajasthan General Clauses (Amendment) Bill, 1958.

5. The Rajasthan Sales Tax Validation Bill, 1958.

6. The Motor Vehicles (Bombay Amendment) Repealing (Amendment) Bill, 1958.

7. The Rajasthan Jagirdars debt Reduction (Amendment) Bill, 1958.

8. The Rajasthan Tenancy (5th Amendment) Bill, 1958.

वे विधेयक जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है ।

1. The Rajasthan Animal Diseases Bill, 1958.

2. The Rajasthan Land Revenue (6th Amendment) Bill, 1958.

3. The Rajasthan Tenancy (4th Amendment) Bill, 1958.

4. The Rajasthan Appropriation (No. 3) Bill 1958.

अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की प्रस्तुति एवं वाद–विवाद

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं

"कि इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए जो कि उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

अध्यक्ष महोदय, अभी दो दिन पूर्व हमारे राज्य के राज्यपाल महोदय ने इस विधान सभा में अभिभाषण दिया था । आम तौर पर यह परंपरा है कि बजट अधिवेशन का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व राज्यपाल महोदय राज्य की रीति नीति और कार्य क्रम के बारे में कुछ प्रकाश डालते हैं । इस परम्परा के अनुसार अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने इस बार भी हाउस में भाषण दिया । किन्तु मेरी अपनी राय में उनके इस भाषण और पहले के भाषण में बहुत बड़ा अंतर है । इस बार जैसी कि देश में एक प्रकार की चर्चा है कि नये प्रकार से हिन्दुस्तान का निर्माण हो रहा है उसकी रूप रेखा राजस्थान में क्या होगी और किस प्रकार का समाज हम बनाना चाहते हैं और उसके लिये कार्यक्रम क्या होगा इस पर विशेष रूप से चर्चा की गई है ।

मैं, अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण को मोटे तोर से तीन हिस्सों में विभक्त करता हूं । पहला तो वह हिस्सा है जिसमें उन्होंने हमारी सफलताओं पर विवेचन किया है । दूसरी चीज़ उन्होंने जो कही है वह है हमारे काम की भावी रूप रेखा और तीसरा हिस्सा है हम किस प्रकार के राजस्थान का निर्माण करना चाहते हैं इसका चित्र दर्शन ।

माननीय अध्यक्ष, पहले हिस्से में राज्य–पाल महोदय ने राजस्थान में डवेलपमेन्ट या विकास और उसकी सफलताओं के बारे में और प्रान्त की व्यवस्था के बारे में चर्चा की है ।

(श्री हरिदेव जोशी)

हम जानते हैं अध्यक्ष महोदय, कि हमारा राजस्थान एक ऐसे स्थान पर अवस्थित है जहां लगभग साढ़े सात सौ मील की सीमा पाकिस्तान से मिलती जुलती है। राजस्थान की जो ऐतिहासिक, राजनैतिक परिस्थितियाँ रह 'हैं, उनमें और इस सीमा के मिलने के कारण से कुछ ऐसी स्थितियां रही हैं कि राजस्थान बनने के बाद हमारा जन जीवन काफी अशांत और आतंकपूर्ण रहा था। हम उन दिनों को नहीं भूल सकते जब राजस्थान का निर्माण होते ही गांवों में, शहरों में लोगों का रहना मुश्किल हो गया था। डकैतियों की घटनाओं से, अशान्ति फैलाने वाली घटनाओं से, मार काट और लूटपाट के कारण यहां का जन जीवन काफी अशांत और आतंकित था। गो कि आज जो स्थिति हम देखते हैं वह एक दिन के प्रयत्नों का या एक वर्ष के प्रयत्नों का परिणाम नहीं, यह राजस्थान बनने के बाद निरन्तर किये गये प्रयत्नों का परिणाम है कि डाकू मार दिये गये अथवा डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। पर जो आलोच्य वर्ष रहा है, उसमें इन सारी चीज़ों को गौर करके देख सकते है। एक तरफ राजस्थान के पूर्व में चम्बल की घाटियों में मानसिंह का दल सक्रिय था, दूसरी तरफ उसके पश्चिम की तरफ दूसरे दल काम करते आ रहे थे, जोधपुर और उसके आस पास के हिस्सों में काफी लोग अब भी कल्याणसिंह के नाम से आतंकित रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे उन नौजवानों ने राजस्थान की/ उस स्थिति पर काफी काबू पाया और आज कल्याण—सिंह इस संसार में नहीं है। इसका एक मात्र कारण था कि राजस्थान सरकार की निश्चित नीति के अनुसार हमारे पुलिस दल ने उनका सफाया करने का निश्चय किया और आज हम यह समझते हैं कि जोधपुर और उसके आस पास के हिस्से उसके आतंक से रहित हैं। डाकुओं से जन-जीवन क्यों आंतकित था, मैं इस विगत में नहीं जाना चाहता। पर लगभग ऐसा कह सकता हूँ कि राजस्थान पिछले वर्षों की अपेक्षा काफी अच्छा है और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में जिनमें कि डाकुओं का आतंक था, काफी सुधरा हुआ है।

राज्यपाल महोदय के भाषण के बाद उन बातों में अधिक विस्तार में जाने का मैंने विचार किया तो मैंने देखा कि सन् १६४६ में राजस्थान में ३६३ डकैतियां हुई, उसके मुकाबले में सन् १६५८ में ७५ डकैती की घटनाएं हुई। इसमें जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया राजस्थान की कमियों को, डकैतियों को कम करने में कोई एक दिन में किये गये प्रयत्न को श्रेय नहीं है, या इसका श्रेय एक वर्ष में किये गये प्रयत्नों को नहीं है, यह सब निरंतर किये गये प्रयत्नों का परिणाम है। फिर इसका श्रेय हमें उनको देना चाहिये जिन्होंने डाकुओं का सफाया करने में अपने प्राणों को न्यौछावर किया। इस मौके पर मैं जोधपुर के स्वर्गीय एस. पी. श्री ताराचन्दजी का नाम नहीं भूल सकता, अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा कर कल्याणसिंह के दल का सफाया करने में अपने आपको होम दिया। राजस्थान को गर्व है ऐसे पुलिस अधिकारियों पर, चाहे वे अधिकारी हों, चाहे नागरिक हों अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए जो बलिदान होते हैं, वे अपने पीछे अपना एक इतिहास छोड़ जाते हैं, ऐसे कार्यों ने एक बड़ी छाप जन मानस पर छोड़ी है।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने

Page No.35

(श्री हरिदेव जोशी)

इन सब चीज़ों की व्याख्या करते हुए, हमारे विकास कार्यों का, और कार्यक्रमों का और सफलताओं का उल्लेख किया है। अध्यक्ष महोदय, हम यह जानते हैं, पिछले दिनों हम बराबर अखबारों में पढ़ते आ रहे हैं कि राजस्थान प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है, इसके साथ ही साथ जो इसको आगे बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और पिछले साल के जो आंकड़े राजस्थान सरकार ने प्रकाशित किये हैं वे काफ़ी उत्साह वर्धक हैं। राज्यपाल महोदय ने जो विगत दी है वह भी काफ़ी उत्साह वर्धक है। माननीय अध्यक्ष, राजस्थान, हिन्दुस्तान के उन ६ राज्यों में से एक है, जिसने कार्य पूरा किया है एक्सपेन्डीचर साइड में, ६ राज्यों में से राजस्थान एक है। हमारे ५८–५६ के जो टार्गेट्स थे, उनमें से ६ मदों में से ७ मदों में हम लोगों ने अपने टार्गेट्स को पूरा किया है और कुछ मद ऐसे हैं जिनमें हमसे दूसरे बहुत ही पीछे रहे हैं, यह नीति निश्चित रूप से उत्साह वर्धक है, पर हम दूसरे राज्यों के मुकाबले में काफी पीछे हैं और हमारा रुपया, हमारी खर्चे की औकात को देख कर अलॉट किया गया है। इसमें शक नहीं कि हमें और अधिक, प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जहां दूसरे अधिकारी राजस्थान की प्रशंसा करते हैं, वहां हमें गर्व होता है। अभी पिछले दिन सुरक्षा मंत्री श्री कृष्णा मेनन ने जोधपुर में भाषण देते हुए बयान दिया था कि जो कम विकसित और अर्ध विकसित क्षेत्र हैं उन्हें राजस्थान से शिक्षा लेनी चाहिये कि विकास कार्यों में कैसे सफलता पाई जा सकती है। ऐसी उत्साह वर्धक बातें निश्चित रूप से हमारे उन प्रयत्नों का फल हैं जो राजस्थान सरकार, अधिकारी और जनता मिल कर, इस प्रान्त को ऊपर उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पर अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रयत्न आज भी काफी अधूरे हैं और हमें आगे बढ़ना है। मैं इसको संतोष की बात नहीं मानता, मैं उस स्वप्न को देख कर चलता हूँ कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद में राज्यवार सूची टंगी हो तो उस सूची में राजस्थान का नम्बर पहला हो। यह हमारी आकांक्षा है और यदि राष्ट्रपति किसी राज्य को शील्ड देते हैं तो राजस्थान का डेवलपमेंट कमिश्नर उस शील्ड को लेने को सबसे पहले तैयार हो, यह हमारी महत्वाकांक्षा है। क्योंकि जितना ही हम कार्य करेंगे उतने ही इस प्रान्त के लोग बढ़ सकेंगे। इसके लिये हमें नई चीजों को अपनाना पड़ेगा।

एन. ई. एस. और सी. बी. ब्लॉक्स में हमारा परिणाम काफी अच्छा रहा है और केन्द्रीय अधिकारियों ने हमारे कार्य की प्रशंसा की है पर और भी सुधारों की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर विलेज लेवल वर्कर्स, एक्स्टेन्शन ऑफिसर्स और बी. डी. ओज़ हैं, उनका सिलेक्शन काफी अर्से पहले कर लें और जब हमारे ब्लॉक्स किसी क्षेत्र में खोले जावें उसके साथ ही साथ सारा का सारा स्टाफ वहां पर पहुँच जावे। ऐसा नहीं हो कि दो महीने बाद वहां पर डेवलपमेंट वर्कर्स पहुँचे और चार महीने के बाद दूसरे ऑफिसर पहुँचे। जिस प्रकार की आकांक्षाओं को लेकर हम चलते हैं उसमें काम अधिक तेज़ी से हो। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, हम किसी स्थान पर यह समझते हैं कि इतनी स्कूलें खोली जावें। अगले वर्ष का हमारा प्रोग्राम है किसी स्थान पर २०० स्कूलें खोलने का, उस संबन्ध में यदि हम पहले से ही यह निश्चित कर लें कि इन स्कूलों के लिये इतने टीचर्स चाहिये और कहां-कहां पर खोलना है

Page No.36

(श्री हरिदेव जोशी)

और सबको समय से पहले अमुक स्थानों पर पहुँचने की सूचना दे दें, तो निश्चित रूप से जो समय टीचर्स को पहुँचने में लगना चाहिये, वह नहीं लगेगा और वहां पर काम जल्दी शुरू हो जावेगा। इस तरह से अभी जो हम लिस्ट के पांचवे या छठे नम्बर पर हैं, आगे और बढ़ सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से आज हमारा जो प्रगति का क्रम है, इससे ज़्यादा हो सकता है और जो कुछ प्रगति हमने की है वह संतोष करने के लिये काफ़ी नहीं है। इसलिये हमें और सक्रीय होने की आवश्यकता है।

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में तीन चार पॉलिसियों की भी घोषणा की है और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी निगाह में है वह एक तो सहकारी संयुक्त कृषि प्रणाली की और दूसरी शासन शक्ति के विकेन्द्रीकरण की।

अध्यक्ष महोदय, आज जब से प्रांतीय शासन ने इस देश में समाजवादी समाज की रचना के बारे में निर्णय लिया है तब से लेकर इस देश में मनमंथन होता आ रहा है कि हमें किस प्रकार के समाज की रचना करनी है। हमारा आर्थिक ढांचा कैसा हो? हिन्दुस्तान की आज़ादी के बाद में हमारा ध्यान इस व्यवस्था की ओर गया जिसको हम शासन व्यवस्था कहते हैं। हमने राजाशाही समाप्त की, जागीरदारी समाप्त की और उसका तात्पर्य यही था कि जनता और शासन के बीच में मध्यवर्तीय नहीं रहना चाहिये। आज किसानों और सरकार के बीच में मध्यवर्तीय लोग थे वे जागीरदारी उन्मूलन के बाद खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में हमारा ध्यान जाता है किसानों की आमदनी की तरफ़, जो उनकी प्रोड्यूस है, उसकी तरक्की हो। इसमें किस प्रकार से बढ़ोतरी की जावे और किस प्रकार से कार्य किया जावे जिससे शोषण की मात्रा कम से कम रह जावे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे बड़े बड़े महा-ऋषियों ने इस दिशा में काफी विचार विनिमय किया है और काफी समझदार लोगों ने विचार प्रकट किये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारा असली लोकतन्त्र को कायम करने का आधार है तो हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिसमें हम यह समझें कि जो किसान हैं, किसानों का नाम मैं बार-बार लेता हूं और वह इसलिये लेता हूं कि हिन्दुस्तान में किसान ही ज़्यादा से ज़्यादा समय काम करने वाले और उत्पादन करने वाले आदमी माने जाते हैं। हिन्दुस्तान में मुख्य धन्धा खेती है यहां उद्योगीकरण नहीं है। किसानों पर ही हमारा आर्थिक ढांचा रहता है, वह किसान किस तरह से ऊंचा उठे, उसका उत्थान हो और उसकी मेहनत और प्रोड्यूस की पूरी कीमत मिले। इसलिये हमारे देश के नेताओं ने यह निश्चय किया है कि हम लोग सहकारिता के आधार पर खेती को माध्यम बनावें। इसमें कई लोगों का मत भेद है। मैंने आज के ही अखबार में पढ़ा कि मि० मसानी कहते हैं कि यदि सरकार सहकारिता के आधार पर खेती के लिये आग्रह करती रही तो देश में गृह युद्ध हो जावेगा। मैं उनके विचारों पर किसी प्रकार से तरजीह देने की बात नहीं करता लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि उनके विचारों से अधिक लोग सहमत नहीं हैं। जो कदम उठाये गये हैं काफी वज़नदार हैं, काफी सोच समझ कर

(श्री हरिदेव जोशी)

निर्णय लिया गया है और जो निर्णय लिया गया है वह अच्छा है और इससे देश प्रगतिशील होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, इसमें विचारों में भेद हो सकता है, आज हम ऐसे चोराहा पर आकर खड़े हुए हैं और आज हमें यह देखना है और निर्णय करना है कि हमें किन लोगों को बल देना चाहिये। आया उनको बल देना चाहिये जो किसानों का शोषण करते हैं और उनके शोषण पर निर्भर रहना चाहते हैं अथवा उन पर बल देना है जो शोषण पर आधारित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिस समय हमने राजाशाही को खत्म करने की सोची, जागीरदारी उन्मूलन की बात सोची, उस समय किसी के दिमाग में यह नहीं था कि यह होगा। किसी तबके के साथ हमारा मनमुटाव नहीं था, यह मैं कह देना चाहता हूं। लेकिन बहुत से लोगों का फायदा करना हमारा उद्देश्य था और आज भी सामूहिक खेती को इसीलिये चाहते हैं कि देश आगे बढ़े और ऊंचा उठे और आज की अपेक्षा उनका कई गुणा ज़्यादा उत्पादन बढ़े। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं कि जब एक प्रकार की व्यवस्था समाप्त होती है और दूसरी व्यवस्था लागू होती है तब जिन पर छींटे पड़ते हैं वे बोखलाते हैं और उनके अन्दर एक प्रकार की प्रतिक्रिया पैदा होती है। अध्यक्ष महोदय, आज कई प्रकार के उथल-पुथल जब हम देखते हैं और जब ज़माना आगे बढ़ने लगता है तो हमें भी उसके साथ आगे बढ़ना चाहिये। लेकिन जो लोग लकीर को पकड़े रहना चाहते हैं वे भी छोड़ जाते हैं। इसलिये निश्चित रूप से जो ज़माने के साथ नहीं चलना चाहते वे पीछे रह जावेंगे और बाद में यही कहेंगे कि यह बुरा किया है, वह बुरा किया है। यह आवाज़ देंगे और आपको यह आवाज़ एक बार सुनाई देगी लेकिन जब लोग बहुत आगे बढ़ जावेंगे तो फिर यह आवाज़ नहीं सुनाई देगी। एक पुरानी घटना है। राजस्थान में जब हम जागीरदारी उन्मूलन को लेकर चले थे उस समय एक आवाज़ सुनाई दी थी और वह आवाज़ मैं कहूंगा कि काफ़ी समझदार लोगों की थी जो यह कहते थे कि राजस्थान में जागीरदारी उन्मूलन से यह हो जावेगा, वह हो जावेगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो लोग जागीरदारी उन्मूलन नहीं करने के पक्षपाती थे, अथवा जागीरदारों को स्थान देते थे वे यह कहते हैं कि समय के अनुसार कदम नहीं उठाये होते तो हिन्दुस्तान के लोग दूसरे देशों के दौर में बहुत पीछे रह गये होते। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आज समय की मांग है और समय की मांग क्या है उसको पहिचानना आज की आवश्यकता है। उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना होगा और प्रगतिशील कदम बढ़ाये जा रहे हैं उसमें सहयोग दें।

माननीय अध्यक्ष, अभी हमारे सदन के समक्ष सीलिंग बिल उपस्थित है और उसके बारे में भी कुछ सदस्यों की सिलेक्ट कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी में उस बिल पर विचार हो रहा है और शायद थोड़े दिनों में, इसी सत्र में, हमारे समक्ष वह बिल आवेगा। इसमें यह दलील दी जाती है कि जब राजस्थान में काफी भूमि है तो फिर ज़मीन पर सीलिंग की क्या आवश्यकता है। बहुत मुमकिन है कि आंकड़ों के ज़रिये इसको बताने की कोशिश करें कि इसकी आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसा मानते हैं और मुझे उनकी ईमानदारी में शक नहीं है। मगर मैं अध्यक्ष महोदय, फिर यही निवेदन करूंगा कि

(श्री हरिदेव जोशी)

सामाजिक न्याय की मांग है । इसमें क्या दावा है कि एक आदमी के पास १७ हज़ार बीघा भूमि रहे और दूसरे के पास एक बीघा भी नहीं हो। क्या दलील है इस बात के अन्दर कि एक आदमी को तो भर पेट रोटी न मिले और दूसरा आदमी अधिक से अधिक उसका अपव्यय करता चला जाय। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिस ज़मीन पर ज़्यादा खेती आज नहीं हो रही है, अन्नोत्पादक है, उसको उत्पादक बनाना चाहते हैं, जो ज़मीन खेती में नहीं आयी है उसको खेती में लाना चाहते हैं, जिनके पास ज़्यादा है उनसे लेकर जिनके पास बिलकुल नहीं है, उनको देना चाहते हैं, ये सारे के सारे कदम एक साथ उठाये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा कहा जा रहा है कि सीलिंग के कारण से उत्पादन घटेगा। राजस्थान सरकार ने सीलिंग ओन लैंड के लिए एक बिल इन्ट्रोड्यूस किया है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि २४०० रु० की आमदनी की ज़मीन एक परिवार के पास रहने दिया जाय। सीलिंग है वह खुद आमदनी पर है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको कई अगुआओं ने भी स्पष्ट किया है। राजस्थान में भूमि की किस्म अलग-अलग होने से आमदनी का स्तर भी अलग-अलग है। इसलिए २४०० रु० की आमदनी को एक बेस मान कर आगे बढ़ना चाहते हैं। यह नहीं है जैसे मान लिया जाय कि मेरे पास पांच बीघा ज़मीन रहने दी जाय, तो मैं उसकी २४०० रुपये ही आमदनी रहने दूंगा, उसको बढ़ा नहीं सकूंगा। सीलिंग का दृष्टिकोण यह है कि आवश्यकता से अधिक यदि आदमी के पास चीज़ रहती है तो वह उत्पादन करने में सक्रिय नहीं रहता है लेकिन यदि कम चीज़ होती है और आवश्यकता अधिक हो तो वह उत्पादन की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए यह देखा गया है कि जिनके पास होल्डिंग कम है फिर भी उन्होंने उत्पादन क्षमता को और बढ़ाया है लेकिन जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है और उन्होंने उत्पादन कम करने की कोशिश की है तो उन्होंने देश की उत्पादन की क्षमता में तो कमी ही की है। इन सारे दृष्टिकोणों से ज़मीन पर सीलिंग लागू करेंगे, सहकारिता के आधार पर खेती करेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक गांव में कोओपरेटिव सोसाइटी हो, प्रत्येक गांव में पंचायत हो, और......

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मेम्बर्स का भी सिलिंग हो जाय, ज़्यादा हैं।

श्री हरिदेव जोशी : आपका भी मौका आयगा। तो, हम प्रान्त में ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इस प्रदेश में शासन की शक्ति का विकेन्द्रीकरण हो, ग्राम पंचायतें उनको चलायें। वे इस बात की ज़िम्मेदारियां ले लें और तरक्की के दौर में समान भागी बन सकें। इसी तरह से किसान की खेती की उपज को अपने हाथ में ले लें और कमी को पूरा करें। आज अशिक्षा का दौर दौरा है उसको दूर करने का फैसला करें। यदि इन तीनों चीज़ों की व्यवस्था कर सकेंगी तो हम प्राथमिक बातों की आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे जिसके आधार पर समाज की मूल-भूत बातें तय करना चाहते हैं। एक किसान को इस बात की गारंटी दे दें कि वह जितना श्रम करता है, लगाता है, उसका सही रिटर्न उसको मिल सकेगा। इसलिए हर आदमी के लिए एक

(श्री हरिदेव जोशी)

प्रकार से यह सहूलियत पैदा कर दें कि उसको अपने श्रम का सही रिटर्न मिल जाय। इन सारी चीज़ों के अन्दर, सर्विस कोऑप-रेटिव चीज़ को मुख्यतः आधार मान कर सरकार कार्य करेगी। राज्य सरकार का यह कार्य काफी स्तुत्य है और उसके लिए वह बधाई की पात्र है।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में जहां ऐसी चीज़ें कही हैं, जिनमें से एक है बलवन्त राय महता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ज़िला परिषद् और तहसील परिषदों की स्थापना करना। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि कई लोगों के दिमाग में और अच्छे २ लोगों के दिमाग में यह बात बैठी है कि ग्राम पंचायतें अपना शासन अपनी तरफ से अच्छी तरह नहीं चला सकती हैं। कई महानुभाव यह जानते है और महसूस करते हैं कि पंचायतें अच्छे ढंग से काम नहीं करती हैं, उनमें पढ़े लिखे लोग नहीं मिलेंगे इसलिए गड़बड़ियां होती हैं। यह हुआ, वह हुआ, आदि छोटी मोटी चीज़ों को लेकर लोग उनमें संदेह करने लग गये हैं। जब अंग्रेज़ हिन्दुस्तान से जाते हैं वे कहते हैं कि हिन्दुस्तान में पढ़े लिखे अधिक नहीं है इसलिए शासन का कार्य नहीं चला सकेंगे। मुझे क्षमा किया जाय, अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की संसद में पिछले दिनों, यदि मैं गलती नहीं करता हूं, मैंने पढ़ा है कि एक सदस्य ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं और उन्होंने हस्ताक्षर की जगह अंगूठा लगाया था। जिस रूप में आज हिन्दुस्तान में, चाहे पंचायत में हो, चाहे विधान सभा या संसद में हो, हम प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारा जिस प्रकार का यह समुदाय है, समाज है, चाहे वह संसद् हो चाहे विधान सभा हो और चाहे पंचायत हो, उसमें प्रतिबिम्ब देखते हैं कि हम किस प्रकार से हैं और कैसे हैं। स्थिति यह है कि कौन लोग काम करें और कौन लोग शासन करें? आया चुने हुए आदमी अपनी तरफ से अधिक योग्य मानते हैं अथवा वे लोग जिनके लिए काम किया जाना है, वे लोग ज़िम्मेदारी लेते हैं या चन्द लोग ज़िम्मेदारी लेते हैं, जो निश्चित रूप से ज्यादा पढ़े लिखे है। यह उनकी दलील कि पंचायतें काम नहीं कर सकती हैं, अध्यक्ष महोदय, तो फिर विधान सभा भी काम करने लायक नहीं मानी जावेगी और संसद् भी इसी दलील के अनुसार अयोग्य ठहराई जा सकती है। जिस प्रकार हमारा हिन्दुस्तान है, जिस प्रकार हमारा शिक्षण है और हमारे लोग हैं उनको उसी प्रकार की जिम्मेदारियां देनी चाहिये। नागपुर अधिवेशन में पं० नेहरू ने कहा था कि यदि ग्राम पंचायत का पंच गलती करता है तो मैं उसको दूसरा मौका देने के लिए तैयार हूं क्योंकि वह तो छोटी गलती करेगा और मैं यदि प्रधान मंत्री गलती करूंगा तो देश को ही डुबो दूंगा। कहने का मतलब यह है कि आज इस बात की आवश्यकता नहीं है कि चोटी के लोग ही बैठ कर निर्णय करें और अपना दिमाग लड़ायें और दूसरे लोग समाज के अन्दर बैठे पशु की तरह देखते रहें। यदि यही होना था तो फिर राजाओं के ऊपर और अंग्रेज़ी हुकूमत के ऊपर, उनकी दया पर मुनस्सर रह कर इन्तज़ार कर सकते थे कि वे हमारी तरक्की करेंगे, हमको ऊपर उठायेंगे, फिर तो प्रजातन्त्रीय शासन की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन लोक शक्ति में विश्वास करते हैं तो फिर जनता की

(श्री हरिदेव जोशी)

शक्ति में विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास करते हैं तो जनता पर ज़िम्मेदारी डालनी होगी। राज्य सरकार का यह निर्णय कि वह ज़िला परिषद् और पंचायत समूह का निर्माण करेगी, मैं इसको स्वागत के योग्य मानता हूं। जब आदमी यह महसूस करेगा कि शासन में उसकी कुछ आवाज़ है, वह आवाज़ जब उसको महसूस होती है कि हमारे हाथ में निर्णय लेने की शक्ति है तो वह गलती करके भी आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जब हम यह महसूस करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जब अपने आपमें सक्षम समझेगा, अपने निर्णय द्वारा अपने गांव और प्रदेश का हित कर सकता है तो वह सहयोग देने के लिए आगे आयेगा। इसी विचार से राजस्थान सरकार ने २ अक्टूबर के दिन ज़िला परिषदें कायम करने का निश्चय किया है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। लेकिन कुछ प्रिकोशन्स, सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। जो लोग चुन कर आते हैं, उनको सही मार्गदर्शन, सही गति न देने से वे लोग जितना काम किया जाना चाहिये, नहीं करते हैं। प्रतिनिधि संस्था हमारे म्युनिसिपल बोर्ड भी हैं। आज राजस्थान में यह स्थिति है कि कुछ म्युनिसिपैलिटियों ने हिम्मत के साथ टैक्सेज़ लगा कर अपने गांव, कस्बे, शहर की तरक्की करने की कोशिश की है लेकिन राजस्थान में ऐसी शहर की म्युनिसिपैलिटियां हैं, जिनके प्रतिनिधि आगे नहीं आते हैं और कोशिश नहीं करते हैं कि उन पर जो ज़िम्मेदारी डाली गई है उनको निबाह सकें। मैंने पिछले दिनों कम्पेरेटिव स्टेटमेन्ट देखा था पर केपिटा टैक्सेज़ का, जिसमें पहला नम्बर आता है डूंगरपुर का, जहां ६.३२ है, दूसरा नम्बर आता है करनपुर का, जिसका ६.१८ है, तीसरा नम्बर आता है गंगानगर का, जहां ८.६६ है, चौथा नम्बर आता है भीलवाड़ा का, जहां ८.५५ है और फिर आता है अलवर का नम्बर जहां ८.४६ है। इसके मुकाबले अध्यक्ष महोदय, बीकानेर और भीलवाड़ा आता है जहां १०.६ पर केपिटा टैक्स लागू है। जयपुर में तीन रुपया प्रति व्यक्ति टैक्स है और सीकर में दो रुपया। इस प्रकार की स्थिति म्युनिसिपल टैक्सों की है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम इन म्युनिसिपैलिटियों की स्थिति को देखते हैं तो हमें एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई देता है। ये म्युनिसिपेलिटियां राजस्थान सरकार से सबसिड़ी के रूप में सहायता की याचना करती हैं, वह मिल जाने पर भी नल और बिजली के बिलों का भुगतान उन म्युनिसिपैलिटियों द्वारा नहीं हो पाता। इसको अगर हम देखें तो हमें यह साफ तौर से विदित होगा कि बड़े-बड़े शहरों की म्युनिसिपैलिटियों ने कम टैक्स लगाया है और छोटे छोटे कस्बों की म्युनिसिपैलिटियों ने ज़्यादा टैक्स लगाये हैं। और मुकाबले शहरी म्युनिसिपैलिटियों के काम भी ज़्यादा वहां हुआ है। जब बड़े शहरों की म्युनिसिपैलिटियों को टैक्स लगाने की बात कहते हैं तो वे स्तीफा दे देने की बात करते हैं या हड़ताल करवा देने की बात करते हैं। इसके अलावा सरकार से वे कहते यह हैं कि हमें सबसिड़ी और सहायता ज़्यादा दी जाय। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राजस्थान सरकार ऐसी म्युनिसिपैलिटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देती चली जाती है और जब इस बारे में राजस्थान सरकार से बात करते हैं तो उनका यह कहना है कि हम क्या करें, बिजली और पानी तो बन्द नहीं कर सकते, बिजली और पानी तो देते रहना ही पड़ता

(श्री हरिदेव जोशी)

है और इसके अलावा सबसिडी इसलिये भी देनी आवश्यक हो जाती है कि मेहतरों को समय पर वेतन मिल जाय। इस प्रकार की सबसिडी तीन प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार की स्थिति है, आज कल हमारी म्युनिसिपैलिटीज़ की। इसलिये जब हम जिला परिषदें कायम करने जा रहे हैं तो हमें इस प्रकार के प्रिकॉशन्स लेने हैं कि जिस प्रकार के काम आज कल म्युनिसिपैलिटीज़ में हमें देखने को मिलते हैं उस प्रकार का वातावरण उन ज़िला परिषदों और पंचायतों में पैदा न हो, इस प्रकार का मार्ग दर्शन कराने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, आज हम विकास के युग में से गुज़र रहे हैं। इस युग के अन्दर जो लोग हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे वे बाज़ी जीत ले जायेंगे और अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकेंगे। इस दृष्टि से हमारा पिछला वर्ष काफ़ी अच्छा रहा है गो कि हम कुछ आवाजें इस सदन में और कुछ समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। किसी फैक्ट्री को लोन की मन्ज़ूरी दे देते हैं तो उसके खिलाफ़ यह आवाज़ सुनने को मिलती है कि इसमें भ्रष्टाचार हो गया। हम किसी इन्डस्ट्री को किसी प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं तो हमारे कुछ मित्रों को उसमें पक्षपात दिखाई देता है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि राजस्थान सरकार के जितने भी इनवेस्टिमेन्ट्स हैं उनमें से अधिकांश इन्वेस्टिमेन्ट्स फाइनेन्स कमीशन द्वारा सुरक्षित करार दिये हुए हैं, हमें उसका डिवीडेन्ट मिलता है उसका इन्टरेस्ट मिलता है। इसके अलावा कुछ इनवेस्टिमेन्ट निश्चित रूप से ऐसे हैं जिनमें से अधिकांश भूतपूर्व सरकार के रियासतों के एकीकरण से पूर्व के हैं जिनमें हमारा धन सुरक्षित नहीं हैं। इसलिये आज इस बात की आवश्यकता है कि राजस्थान किस प्रकार से तरक्की करे। यह औद्योगीकरण की दृष्टि से किस प्रकार आगे बढ़े, इन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमें सोचने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि इन्वेस्टिमेन्ट करने वाले कम लोग हैं और राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वह सारा का सारा पैसा अपने कोष में से लगाये। जो भी पैसा नियोजित है उसकी एक-एक पाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये किस प्रकार काम आयगी, यक सब निश्चित किया हुआ है इस प्रकार से छोटे-मोटे उद्योगों के लिये पैसा नहीं रह जाता है वैसी हालत में प्राइवेट सैक्टर यदि पैसा लगाते हैं तो हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है। यदि इस प्रकार के कार्य करने पर कुछ लोग शंका पैदा करते हैं यदि राज्य सरकार भी उनकी भावनाओं के पीछे बह जाय तो राजस्थान निश्चित रूप से पिछड़ जायगा और आखिर वह दिन भी आयगा और हमें अपने किये पर पछताना पड़ेगा और भावी पीढ़ियां जिसके लिये हमें दोषी ठहरायेंगी और कहेंगी कि राजस्थान के लोग कितने संकुचित थे, कितने संकुचित दृष्टिकोण से काम लेते थे जिसके कारण हम आज औद्योगिक क्षेत्र में इतने पिछड़े रह गये।

आज भाखरा की बिजली हमें मिलने वाली है, चम्बल की बिजली मिलने वाली है; इसके अलावा अर्बन और रूरल इलेक्ट्रिसिटी स्कीम्स के तहत और भी कामयाबी होने वाली है। भाखरा और चम्बल से जो बिजली मिलने वाली है उसके अन्दर जो प्रोडक्शन होने को है उसका उपयोग आखिर हम किस प्रकार करने वाले हैं इस बाबत में क्या

(श्री हरिदेव जोशी)

स्कीम्स हैं, उसकी ओर हमें ध्यान देना है। आज यदि सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री को साठ लाख रुपया लोन दे दिया जाता है तो उसके लिये यह कहा जाता है कि यह तो चन्दा प्राप्त करने के लिये लोन दिया गया है यह दृष्टिकोण हो जाता है। आखिर हमें भाखरा और चम्बल से बिजली मिलने वाली है, उसको काम में लेने के लिये निश्चित रूप से तैयार रहना चाहिये। आज हम सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री को लोन नहीं देते हैं तो हम राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी सीमेन्ट फैक्टरी कायम करने में कामयाब नहीं हो पाते। हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि राजस्थान ऊंचा उठे, और हर क्षेत्र में ऊंचा उठे और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिये। इस तरह से जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं उन लोगों को तरजीह मिलनी चाहिये, आखिर सरकार भी किन्हीं शर्तों के आधार पर लोन देती है तो वैसी हालत में हमें सन्देह करने की गुंजाइश नहीं रहती, अगर हम इस प्रकार की सुविधा नहीं देते हैं तो हमारा प्रान्त आगे बढ़ने वाला नहीं है। इस प्रकार की सुविधा दूसरे राज्यों में भी दी जाती है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं इस दौर के अन्दर हमारा दृष्टिकोण अधिक कन्स्ट्रक्टिव होने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है उसमें एक लम्बी लिस्ट दी गई है। कोटा के अन्दर नायलोन फैक्टरी खोलने की और उदयपुर में टैक्सटाइल मिल खोलने का भी उल्लेख किया गया है और भी खनिज उद्योगों के बारे में उसमें चर्चा की गई है। राजस्थान निश्चित रूप से खनिज पदार्थों के लिये प्रसिद्ध है इसके भूगर्भ के अन्दर काफ़ी अच्छी और उपयोगी चीज़ें हैं उनका उपयोग यदि हम समय रहते कर सकते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं, अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम अन्य प्रान्तों की अपेक्षा पिछड़ जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जो खनिज पदार्थ हमारे सामने आये हैं उसके सिवाय भी राजस्थान की भूमि के अन्दर जो जो धन दबा हुआ है उसका पता लगाने के लिये हमें राजस्थान के ज़िऑलोजिकल सर्वे करने की आवश्यकता है। आज राजस्थान के पहाड़ों और बनों के अन्दर काफ़ी मात्रा में ये पदार्थ मौजूद हैं; उनकी सर्वे नहीं हो पायी है। हो सकता है इसके लिये सक्षम व्यक्तियों की कमी हो लेकिन आखिर हमें इन सब कठिनाइयों को पार पाना है अगर हम यह कर सकते हैं तो राजस्थान राज्य अन्य राज्यों के मुकाबले आगे बढ़ सकता है। इस दृष्टि से अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारना पड़ेगा, मेन पॉवर बढ़ाना पड़ेगा और हमारे साधनों को बढ़ाना पड़ेगा।

इसके अलावा राजस्थान सरकार ने एक और पॉलिसी का डिसीज़न लिया है और वह है अनाज के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने का। अध्यक्ष महोदय, अनाज का थोक व्यापार हिन्दुस्तान के लिये एक समस्या बना हुआ है। जिस समय किसानों को अनाज की आवश्यकता होती है उस समय अनाज का लगभग चार गुना भाव हो जाता है और जिस समय किसान को अपनी चीज़ बेचनी होती है उस समय उसको अपनी उपज का एक रुपया मिलता है। इस तरह से हिन्दुस्तान के

(श्री हरिदेव जोशी)

किसान की माली हालत यह कि अपनी उपज वह ज़्यादा दिन तक भावों की बढ़ोतरी तक अपने पास जमा नहीं रख सकता। इसलिये कि उसे खाने की कमी होती है, बीज की कमी होती है, कपड़ों की तंगी सताती है। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये तुरन्त बाज़ार में आधे कच्चे-पक्के माल को लेकर दौड़ना पड़ता है और जब उसकी इस तरह आवश्यकता होती है तो हमें विचार करना है कि किस प्रकार से और किस तरह हमारा यह किसान अपने श्रम की, अपने श्रम के फल की सही कीमत ले सके। थोक व्यापार की आवश्यकता इसलिये भी हुई कि आज हमारे देश में अनाज की कमी है, चाहे वह उपज की कमी के कारण से हो या चोर बाज़ार में छिपा लिये जाने के कारण से हो, अथवा व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण से हो, किसी कारण से भी हो, वस्तुस्थिति यह है कि कमी है इसलिये हमें चारों तरफ़ से इसके प्रयत्न करने हैं कि यह कमी न रहे।

१. २ म० प०

खाद्य की नीति, केन्द्र की रीति-नीति पर भी आधारित है क्योंकि पूरे देश में अनाज की कमी है।

राजस्थान सरकार की मैं इसमें सफ़लता मानता हूं कि राजस्थान बम्बई और मध्यप्रदेश के ज़ोन से अलग कर दिया गया है और खाद्य के मामले में अपने ऊपर निर्भर होने के लिये छोड़ दिया गया है। अर्थात् हमारे उपाय अब हमारे अपने लिये काम आवेंगे और फिर अगर हमारे पास बचत रहेगी तो हम उसे व्यवस्थित रूप से दूसरों को दे सकेंगे आज से पहले यह हालत थी कि राजस्थान का अनाज का प्रवाह बम्बई की तरफ था। हम जो उपज करते थे वह काफी मात्रा में बम्बई की तरफ चला जाता और मज़ाक यह थी कि बम्बई से इम्पोर्ट किया हुआ अनाज हमारे यहां भेजा जा रहा था, यह हमारे यहां पहले दूषित व्यवस्था थी। आने वाले खाद्यन्न पर हमारा ज़ोर नहीं था, सेन्टर चाहता था तो हमारे मांगने पर भेजता था और हमारे यहां से निकासी पर हमारी रोक नहीं थी। परिणाम यह था कि हम दुविधा में फंस रहे थे कि यह कैसी स्थिति है। अब खुशी की बात है कि फूड ग्रेन के लिहाज़ से राजस्थान एक ज़ोन मान लिया गया है और अब यहां की उपज को नियन्त्रित किया जा सकेगा।

अब भी यह देखना है कि जब खरीफ आन्दोलन शुरु करना चाहते हैं तो मक्का, बाजरा आदि के बीज के लिये अभी से सतर्क रहें और किसानों को अधिक से अधिक बीज पहुँचा सकें। पिछली मरतबा रबी अभियान के अवसर पर एक दृष्टिकोण था कि अमुक अधिक पर्सेन्टेज तक बीज और फर्टीलाइज़र सप्लाई किया जावे और अमुक सीमा तक उत्पादन बढ़ाया जावे। इसके मुकाबले में हुआ यह कि सरकार जितना सोचती थी वह हुआ नहीं, सरकार जितनी सप्लाई करने का सोचती थी वह सप्लाई भी नहीं कर सकी। परिणाम स्वरूप लोगों को कई जगह कई बार निराशा हुई। तो अध्यक्ष महोदय, खरीफ आन्दोलन के समय हमको इन सब बातों का प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है जिससे हमारे किसान उत्पादक के पास अच्छा बीज पहुंचे, उसको अच्छे सिंचाई के साधन मिलें और उसे उचित मार्ग दर्शन मिले।

(श्री हरिदेव जोशी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस लिहाज़ से ऐसा समझता हूं कि यदि हम छोटी-छोटी सिंचाई योजना को, छोटे-छोटे कामों को व्यवस्थित कर सकें तो हमारा काम इतना मुश्किल नहीं रहेगा। बमुकाबले दूसरे प्रान्तों के, दूसरे राज्यों के।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में ट्रेन्ड पर्सनस और स्टेटिस्टिशियन्स और स्टेटिस्टिक्स के लिये प्रयत्न करने की बात कही है। इसमें उन्होंने कहा है कि प्रशासन सेवाओं और लेखा सेवा की आवश्यकताओं का भी अन्दाज़ लगाया गया है और इस सम्बन्ध में कमी को पूरा करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे प्रदेश की स्थिति दूसरे-प्रदेशों के मुकाबले में कुछ भिन्न प्रकार की है। भिन्न प्रकार की इस मामले में कि आज हम बम्बई को लें, तो बम्बई शुरु से अब तक एक इन्टीग्रेटेड स्टेट के रूप में चली आई है। उसके पास में प्रशासन में योग्य और अनुभवी व्यक्ति हैं। जब कि हमारे यहां जितने योग्य शासक चाहिये थे, नहीं थे। अलग-अलग रियासतों की कई इकाइयों से मिलकर यह स्टेट बनी थी और वहां से जो कर्मचारी आये वे इतने अच्छे उपलब्ध नहीं हुए जितने आवश्यक थे। पर हमारे प्रयत्न अब इस ओर होने चाहिये और अगर हमारे सिनियर प्रयत्न रहे काम के प्रति सीनियोरिटी रही तो मैं समझता हूं कि हम सीनियोरिटी से इस कमी को पूरा कर सकेंगे।

पिछले दिनों मैंने एक स्टेटमेन्ट देखा था जिसमें बजटिंग का कम्परेटिव स्टेटमेन्ट दिया हुआ था कि दूसरे राज्यों के मुकाबले में राजस्थान राज्य में बजट की स्थिति क्या है? तो मैंने देखा कि वह काफ़ी सन्तोषजनक और उत्साहवर्धक था। जहां अच्छे अच्छे प्रशासनिक अधिकारी उपलब्ध हैं उन राज्यों में भी और सेन्टर तक में बजट में वेरिएशन्स बहुत ज़्यादा रहे हैं बमुकाबले राजस्थान के। वह मैं आपको बताता हूं :

आन्ध्र में	८. २
ट्रावनकोर कोचीन	२४. १
उड़ीसा	१७. ३३
हैदराबाद	८. ३६
पंजाब	३०. ८४
मद्रास	७. ५
केन्द्र में	४१. १२

जब कि राजस्थान में ५.६ था।

तो यह स्थिति है। हम करेक्ट बजेटिंग की ओर कुछ आगे बढ़े हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर हमारे राज्याधिकारी और राज्य सरकार ज़्यादा सही दृष्टिकोण से आगे बढ़े और वह बढ़ती जा रही है तो मुझे विश्वास है कि हम लोग जो हैं इस सैकन्ड फाइव इयर प्लान के अन्त तक, जैसा मैंने कहा था, मेरी यह महत्वाकांक्षा है कि राजस्थान हिन्दुस्तान के सभी राज्यों के अन्दर खर्चे में और अचीवमेन्ट के लिहाज़ से पहला रहे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं रह जाता है।

इस सब के साथ-साथ हमें अपनी कमज़ोरियों और खामियों को भी नहीं भूलना है। जहां मैं यह कहता हूं कि हमारे अचीवमेन्ट्स ये हैं हमारी सफ़लताएं ये हैं वहां अध्यक्ष महोदय, मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि हमारे यहां कोई कमज़ोरियां और खामियां नहीं हैं। वे हैं, उन्हें ध्यान में रखना है और

(श्री हरिदेव जोशी)

दूर करने में जुटना है। अध्यक्ष महोदय, आज चाहे किन्हीं भी कारणों से हो मगर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जिसमें कई बार ऐसा होता है कि जिस समय जहां जो बात होनी चाहिये और जिस के लिये हम सोचते हैं कि यह होनी चाहिये, उसी तरह से प्लान बनाते हैं, खर्चा भी करते हैं पर समय पर वह काम नहीं होता। उदाहरण के तौर पर मान लिया जावे कि हमने एक तालाब बनाया है, और हमारा एस्टीमेट यह है कि हम उससे अमुक पर्सेन्ट की आमदनी चाहते हैं। तो वह आमदनी तभी हमको मिल सकती है जब तालाब को पूरा करने के साथ-साथ नहर भी पूरी हो जाय और भूमि का अलॉटमेन्ट भी समय पर हो जाय और पानी किसान के खेत तक भी समय पर पहुंच जाय। ये सभी काम समय पर एक साथ होने से हमें फायदा हो सकता है। तभी हमें बैटरमेन्ट लेवी मिल सकेगी, इर्रिगेशन सैस भी मिल सकेगा। नहीं तो एक चीज़ बन गई और दूसरी नहीं, तो इससे जो पर्सेन्टेज प्रोफिट हम चाहते हैं वह नहीं मिल सकेगा। सब साथ ही होगा तभी हम प्लान को ठीक ढंग से विकसित कर सकेंगे और इसके लिये प्रयत्न हमें यह भी करने चाहिये कि समय से कुछ पहले ही सब काम हो जावें। ऐसा नहीं कि तालाब के एक्सपेन्डीचर साइड में तो बतला दिया जावे कि एक पर्सेन्ट का उसमें सेविंग हो गया और वही कहीं तालाब की मोरी बनाने में अथवा तालाब की नहरों में खत्म हो गया अथवा ज्यादा हो गया अथवा लाख रुपया लग गया है पर पानी किसान के खेत तक नहीं पहुंच पाया है तो इस तरह से एक काम हो जाय, दूसरा डिले हो जाय तो इससे अपेक्षित लाभ हमें नहीं मिल सकता। सब साथ होना चाहिये बल्कि समय से पहले कर दिये जाने चाहिये, यह अधिक अच्छी बात है।

इसी प्रकार दूसरी चीज़ जो निवेदन करना चाहता हूं वह है राजस्थान में एम्बेज़लमेन्ट के केसों पर ध्यान देना। राजस्थान में इन केसों को लेकर एक बार एक स्थिति, दूसरी बार दूसरी स्थिति, तीसरी बार तीसरी स्थिति रही है। इसमें आखरी प्रयत्न यह किया गया है कि इसके लिये एक स्पेशल आई.जी.पी. को कायम किया है जो करप्शन का उन्मूलन राजस्थान से करेंगे। मैं नहीं जानता कि उनके प्रयत्नों से कितना क्या कुछ हो सका है किन्तु कम से कम व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूं कि इसमें जितनी सफलता मिलनी चाहिये थी, उतनी नहीं मिल सकी है।

आज भी यह स्थिति है कि १-४-५८ से ३८५ एम्बेज़लमेन्ट के केसेज़ थे वह अनडिस्पोज़्ड ऑफ पड़े हुए थे और उनमें २२ लाख रुपया इन्वोल्व था और केसेज़ काफी उलझे हुए हैं और इन केसेज़ में इतनी आसानी नहीं हैं कि इन पर जल्दी से कोई निर्णय लिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना जानता हूं कि हमारे भारतीय संविधान ने अधिकारियों को जो प्रिविलेजेज़ दिये हैं और जो संरक्षण दिये हैं उनके अनुसार उनसे जवाब लेने, उनको अदालत में जाने और अदालत के ज़रिये अपने मुकदमे का फैसला करवाने का अधिकार है लेकिन राज्य सरकार को भी इस बात का अधिकार है और उसके पास में अब भी कुछ मार्ग बचे हुए हैं जिनसे वह इनको सरल कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के केसेज़ अधिक दिनों तक पेन्डिग पड़े रहना, उनका जो मकसद है उसको निरर्थक कर देते हैं। इसलिए कई बार ऐसा

(श्री हरिदेव जोशी)

होता है कि सेक्रेटेरियेट के अन्दर या हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स के पास में कोई फाइलें निरर्थक रूप से आती और जाती रहती हैं इसलिए कि एक योजना हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट ने सेक्रेटेरियट को भेजी और वह अधूरी थी तो वहां से क्वेरी करके वापिस भेज दी गई और फिर उसको पूरा करने में समय लगा दिया। कई बार जो स्कीमें हैं वह संबंधित असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी से फाईनेन्स को और फाईनेन्स से चीफ सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी से फिर वापिस सेक्रेटेरियेट के डिपार्टमेन्ट्स में आने और जाने में पूरा वर्ष लग जाता है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे भी मौके आये हैं कि जब कि किसी की तनख्वाह के बारे में और उसकी चुकारी करने के बारे में काफ़ी समय लग गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि कोई ऐसी प्रणाली निश्चित की जानी चाहिए जिससे यह देरी न हो और अनावश्यक रूप से इस प्रकार के कागज़ की लौट-पौट न हो। आवश्यकता तो इसी बात की है कि सब की राय ली जानी चाहिए, स्वतंत्र रूप से राय ली जानी चाहिए। जिस अधिकारी की राय हो वह स्वतंत्र रूप से प्रकट करे, ऐसा तरीका अख्तियार किया जाना चाहिए और इतना समय न लगे। ऐसा होता है कि एतराज़ के लिए एतराज़ कहा जाता है ऐसा होता है कि किसी फ़ाइल की पहलू को देख उसमें अधूरापन मालूम पड़ता है तो उसको वहीं से वापिस कर दिया। फिर उसे वापिस भेजा तो फिर नीचे के पैरेग्राफ को देखकर वापिस भेज दिया। होना यह चाहिए कि जो हमारी मशीनरी है उसके ऊपर ओवरहाल सुपरवीज़न की जरूरत है। कौन आदमी कैसा है और उसकी बढ़ोतरी किस प्रकार से होनी चाहिए इसका निर्णय होना चाहिए कि किस ने डिसपोजल किस तरह से किया है और कागज़ किस लिए पड़े रहे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट अच्छी से अच्छी योजना को सेक्रेटेरियेट में भेजे और सेक्रेटेरियेट के अन्दर वह चीज़ पड़ी रहे तो इससे सारा का सारा समय निकल जायेगा और समय निकल जाने के बाद अगर कभी उसका उपयोग किया जायेगा तो बेकार जायेगा। अब जब कि हम विकास के दौर में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और हम ऐसा महसूस करते हैं हमें अधिक तरक्की करनी है तो हमारी जो कमज़ोरिया हैं उनके लिए भी जल्दी से ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वह भविष्य में न रहें।

अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों हम बाहर गये थे और हमने हमारे राजस्थान का एक टूरिस्ट सेन्टर जयसमन्द देखा तो उसमें यह मालूम हुआ कि उसके विकास के लिए कुछ धन की आवश्यकता है और वह धन उनको नहीं मिल सका। मैंने यहां अभी देखा तो सरकारी आंकड़ों से ऐसा मालूम हुआ कि १९५७-५८ में ३.५९ लाख का प्रोविज़न था और उस पर खर्च हुआ है खाली '८९ लाख और जयसमन्द मे काफ़ी टूरिस्टो का मनोरंजन इसलिए नहीं हो पाता है कि वहां मोटर बोट नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ है जिसकी ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले दिनों एस्टीमेट्स कमेटी में यह प्रस्ताव किया था कि कमिश्नर का जो पद है उसको समाप्त कर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग कमीशन और दूसरों की राय को लेकर राज्य सरकार ने यह महसूस किया या नहीं किया, मैं नहीं जानता, वह पद अभी तक है। तो ऐसा समझा गया कि प्लानिंग के इस युग में...

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : भाषण में आप राजस्व मन्त्री से प्रेरणा न लें।

श्री हरिदेव जोशी : आप निश्चिन्त रहें मैं ले लूंगा।

ओवरहाल सुपरवीज़न के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए, ऐसा पद होना चाहिए जो डेवलपमेन्ट वर्क्स को देखे। तो अध्यक्ष महोदय, अभी जो हमारी फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी है उसने भी सुझाव दिया है कि डेवलपमेन्ट वर्क्स के अन्दर कमिश्नर को कुछ अधिक जिम्मेदारियां दी जानी चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि अधिकारियों के अन्दर अधिक से अधिक एफ़ीशियेन्सी आये और लूज़नैस चाहे किसी भी डिपार्टमेन्ट में हो इसके लिए भी कमिश्नर को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अगर हम डेवलपमेट वर्क्स चाहते हैं और अधिक उत्साह से चाहते हैं तो हालत यह है कि जो सब से अधिक बूढ़े हो जाते हैं और रिटायरमेन्ट की एज पर जब पहुँचते हैं तब कमिश्नर्स बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कि वह रिटायरमेन्ट के दिन वह गिन रहे हों तो उनसे आप यह कल्पना कैसे कर सकते हैं कि वह डेवलपमेन्ट में ज्यादा दिलचस्पी लेंगे, यह उनकी मनोवृत्ति के अनुकूल है। अगर हम कुछ निश्चित जिम्मेदारी उनके ऊपर सोपेंगे तभी जाकर हम अपने उद्योगीकरण के युग और उत्थान के इस युग में सफल हो सकेंगे।

इसी प्रकार से कुछ छोटी मोटी चीज़े हैं कि जिनके बारे में, अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अगर हम उनके लिए सतर्कता से काम लें और अधिक व्यक्तिगत रुचि से काम लें तो हमारा काम अधिक अच्छे ढंग से हो सकता है। इन सब दृष्टिकोणों से मैं अध्यक्ष महोदय, ऐसा मानता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय का जो भाषण है और जो उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेन्ट दिये वह पिछले वर्षों के अन्दर जितने भी थे उनसे यह आगे बढ़ा हुआ है और हम यह महसूस करते हैं कि हम ऐसे मोड़ के अन्दर हैं जिसके अन्दर हम नये प्रकार के समाज का और अर्थ व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं और जब हम ऐसा करना चाहते हैं तो अध्यक्ष महोदय, हम में या प्रत्येक नागरिक में यह सिनियोरिटी होनी चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति, अपने प्रोग्राम के प्रति जिनको हम पूरा करना चाहते हैं कि हमारा राजस्थान आगे बढ़े। राजस्थान तरक्की के कामों में दूसरे प्रांतों के मुकाबले में किसी प्रकार से नीचे न रहे तो इस दृष्टिकोण से मैं, ऐसा समझता हूं कि हमारी ग्राम पंचायतें या जिला परिषदें और दूसरे सभी विभाग जब अधिक सक्रिय होगें तभी जाकर इस कार्य को पूरा कर सकेंगे और इस दृष्टि से एक बार फिर मैं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार को बधाई देता हूं और माननीय राज्यपाल को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने कुछ पॉलिसी के स्टेटमेन्ट देकर हमारा मार्ग-दर्शन किया।

(करतल-ध्वनि)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष, मैं पहले उन बातों का विवेचन करता हूं जो कि हमारे प्रदेश में अच्छे और उपयोगी कार्य हुए हैं और फिर जो कमिया हैं, उनका भी जिक्र करूंगा शांति और सुरक्षा का मामला जहां तक हमारे प्रदेश का है उसके बारे में मैं यह विश-

Page No.48

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

वास पूर्ण कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश में शांति और सुरक्षा का काम सन् १६५८ में बिलकुल ठीक रहा। यह जबानी नहीं, बल्कि हमारी प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट से यह विदित है कि हम जितने भी सालों में देखते चले आ रहे हैं उनसे इस साल डकैती की संख्या ही कम नहीं बल्कि अपराधों की संख्या में भी कमी हुई है। इससे यह प्रकट होता है कि हम इस दृष्टि से भी बहुत कुछ आगे बढ़े है और सुरक्षा की दृष्टि हमारे लिए उपयुक्त रही है। इसके साथ-साथ, यही नहीं बल्कि देश में आज के हमारे पुलिस के कई जवानों को और हमारे अधिकारियों को इस बार में राष्ट्रपति की तरफ से मैडल प्राप्त हुये हैं। इससे विदित है कि हमारे प्रदेश की पुलिस काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है।

अब उससे ज्यादा मैं बताना चाहता हूं कि जो सन् १६५८ में जयपुर में जो आन्दोलन चले और उसमें जो संयम और कुशलता से पुलिस ने काम किया उसका दिग्दर्शन भारतवर्ष के किसी भी प्रदेश में नहीं पाया जाता है। आप देखेंगे कि राजधानी में किस कदर हुड़दंग मचा, और किस प्रकार इस प्रदेश की इस राजधानी में कई प्रकार की गड़बड़ियां पैदा हुई हैं, किन्तु फिर भी यहां की पुलिस ने बड़े संयम से, बल्कि दूसरे प्रदेशों में जहां गोलियां चल गई, लेकिन हमारे यहाँ पर बड़ी ही बुद्धिमता और संयम रख कर के कार्य निपटाया गया है और आज हम यह कह सकते है, और हमारा प्रदेश इस बात के लिए अपना सिर ऊंचा कर सकता है कि हम बिना गोली चलाये ही देश में शान्ति और सुरक्षा बनाये रख सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सन् १६५८ हमारा शान्ति और सुरक्षा का समय था वह बड़ा ही उपयुक्त निकला और हमारी पुलिस ने बड़ी ही अच्छी कार्यकुशलता दिखलाई है। मैं यह भी मानता हूँ कि हमारी पुलिस के कई ऑफिसर्स भ्रष्टाचारी भी हो सकते हैं, उनमें और कई खराबियां भी हो सकती हैं, लेकिन अमूमन सामूहिक तौर पर आप गौर से पता करेंगे तो यह पता चलता है कि यहां के काफी पुलिस ऑफिसर्स कार्यकुशल और योग्यतम व्यक्ति हैं और जो कि बहुत अच्छी तरह से कार्य संचालन कर रहे हैं।

श्री रघुबीरसिंह (राजगढ़) : क्योंकि वे किशनगढ़ से ट्रेनिंग पाकर आते हैं।

(हँसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : (जारी) मेरे लायक मित्र ने कहा कि वे चूंकि किशनगढ़ से ट्रेनिंग ले कर आते हैं तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि किशनगढ़ से जो भी शिक्षा प्राप्त करके आयेगा वह बहुत ही ईमानदार निकलेगा। किशनगढ़ के निवासी जितने भी उच्च ऑफिसर्स राजस्थान में हैं वे सब ईमानदार हैं। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली है और न आगे लेने वाले हैं।

अब खाद्य स्थिति पर आता हूं कि हमारे देश की खाद्य स्थिति क्या रही है इसका विवेचन करूं उसके पहले समूचे देश की क्या स्थिति है या रही है, याने सन् ३० से लगाकर ४२ तक, वह बताऊं। सन् ३० से ४२ तक हमारे देश की खाद्य-स्थिति बिल्कुल अच्छी थी। हम एक लाख टन विदेशों से चावल मंगाते थे और उसकी एवज में ५, ६ लाख लाख टन दूसरा अनाज विदेशों को भेजते थे। लेकिन ४२ से हमारी स्थिति कुछ पलटी और ४४-४५ में हम घोर संकट में पहुँच गये।

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

४५ में बंगाल का अकाल पड़ा और भूख से हजारों और लाखों व्यक्ति भूख से मौत के घाट उतर गये। उसके बाद ४२ से लगाकर ५७ तक उसके अन्दर बीच में स्वर्गीय श्री रफी-अहमद किदवई ने बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ में इस काम को हाथ में लिया और ३-४ साल में वह उस संकट को पार कर सके। उसके बाद में फिर सन् ५७ में हमारे सामने ऐसा संकट आया जो कि आज तक हमारे सामने है। आज हम देखते है कि सन् ५७ और ५८ में हमारे देश में ६० लाख टन नाज का उत्पादन कम हुआ, और इस उत्पादन की कमी की वजह से व कहीं वर्षा की कमी और कहीं वर्षा का ज्यादा होना, इत्यादि प्राकृतिक प्रकोपों की वजह से यह खाद्य संकट हमारे ही प्रदेश में नहीं बल्कि सारे देश में आया हुआ है। लेकिन फिर भी हमारे देश के मान्य नेताओं नें बड़ी बुद्धिमानी से इस संकट को सम्हाला। अपको मालूम होगा कि सम्वत् ५६ में जब हमारे इस प्रदेश में अकाल पड़ा था और लोग भूखों मरते हुए बाल बच्चों को बेच दिया करते थे, लेकिन सन् ५८-५६ में इतनी मंहगाई होते हुए भी कोई भूखे नहीं मरा और किसी ने अपने बाल बच्चों को नहीं बेचा। इससे यह प्रकट होता है कि हमारी देश व प्रदेश की सरकार ने बहुत बढ़िया तरीके के साथ इस संकट को सम्हाला है, और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से हमारे देश में रबी आन्दोलन चला उससे प्रकट होता है कि हमारे देश में इस वर्ष ५ करोड़ टन खाद्यान्न प्राप्त हो सकेगा। अगर किसी प्राकृतिक कोप की कुदृष्टि नहीं हुई तो हम इसमें भी सफल होगें। और हमारा प्रदेश उस सफलता में भी आगे बढ़ेगा।

इसके साथ-साथ मैं यह बताना चाहूंगा कि यह खाद्य संकट हमारे प्रदेश में हमारी वजह से नहीं बल्कि सारे देश की वजह से था, क्योंकि हम सारे देश के साथ में जुड़े हुए थे। हम भारत सरकार के आधीन हैं और हमारी भारत सरकार की पॉलिसी पर हमको चलना पड़ता है। इसी वजह से हमारे यहां हम संकट पैदा हुआ। उसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार पर ही नहीं बल्कि भारत सरकार के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे यहां पर अन्न की कमी नहीं आती बल्कि अगर हमारे प्रदेश को हमारे खाद्यान्नों पर छोड़ दिया जाता तो हम उस स्थिति को सम्हाल सकते थे, लेकिन हमको बम्बई प्रान्त के साथ मिलाया गया है। बम्बई प्रांत एक डेफ़िसिट एरिया है। वहां पर यहां से माल गया, जिससे हम खाद्य संकट की अवस्था में पहुँचे। लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने बड़ी हिम्मत के साथ ठीक काम किया और आज भी कर रही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जो शहरी जनता के लिए बहुत कुछ किया है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर इत्यादि बड़े-बड़े टाउन्स में उन्होंने अच्छी-अच्छी दुकानें बहुत ज्यादा तादाद में खोलीं, क्योंकि उनको भय था, और वह जानते थे कि यहां कि जनता को बहुत ही अपनी बात को हो हल्ले के साथ रखने का अनुभव है लेकिन जो छोटे टाउन हैं उनकी तरफ़ ज्यादा ग़ौर नहीं किया है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार बड़े-बड़े शहरों की जनता की तरफ देखकर उनके कार्यों की पूर्ति करती है उसी प्रकार छोटे टाउन्स (कस्बों) और गांवों की तरफ भी देखने व उनके कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करें।

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

इसके साथ-साथ अब मैं कृषि के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि हमने कृषि में भी काफी उन्नति की है। कृषि का रबी अभियान चला उसमें काफ़ी तादाद में अच्छे बीज दिये गये और तकावी दी तथा और भी हर तरह से सहायता प्रदान की गई।

उसके साथ-साथ जो मेड़बन्दी आन्दोलन चला जिसमें राजस्थान में ७ लाख एकड़ मेड़बन्दी की गई जिससे कृषि में बहुत फायदा हुआ। मैंने भी मेड़बन्दी को देखा। कई गांवों में गया। उसकी सफलता को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कृषि संबंधी मामले में भी हमारा प्रदेश आगे बढ़ा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी अगर हमें हमारे प्रांत को खाद्य उत्पादन स्थिति पर ही छोड़ दिया जाय, तो भी हम कभी भी खाद्य संकट में आने वाले नहीं हैं बशर्ते कि कोई प्राकृतिक कोप न हो।

अब हम विकास कार्यों को लेते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे विकास कार्य भी दूसरे प्रदेशों से बहुत अच्छे रहे हैं। जहां तक हमारी आर्थिक स्थिति है और जहां तक हमारे प्रदेश का सम्बन्ध है हम बहुत आगे बढ़े हैं। इसका प्रमाण मैं यह बताना चाहता हूं कि श्री एस. के. डे जो सेन्ट्रल में मिनिस्टर हैं इस काम के, भारत सरकार के, उनकी रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है, उससे भी यह प्रतीत होता है कि इस कार्य में भी राजस्थान प्रदेश सब प्रदेशों से आगे है विकास कार्यों के लिए। इससे और ज्यादा सबूत क्या हो सकता है। श्री एस. के. डे और श्री मेनन सरीखे व्यक्तियों ने जो इस देश के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने ने राजस्थान के विकास कार्यों की प्रशंसा की है। ऐसी अवस्था में हम यह कहें कि हम पीछे हैं इसे मैं कदापि मानने को तैयार नहीं हूं। दूर से डूंगर अच्छे दिखते हैं लेकिन पास जाने से कुछ और ही नज़र आता है। हम दूसरे प्रदेशों की बात करते हैं लेकिन हम यह नहीं देखते कि हमारे प्रदेश में क्या काम हुआ है। इसको देखे बिना ही यहां बैठकर यह कह देते हैं कि कुछ नहीं किया गया है, यह बात गलत हो जाती है। इसलिये मैं कहूंगा कि विकास कार्यों में भी हमने कमी नहीं रखी है।

उद्योग धन्धों के सिलसिले में मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान बनने से पहले हमारे यहां उद्योग नाम मात्र को भी नहीं थे, हमारे यहां बहुत कम मिलें थीं, और दूसरे उद्योग भी बहुत कम थे लेकिन आज इस मामले में हमारे प्रदेश में काफ़ी प्रगति हुई है और नये-नये उद्योग खोले जा रहे हैं। लेकिन मैं साथ ही राज्य सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम नये उद्योग धंधों का प्रादुर्भाव करना चाहते हैं। उसी प्रकार से हमारे यहां के पुराने उद्योगों को नहीं भुलाना चाहिये। जो पुरानी, कपड़े वगैरा की मिलें बंद पड़ी है उनकी ओर भी पूरा-पूरा ख्याल करना चाहिये। यदि पुराने उद्योगों को नेस्तनाबूद करेंगे और नये उद्योग खोलेंगे तो उससे हमारे प्रदेश की प्रगति नहीं होगी बल्कि इससे प्रगति में रुकावट होगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से हमारे यहां जो चीजें पहले से बनी हुई हैं उनको भी हमें कायम रखने का प्रयत्न करना चाहिये ऐसी मेरी मान्यता है।

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

अब मैं यह कहूंगा कि सन् ५८ का जो साल था वह हमारे लिये बड़े महत्व का था। महत्वपूर्ण इसलिये था कि राजस्थान नहर का उद्घाटन सन् ५८ में ही हुआ। यह नहर हमारे प्रदेश की प्रगति की आधार शिला है। यदि यह कार्य पूरा हुआ तो मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि हमारा प्रदेश दूसरे सारे प्रदेशों से आगे बढ़ेगा और प्रगति हॉसिल करेगा। इसलिये हम सन् ५८ को प्रगतिशील साल कह सकते हैं राजस्थान के लिये। और भी कई उद्योग खोले गये हैं, कई नहरें निकाली जा रही हैं, चंबल योजना से बिजली उत्पादन होकर जनता को मिलने की खबर मिली है उससे भी आशा होती हैं कि हमारा प्रदेश उद्योग के बारे में और कृषि के बारे में और खाद्यान्न के बारे में कभी भी दूसरों पर मुनस्सर नहीं रहेगा।

मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करूंगा कि हमारी राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो और देश में जब तक सत्ता का केन्द्रीकरण रहता है तब तक प्रजातंत्र प्रणाली पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि प्रजातंत्र में जब हम नीचे से ऊपर उठते हैं तभी प्रजातंत्र पनप सकता है। यदि ऊपर से ही कोई बात लाते हैं तो कदापि कामयाबी नहीं हो सकती क्योंकि किसी वृक्ष को लगाने के लिये ज़मीन में बीज डालना पड़ता है तभी जाकर के पेड़ बड़ा होता है। इसी प्रकार से सत्ता को और विकास कार्यों को जब तक नीचे से नहीं उठायेंगे तब तक विकास कार्य को और प्रदेश को ऊंचा नहीं उठा सकते, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हमारे राज्यपाल महोदय ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण के बारे में अपने भाषण में बताया है कि पंचायत समितियां और जिला परिषदों का निर्माण किया जायगा। यह बहुत उपयुक्त बात है और यह कदम भी देश के लिये प्रगतिशील कदम सिद्ध होगा क्योंकि जब कि हम जिन छोटे-छोटे ग्रामीण मनुष्यों से वोट लेते हैं और जिन्हें हम अभी अनपढ़ कहते हैं और हमारे प्रदेश में ऐसे ग्रामीण अनपढ़ लोगों की संख्या ज्यादा है, मैं कहता हूं कि उन्हें अक्षर ज्ञान तो शायद नहीं होगा लेकिन मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि उनमें ज्यादा बुद्धि है और उन्हें सब प्रकार का ज्ञान है। अक्षर ज्ञान भले ही नहीं हो, लेकिन राजस्थान की जनता बुद्धिमान जनता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण जब होगा और पंचायत और ज़िला परिषदें जब बनायी जायेंगी तब वे अच्छा काम करेंगी, यह मेरी मान्यता है।

जब हम शिक्षा की ओर आते हैं तो हम यह सोचते हैं कि राजस्थान के निर्माण से पहले हम किस हद तक शिक्षा से दूर थे। कहीं-कहीं ही पर स्कूलें थीं और कहीं-कहीं पर ही कॉलेजेज़ थे। जिनमें लोगों को पढ़ने का पूरा साधन नहीं मिलता था......

एक माननीय सदस्य : कहां-कहां ?

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा : जहां से आप आते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब हमारा राजस्थान प्रान्त बना तब से हम विद्या के क्षेत्र में उन्नति करते चले आ रहे हैं। हम बराबर देख रहे हैं कि हर साल नई-नई स्कूलों का निर्माण होता है और ज्यादा से ज्यादा

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

तादाद में हमारे प्रदेश के लोग अक्षर–ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। वे अक्षर ज्ञान ही नहीं प्राप्त करते बल्कि बड़े-बड़े कॉलेजेज़ में जाकर बड़ी-बड़ी क्वालिफिकेशन भी प्राप्त करते हैं और यह खुशी की बात है कि ज्यादा तर अधिकारी वर्ग के लोग यहीं के कॉलेज़ों से निकलते हैं जिसके परिणाम स्वरूप आर. ए. एस और आई. ए. एस. में भी राजस्थान के लोग आते हैं और परीक्षा पास करके शासन चलाते हैं। इससे यह साबित है कि इस क्षेत्र में भी राजस्थान किसी से कम नहीं है। साथ-साथ मैं निवेदन करूंगा कि अनुशासन हीनता के जो नारे लगाये जाते हैं उसका कारण भी हमें सोचना चाहिये। आज हम देखते हैं कि किसी कॉलेज में चार हजार विद्यार्थी हैं तो किसी में दो हजार हैं और किसी कॉलेज में ५०० विद्यार्थी हैं और वहां पर लेक्चरार लड़कों की शक्ल तक नहीं जानते। ऐसी स्थिति में उनसे सम्पर्क साधने में कठिनाई उपस्थित होती है। मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार को एक नियम बनाना चाहिये कि किसी कॉलेज या स्कूल में जितने भी क्लॉस वाइज़ सेक्शन खुलते हैं उनमें निर्धारित संख्या से ज्यादा विद्यार्थी न हों। जब जाकर लेक्चरार और विद्यार्थियों का आपस में संपर्क स्थापित होगा और लेक्चरार विद्यार्थियों को समझ सकेंगे और विद्यार्थी लेक्चरार को समझ सकेंगे और पूर्णरूप से समझने की दोनों ही कोशिश करेंगे। आज हम यह देखते है कि किसी कॉलेज में २०० विद्यार्थी हैं और किसी कॉलेज में २००० हैं, इसका कारण ढूंढ़ना चाहिये। हमें हर जगह योग्य लेक्चरार और प्रोफेसर नियुक्त करना चाहिये। आज यह भी कहा जाता है कि जो मास्टर नियुक्त किये जाते हैं वे ऐसे हैं, वैसे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि जैसी प्रदेश की स्थिति है उसको सामने रखकर जब कि लोगों को अक्षर ज्ञान नहीं है तो अक्षर ज्ञान के लिये जो व्यक्ति उपलब्ध हो सकते हैं और हुए हैं उनको ले रहे हैं इसलिये यह नहीं सोचना चाहिये कि शिक्षा के बारे में हम पिछड़े हुए हैं। जगह-जगह हायर सैकन्डरी स्कूल्स खोली गई हैं, कॉलेजेज खोले गये हैं यहां तक कि मेड़िकल कॉलेज भी खोले गये हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां शिक्षा का मामला किसी भी कदर सन् ५८ में पिछड़ा नहीं है बल्कि आगे बढ़ा है। इसलिये कोई ऐसी बात नहीं है कि शिक्षा के मामले में हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ हो।

अब हम यह सोचेंगे कि राज्यपाल महोदय ने कृषि सुधार और सत्ता के विकेन्द्रीकरण के बारे में व सहकारिता के आधार पर संयुक्त कृषि के बारे में जो अपने विचार प्रकट किये है और राज्य सरकार की नीति बताई है उसके लिये निवेदन करूंगा कि यह नीति बहुत उपयुक्त है। देश के माने हुए व्यक्ति जो इस बात के लिये बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं उन्होंने विचार करके इस बात को रखा है। ऐसी स्थिति में यह कहा जाय कि यह हमारे यहां संयुक्त कृषि प्रणाली नहीं चलेगी, और इससे हमारे प्रदेश में बावेला मचेगा या लड़ाई होगी, कुछ अखबार ऐसा लिखते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी हम नया कदम उठावें उसके बारे में अलग-अलग विचार धाराएं प्रदर्शित होती हैं। हमें किसी भी निर्धारित लक्ष्य को सामने रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तब भी लोग कहते थे कि बिना तलवार बंदूक के किस प्रकार स्वतंत्रता हॉसिल कर सकते हैं। लेकिन तब भी बिना बाधाओं का विचार

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

किये आगे बढ़े और कामयाब हुए। उसी प्रकार हमें देश की प्रगति के लिये भी किसी बात को आगे ले जाना है तो हमें देश के अनुभवी लोगों कि शिक्षा व विचारों से आगे बढ़ सकते हैं। अब हम यह देखें कि कोई भी कार्य करते हैं तो उस बारे में दो विचार-धाराएं होती हैं। सीलिंग के बारे में जो बिल यहां सदन में पेश हुआ, उसके बारे में भी बहुत से लोगों ने उसकी मुखालफ़त की और कर रहे हैं पर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि...

एक माननीय सदस्य : बिल पेश नहीं हुआ। सिलेक्ट कमेटी को गया है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : (जारी) सिलेक्ट कमेटी को गया है। तो क्या तो पेश हुआ नहीं ? हां तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम इस बात को विचार कर लें कि एक विचारधारा से सहमत नहीं हैं तो दूसरी विचारधारा को सुने भी नहीं, यह उचित नहीं। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि हमारे देश में आवश्यकता है कि हम सीलिंग लागू करें। क्योंकि सीलिंग से जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि मिलेगी और हम कृषि में भी उन्नति कर सकेंगे। जो कहते हैं कि सीलिंग से किसानों को कठिनाई पैदा होगी और कृषि में भी कठिनाई पड़ेगी तो उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बात कदापि उपयुक्त नहीं है, आज यह कहा जाता है कि आज राजस्थान में इतनी भूमि है कि हमको सीलिंग की आवश्यकता नहीं है पर मैं कहना चाहता हूँ कि एक किसान जो जयपुर के इलाके में रहता है वह क्या जोधपुर के रेगिस्तान में जाने को तैयार होगा ?

१२.२२ म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हमें सीलिंग राजस्थान के हर इलाके की स्थिति और वहां की सारी भूमि को देख कर नियत करना होगा। हमने भूमिसुधार के कानून पास किये, जिस प्रकार सीलिंग का बिल हमारे सदन में आया ज़मीदारी बिल भी हमारे सदन में आया और पास हुआ, सन् ५८ में और भी भूमि सुधार के बिल पास हुए और राजस्थान सरकार ने जो नीति भूमि सुधार के मामले में अपनाई वह प्रशंसनीय है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा प्रान्त किसी भी तरह पीछे नहीं है, जैसा कि राज्यपाल महोदय ने कहा है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : भ्रष्टाचार में भी पीछे नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : (जारी) मैं माननीय महोदय से निवेदन करूंगा कि माननीय महोदय ने जो कहा है......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महाशय ने कुछ नहीं कहा है, आप आरम्भ रखिये।

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : (जारी) मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि छोटी-छोटी बातें हैं, जिस प्रकार कहा जाता है कि हमारे एड्मिनिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार बढ़ गया है यह हो गया है, वह हो गया है, तो हमारे यहां यह एक परम्परा चल गई है कि हम हर

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

बात को, एक छोटी बात को भी बड़ा रूप दे कर बताते हैं। हमारे प्रदेश में अच्छे और योग्यतम अधिकारी भी हैं और भ्रष्टाचारी भी हो सकते हैं, पर सब को ही भ्रष्टाचारी कह दें तो यह ठीक नहीं होता, हमारे प्रदेश के हित के लिये भी यह ठीक नहीं होगा।

हमारे प्रदेश के लिये जो छोटी छोटी बातें हैं, उनके लिये अधिकारियों को चाहिये कि उन्हें पूरा करें। कई गांवों में मास्टर लोगों को वेतन पाने में दिक्कत रहती है, १५, २० तारीख तक वेतन नहीं मिलता, इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि राज्य के अधिकारी इसका प्रबन्ध ठीक करें।

श्री उपाध्यक्ष : हम छोटी-छोटी बातों को यहां क्यों लें, बड़ी-बड़ी बातों को लें।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : अब मैं मन्त्री महोदयों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि......

श्री भैरोंसिंह : (श्रीमाधोपुर) किन मंत्रीजी से ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : सभी मंत्रियों से कि वे जो दौरे, उद्घाटन-भाषण करने के लिये करते हैं, वे तो ठीक है पर मैं निवेदन करूंगा कि उन्हें वहां के प्रशासन को और अधिकारियों के कामों को भी देखना चाहिये, वहां की खामियों व कमियों को देखना चाहिये। तभी आपके दौरे सफ़ल हो सकते हैं। आज हमारी खामियां बताई जाती हैं वे यही हैं कि मंत्रीगण दौरे में जाते हैं पर वहां ऑफिसेज़ को, अधिकारियों के कार्यों को नहीं देखते। इसीलिये लोगों के दिल में यह भावना भरी रहती है कि मन्त्रीगण आते हैं और भाषण देकर उद्घाटन करके चले जाते हैं। इसलिये उनका परम कर्त्तव्य होना चाहिये कि जिस प्रकार यहां बैठ कर अपने मन्त्री पद के कर्त्तव्य का पालन करते हैं, उसी प्रकार दौरे में आ कर भी करें। आखिर में मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा सन् ५८ का साल वह एक बहुत प्रगतिशील साल था और इसमें हमने हर तरह से तरक्कियां की हैं और राज्यपाल महोदय ने जितनी बातें बताई हैं वे हमारे प्रदेश के लिये प्रगति कारक हैं। इसके लिये जो कृतज्ञता का प्रस्ताव सदन में आया है, उसे सदन सर्व सम्मती से पास करेगा, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ।

(अनेक सदस्यों ने बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घाटोल से आने वाले माननीय सदस्य ने श्रीमान् राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण के सम्बन्ध में, सदन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिस प्रस्ताव के द्वारा सदन से यह मांग की गई है कि श्रीमन् राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में उनको धन्यवाद अर्पित किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक शिष्टाचार के नाते, उनको इस सदन में आकर भाषण देने में कष्ट हुआ है, यदि केवल इसी का धन्यवाद दिया जाय तो मुझे भी इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इस प्रस्ताव का सम्बन्ध राज्य सरकार के गत वर्ष के पूरे कार्य विवरण से और भविष्य में निर्धारित की जाने वाली नीतियों से है, इस दृष्टि से मैंने उस भाषण को सुना भी है और

(श्री भैरोंसिंह)

उसको ध्यान से पढ़ा भी है। मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि यदि उस भाषण का अन्तिम पृष्ठ इसमें से निकाल दिया जाय तो यह भाषण बिलकुल उसी प्रकार का है जिस प्रकार का सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय का काम है। उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यकता इस बात की थी कि सदन के अन्दर सरकार की हम कुछ ऐसी बातें रखते जिनके द्वारा जिन बातों की मांग जनता की ओर से की जा रही है, वे बातें पूरी होंगी, इस बात का हमको आश्वासन मिलता।

राजस्थान के अन्दर अन्न की काफ़ी मांग है, राजस्थान में अच्छे शासन की काफ़ी मांग है, राजस्थान में बेकारी बढ़ रही है, उस बेकारी को रोकने की काफ़ी मांग है, राजस्थान के अन्दर भूख की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार हो, यह इस प्रान्त की मांगे हैं, लेकिन कुछ ऐसा लगता है जिस प्रकार की बातों का भाषण में उल्लेख हुआ है उससे ऐसा लगता है कि अब उन बातों की आवश्यकता नहीं है।

इस सदन में कई बार इस बात की चर्चा हुई और मुझे खुशी है कि घाटोल से आने वाले माननीय सदस्य ने भी एम्बेज़लमेंट के आंकड़े बता कर इस बात को स्वीकार किया है कि राज्य शासन में जिस प्रकार का रेड टेपिज्म और करप्शन है और जिस हद तक राज्य सरकार को उसको रोकना चाहिये था उस हद तक राज्य सरकार उसको नहीं रोक सकी है। उन्होंने अपने भाषण में विश्वास के साथ कहा कि गत वर्ष राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिये, उसके उन्मूलन के लिये एक अधिकारी की नियुक्ति की है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कहा गया है जिसकी नियुक्ति गत वर्ष हुई है उस अधिकारी ने अब तक क्या-क्या काम किये यदि वे आंकड़े राज्यपाल महोदय अपने भाषण में बताते, तो सदन को जानकारी होती कि हमने उस क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि शायद घाटोल से आनेवाले माननीय सदस्य ने भ्रम से करप्शन को स्वीकार कर लिया है। मैं समझता हूँ राजस्थान में अब करप्शन नाम की कोई चीज़ नहीं रही है क्योंकि आज से कुछ दिन पहले राजस्थान के पांच बड़े नेताओं ने अपने वक्तय प्रकाशित किये थे उनमें लिखा था 'वार अगेन्स्ट करप्शन'। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता था कि अब करप्शन से संग्राम चालू हो गया है और जब उसका उल्लेख राज्यपाल महोदय के भाषण में नहीं देखा तो ऐसा देखा कि करप्शन अब बिल्कुल समाप्त हो गया है। लेकिन २१ दिन पहले मैंने उसी माननीय सदस्य का एक समाचार पत्र में भाषण पढ़ा और भाषण को पढ़ने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि जिन्होंने यह वक्तव्य दिया है जो वार अगेन्स्ट करप्शन का स्लोगन देते हैं वह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई विरोधी दल के सदस्य इस प्रकार की बात कहते या किसी अन्य दल के सदस्य ने इस प्रकार की बातें कही होती तो उन बातों को यह कह कर टाल दी जाती कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से कही गई हैं, और उनको यह कह कर टालने की कोशिश की जा रहीं है। तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने यह बातें कही है वे ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के हैं, और उनमें से तीन तो राजस्थान के भूतपूर्व चीफ़ मिनिस्टर रह चुके हैं। उनमें राजस्थान के मन्त्री भी हैं और कांग्रेस अध्यक्ष भी रह

(श्री भैरोंसिंह)

चुके हैं, वे पांच व्यक्ति अगर इस प्रकार का भाषण दें और सरकार पर चार्ज़ लगावें कि भ्रष्टाचार फैल रहा है और सरकार यह कह कर उसको टाल दें कि यह कांग्रेस की आपस की गुट बंदी को लेकर स्टेटमेंट दिया गया है, यह कोई सार्वजनिक हित की चीज़ नही है, इसको स्पष्टिकरण करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि इसका प्रभाव राज्य सेवाओं पर तो पड़ेगा ही और कितना पड़ेगा मगर जनता पर इसका अवश्य असर पड़ता है और जनता यह सोचती है कि अगर हमने भी किसी के खिलाफ़ शिकायत की तो हमारी कोई सुनाई नहीं होगी। आज उनकी नज़रों में सर्व श्री जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, मास्टर आदित्येन्द्र और भोगीलाल पंड्या हैं जो राजस्थान के ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं। वे आज पांचों मिल कर कोई वक्तव्य देकर सरकार पर आरोप लगाते हैं। और सरकार केवल यही कह कर कि यह कांग्रेस के अन्दर की गुट बन्दी का मामला है, टाल देती है, उपाध्यक्ष महोदय, इसका सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत असर पड़ता है और जनता को किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। ऐसा जनता सोचेगी और यह समझेगी कि किसी की शिकायत करना बेकार जाएगा। यह रजिस्ट्री कराने का फ़िज़ूल खर्चा है इससे बचने के लिये कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि अगर यह बात इस प्रकार से रखी जावे या ऐसे रखी जावे कि जिन बातों का उल्लेख वक्तव्य देने वालों ने किया है, वह पूरा हुआ या नहीं। वह किस तरह से पूरा हुआ ? जो आरोप लगाये गये उनमें मशहूर दो नाथद्वारा और पुनरवा फोरेस्ट के केसेज़ हैं। मैं पुनरवा के बारे में विशेष नहीं कहना चाहता लेकिन एक बात की माननीय चीफ़ मिनिस्टर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर उन्होंने आवेश में आकर ही सही इस बात को स्वीकार किया था कि नाथद्वारा के मामले में मेरे ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाया जाता है, तो मैं राजस्थान के उच्च न्यायालय से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात की जांच करें और उस समय सदन में उनके इस कथन का तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वागत किया गया था। हमने देखा, चीफ़ जस्टिस की नियुक्ति हुई। लेकिन बाद में हमने देखा कि किसी तरह से काम करने में बाधाएं उपस्थित हुईं। वे बाधाएं किसी तरह से निकली। फिर हमने उम्मीद की थी कि नाथद्वारा के खज़ाने के मामले की निश्चित रूप से जांच होगी लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारी राज्य सरकार ने नाथद्वारे का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिये ऑर्डिनेन्स निकाल दिया है इसलिये अब जांच की कोई जरूरत नहीं। जब इस प्रकार की बात......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूँ कि यह कभी नहीं कहा गया कि अब ऑर्डिनेन्स ज़ारी कर दिया गया है। अब इन्क्वायरी नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मुख्य मंत्री के कथन से मुझे अब भी विश्वास होता है कि वे अब भी इन्क्वायरी के लिये तैयार हैं। अगर सरकार इस बात को स्वीकार करती है तो मुझे अपने इस प्रकार के शब्दों को वापिस लेने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर मुख्य मंत्री इस बात को कहने के लिये तैयार हो जावें। आज नहीं तो कल के दिन जब सर-

(श्री भैरोंसिंह)

कार उचित समझे या उत्तर दे कि यह मामला राज्य के चीफ़ जस्टिस को सौंपा जावेगा और इसकी इन्क्वायरी कराई जावेगी। आज नहीं जिस रोज़ सरकार की ओर से उत्तर मिलेगा उस दिन यह सारी बातें हमारे सामने आ जावेगी। लेकिन मुझे अभी जो मुख्य मंत्री जी से संकेत मिला है उससे निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह इन्क्वायरी होने वाली है और ऐसी हालत में नाथद्वारे के मामले को लेकर कुछ कहूं तो उचित नहीं होगा। ये बातें जिस समय इन्क्वायरी होगी, उसके सामने उपस्थित की जावेगी। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न आता है भृष्टाचार का। राज्य सरकार यह कहने की स्थिति में अवश्य है कि हम राज्य सरकार के अन्दर, सरकारी अधि-कारियों में जो भृष्टाचार फैला है और जो शायद मावली से आने वाले माननीय सदस्य की कल्पना के अनुसार यदि कहा जाय, तो शिष्टाचार का रूप धारण करता है, रोकने की कोशिश करते है लेकिन वह भृष्टाचार दिनों दिन घर करता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस अधिकारी की भृष्टाचार उन्मूलन के लिये नियुक्ति की गई थी अब उसका उन्मूलन होने वाला है क्योंकि उसके कई कारण मेरे सामने है। चर्चाए भी हैं। मैं चर्चा का ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, आप मुझे बीच में इन्ट्रपशन के लिये क्षमा करेंगे, मगर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि जिससे किसी प्रकार की ग़लतफ़हमी न रहे। जहां तक नाथद्वारे की इन्क्वायरी का प्रश्न है, नये चीफ़ जस्टिस जो बहुत जल्दी चार्ज लेने वाले हैं, इन्क्वायरी कमेटी में नियुक्ति करके निश्चित रूप से इन्क्वायरी की जावेगी।

(करतल-ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिये अनेक धन्यवाद। पब्लिक के मस्तिष्कि में जो इस प्रकार की बातों का भ्रम था उसको जनता के सामने आने का अवसर दिया है।

मैं यह अर्ज़ कर रहा था,

श्री जनार्दनराव नागर (मावली) : अधूरा धन्यवाद हुआ।

श्री भैरोंसिंह : बाकी का इन्क्वारी के बाद में दूंगा। मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी स्थिती में सरकारी अधिकारियों में जो इस प्रकार की व्यवस्था बनती जा रही है वह क्यों? घाटोल से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात बिल्कुल महत्वपूर्ण कही थी और वह यह कि सरकार में रेड् टेपिज्म इस प्रकार का है जिससे देखने से ऐसा लगता है कि हमारी योजनाओं के काम की प्रगति के सम्बन्ध में कई बार बाधाएं उपस्थित होती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यह बताऊं कि केवल रेड् टेपिज्म ही नहीं बल्कि सरकारी अधिकारियों के अन्दर अब एक असंतोष की लहर भी फैली है। मैं यदि यह अर्ज़ करूं कि जितने अल्पवैतनिक कर्मचारी हैं वे तनख्वाह के के कारण से या सरकार से अन्य सुविधायें मिल सकती हैं उनकी कमी के कारण से वे सरकार के प्रति असंतोष रखते हैं तो एक बात हो सकती है लेकिन अब धीरे धीरे सरकार का जो ऊंचा अधिकारी वर्ग है उसमें भी ज़बरदस्त असंतोष की लहर फैलती जा रही

(श्री भैरोंसिंह)

है। अभी अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान में आई.ए.एस. का सिलेक्शन हुआ था, आई.ए.एस के सिलेक्शन को लेकर इस सदन मे एक बार नहीं, कई बार चर्चा हुई थी, कई बार सरकार की ओर से आश्वासन भी मिला हैं कि इस प्रकार के सिलेक्शन में सरकार बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम पूरा करती है। लेकिन इस वर्ष जो आई.ए.एस. के सिलेक्शन हुए वे स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत करते हैं कि राज्य सरकार के समक्ष, राज्य सरकार चाहे यह कहे कि राज्य सरकार का इसमें हाथ नहीं है बल्कि यू.पी.एस.सी का एक रिप्रज़ेन्टेटिव भी इस सिलेक्शन का भागीदार होता है सरकार बचने की कोशिश करे लेकिन मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अब के वाले इस सिलेक्शन में राजस्थान की सर्विसेज़ में, ज़बरदस्त डिस्सेटिस्फैक्शन फैला है। जिन लोगों का आई.ए.एस में सिलेक्शन किया गया, मैं यह नहीं कहता कि वे काबिल नहीं हैं, मैं यह नहीं कहता कि वे पढ़े लिखे नहीं है और मैं यह भी नहीं कहता कि वे बेईमान हैं लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि जिस तुलना में उनका सिलेक्शन हुआ, उनसे अधिक पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, ज़्यादा क्वालिटी रखने वाले हैं, उनसे अधिक ऐडमिनिस्ट्रेटिव एक्स्पीरियेन्स रखने वाले आदमी थे, उनका सिलेक्शन न होकर बहुत जूनियर व्यक्तियों का सिलेक्शन हुआ, इतने जूनियर व्यक्ति जो अब तक भी मामूली जगहों पर काम करने वाले हैं, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्स्पीरियेन्स नहीं है जो सेक्रेटेरियेट में बैठ कर, एक फाइल पर नोट लगा कर दूसरी फ़ाइल का इन्तज़ार करते हैं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट में जाकर वर्क नहीं किया। इस प्रकार के अधिकारी जब सिलेक्शन में आ जाते हैं तो लोग विचार करते हैं कि जहां सिलेक्शन में पक्षपात नहीं होना चहिये, वहां भी सिलेक्शन में पक्षपात होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो सिलेक्शन हुआ था...

२.३ म.प.

श्री उपाध्यक्ष : Is the list out?

श्री भैरोंसिंह : कौनसी?

श्री उपाध्यक्ष : यही, सिलेक्शन।

श्री भैरोंसिंह : मेरे सामने तो आउट है। मैं समझता हूं कि यह गलत नहीं है और ग़लत है तो मुख्य मन्त्री महोदय कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा यह निवेदन है कि यह लिस्ट किस तरह से आई है?

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : चोरी से आई हो। जब तक उसका प्रकाशन न हो जाय उसका रेफ़्रेन्स उपाध्यक्ष महोदय, यहां सदन में न दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Because other members will have no right to controvert it.

श्री भैरोंसिंह : Who says it is confidential?

श्री उपाध्यक्ष : Is it published?

श्री भैरोंसिंह : No, it is not confidential.

श्री उपाध्यक्ष : मेरा यह प्रश्न है कि क्या यह लिस्ट प्रकाशित हो चुकी है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष जी, अब तक यह कॉन्फिडेन्शियल है।

श्री भैरोंसिंह : यह कॉन्फिडेन्शियल है.........

श्री हरिदेव जोशी : इसके माने यह हुए कि यह चोरी की लिस्ट है।

श्री भैरोंसिंह : यह कॉन्फिडेन्शियल हो, लेकिन मेरे पास आई इसलिए सार्वजनिक हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में, जब तक इस लिस्ट का प्रकाशन न होगा, तब तक विवेचन न होगा।

श्री भैरोंसिंह : पर उपाध्यक्ष महोदय, यह......

श्री हरिदेव जोशी : बड़ी परेशानी की बात हो गई।

श्री भैरोंसिंह : फिर मुझे नाम और नम्बर भी बताने पड़ेंगे। जो सिलेक्शन हुए हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि न तो यह कॉन्फिडेन्शियल है......

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : जैसा मैंने निवेदन किया कि इसमें दूसरों सदस्यों को इन आॅग्युमेन्ट्स को कॉन्ट्राडिक्स करने के लिए अवसर नहीं रहता है जब तक यह लिस्ट प्रकाशित न हो जाय।

श्री भैरोंसिंह : मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर दूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : They cannot believe it.

श्री भैरोंसिंह : यदि उनको रिकॉर्ड न मिले और मुझे मिल जांय और मैं उनका रेफ़ेन्स हाऊस में न दूँ......

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अपने ऑब्ज़र्वेशन्स दे दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो सिलेक्शन इस प्रकार से हुए हैं उनमें पक्षपात हुआ है। पक्षपात के अन्दर जो व्यक्ति एक नम्बर से लेकर......

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : क्या उपाध्यक्ष महोदय के फैसले के बाद भी उसको बताया जा रहा है?

श्री उपाध्यक्ष : I am here to consider all these issues.

श्री भैरोंसिंह : एक से लेकर १०४ नम्बर के व्यक्तियों के बीच में से सिलेक्शन हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष, यह उचित नहीं होगा कि इस लिस्ट के सम्बन्ध में, जो कमीशन बैठा था उसने विचार किया और जब लिस्ट यू. पी. एस. सी. के सामने हो तो उसकी यहां सदन में चर्चा की जाय। यह स्वस्थ परम्परा भी नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह : यदि इस प्रकार की

Page No.60

(श्री भैरोंसिंह)

स्थिति है कि यह लिस्ट यू.पी.एस.सी. के सामने है तो निश्चित रूप से मुझे उसको सदन में कहना चाहिये ताकि यू.पी.एस.सी. को भी पता लगे कि राजस्थान सरकार ने यू.पी. एस.सी. को किस तरह मुगालता देकर सीनियर व्यक्तियों को सुपर्सीड करवा कर जूनियर ऑफिसर्स को, अपने पिट्ठुओं को तरजीह दिलाई।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

१००—१५० कर्मचारी आर. ए. एस. के हैं, उनको सुपर्सीड किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : जहां तक इस लिस्ट का सम्बन्ध है, मैंने इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दे दी है कि जब तक यह लिस्ट प्रकाशित न हो जाय तब तक उसका विवेचन न तो नम्बर से और न नाम से ही होगा।

श्री भैरोंसिंह : (जारी) जो लिस्ट मैं सदन में पढ़ कर बता रहा हूं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने आई नहीं है, यह वह लिस्ट नहीं है जो कॉन्फिडेन्शियल लिस्ट कही जाती है, यह तो आर. ए. एस. ऑफिसर्स की सीनियोरिटी की लिस्ट है जो गज़ेट में भी प्रकाशित हो चुकी है...

श्री हरिदेव जोशी : नाम के बारे में कह रहे हैं। किसने घोषणा की है उसकी ? न तो उसके बारे में राजस्थान सरकार ने और न ही यू.पी. एस. सी ने और न ही राजस्थान पी. एस. सी. ने घोषणा की है।

श्री भैरोंसिंह : घोषणा का ही प्रश्न होता तो गज़ेट में नाम आ जाते लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि सिलेक्शन किया है...

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सिलेक्शन हो रहा है, लिस्ट ही अभी प्रकाशित नहीं हो पाई है उससे पहले ही उस कॉन्फिडेन्शियल डॉक्युमेन्ट को, जिस पर कि विचार हो रहा है, जो मामला विचाराधीन है उसको सदन में रखना न्यायोचित नहीं है। आपका इस सम्बन्ध में आदेश हो चुका है जिसका उल्लंघन यहां हो रहा है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया था कि यह चोरी की लिस्ट है या कैसे ?

श्री भैरोंसिंह : I take a strong exception to these words and the Hon'ble member should withdraw these words.

श्री हरिदेव जोशी : मैंने उपाध्यक्ष महोदय...

श्री भैरोंसिंह : He should first withdraw.

श्री हरिदेव जोशी : No, Sir, I would not.

श्री उपाध्यक्ष : Order!Order please!!

श्री श्रीभानसिंह : Let him withdraw first.

श्री हरिदेव जोशी : No, Sir, I will not withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : I am to say something about this.

Page No.61

श्री भैरोंसिंह : He should first withdraw his words......

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, जिस लिस्ट को सिलेक्शन कमेटी ने अभी आउट ही नहीं किया । उस लिस्ट के बाबत खड़े होकर कहना और उसको पढ़ने की बात कहना, इसका मतलब यह हुआ कि या तो वह लिस्ट किसी कर्ल्क ने उनको दी है या तो किसी व्यक्ति ने pass on की होगी या कहीं से चुराई गई होगी इसके अलावा दूसरी चीज़ हो नहीं सकती । इसलिये माननीय सदस्य बतला दें कि यह चीज़ उनके पास आयी कहां से है, अगर वे सोर्स ऑफ़ इनफ़ार्मेशन बतादेंगे तो मैं यह मान जाऊंगा कि यह चोरी से प्राप्त नहीं की हुई है ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इस बात का ज्ञान नहीं है कि मेरे भी कुछ प्रिविलेजेज़ हैं । मैं सूचना गेदर कर सकता हूँ मुझे हाउस इस बात के लिये बाध्य नहीं कर सकता कि मैं उस सूचना की प्राप्ति का सोर्स बतलाऊ मुझे इस बात ने लिये कोई मजबूर नहीं कर सकता कि मैं सोर्स ऑफ़ इनफ़ोर्मेशन आपको बताऊं । यह मेरा अधिकार है उन अधिकारों को कोई चुनौती नहीं दे सकता । अगर मैं हाउस को इनफ़ार्मेशन देता हूँ और वह गलत है तो हाउस को अधिकार है कि वह मेरे खिलाफ़ कड़े से कड़ा ऐक्शन ले सकता है लेकिन जो भी सूचना मेरे पास है वह मैं सदन के समक्ष रख सकता हूँ मेरे कहने का जो अधिकार है उसे आप छीन नहीं सकते इस प्रकार से मेरे अधिकार इस मायने में हाउस से बड़े हैं ।

श्री जनार्दनराय नागर : I Will subemit, Sir, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है यह मान्य करते हुए भी मैं समझता हूँ कि सदन के हर सदस्य को यह भी जानने का अधिकार है कि सूचना कहां से प्राप्त की गई है । चोरी से प्राप्त की है या अन्य तरीके से । जहां तक सूचना की प्राप्ति का सवाल है उनके अधिकारों से किसी को आपत्ति नहीं है लेकिन एक कॉन्फिडेन्शियल डॉक्युमेन्ट जो सरकार के विचाराधीन है जो उच्च स्तर पर चल रहा है उसको प्राप्त कैसे किया गया । इसलिये मैं समझता हूँ सदन के हर सदस्य को यह जानने का अधिकार है कि वह इस डॉक्युमेन्ट की प्राप्ति का सोर्स जाने ।

इसके अलावा यह प्रशासन की कुशलता का भी सवाल है जहां इस प्रकार के कॉन्फि-डेन्शियल डॉक्युमेन्ट बाहर आ जाते हैं वह किस अधिकारी ने बाहर किये किसने pass on किया यह प्रशासन के लिये गंभीर बात है । इसलिये भी सदन को यह जानने का अधिकार है कि उस सोर्स ऑफ़ इनफार्मेशन को आपसे मालूम करें ।

श्री मदनसिंह : यह तो प्रशासन की कमज़ोरी है ।

श्री भैरोंसिंह : मुझे आप सोर्स ऑफ़-इनफार्मेशन बताने के लिये बाध्य नहीं कर सकते और न मजबूर ही कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो मजबूरी का कोई सवाल ही नहीं है । आप इस प्रसंग को छोड़ते हुए डिबेट को आरम्भ रखें ।

श्री भैरोंसिंह : जो 'चोरी' शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके विथड्रा करने के बारे में आपका क्या निर्णय है ?

Page No.62

श्री उपाध्यक्ष : आपने उसको साधारण ढंग से लिया है इसलिये अब यह सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री भैरोंसिंह : I take it very seriously.

श्री उपाध्यक्ष : You have taken this word humorously. This word was expressed 2 to 3 times before and very lightly taken by you. So I thought that you are not serious. It has, therefore, lost its importance.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 'चोरी' शब्द के बारे में ज्यादा जोर नहीं देता खैर, कोई बात नहीं......

श्री उपाध्यक्ष : Be coutious if it is pronounced next time.

श्री हरिदेव जोशी : Should I not take it scrious now.

श्री उपाध्यक्ष : हालांकि आपके वे शब्द आपत्तिजनक थे लेकिन उसके बाद भी उन शब्दों का प्रयोग किया गया और माननीय सदस्य ने उसको सरलता से लिया है इसलिये इस पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं। 'चोरी' शब्द का मामला छोडिये। मैंने इस संबन्ध में जो व्यवस्था दी है कि ये नाम अभी तक प्रकाशित नहीं हुये हैं, अतः जब तक उनका प्रकाशन न हो जाय, उनका उल्लेख न किया जाय।

श्री भैरोसिंह : (जारी) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि आज चाहे मेरे बात कहने के ऊपर जिनके साथ अन्याय हुआ है उनका केस सदन में रखने पर मेरे मुंह पर ताला लगाने का उपक्रम किया जा रहा है। यदि मैं उनका केस सदन में नहीं रखता हूँ जिनके नम्बर को सुपर्सीड किया गया है तो यह अन्याय होगा और इस प्रकार की बात कहने पर आपके द्वारा इस प्रकार अधिकारों का उपयोग होगा तो मुझे डर है उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह इस आसन की व्यवस्था के संबन्ध में कहा जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आसन द्वारा इस प्रकार की जो व्यवस्था दी गई है मुझे खेद है कि मैं इसके लिये हाउस से बाहर निकलना भी मन्जूर करूंगा और इसके लिये हाउस कितना भी सख्त से सख्त कदम क्यों न उठाये उसको भी मैं बर्दाश्त करने के लिये तैयार हूँ किन्तु जो संविधान द्वारा मुझे अधिकार मिला हुआ है उन अधिकारों की सुरक्षा के लिये यदि चेयर की तरफ़ से किसी प्रकार के रूलिंग होते हैं तो उनको मानने से पहले मुझे तीन चार बार सोचना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे इस संबन्ध में बड़ा खेद है। मैंने जो व्यवस्था दी है निश्चित रूप से परम्पराओं के अनुकूल दी है। मैं अब भी यह मानता हूँ जिस सूची का उल्लेख किया जा रहा है, वह सूची अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में परम्पराओं के आधार पर हमारे संविधान के आधार पर और हमारे यहां से चली आ रही नीति के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ऐसी सूची के संबन्ध में बहस नहीं की जा सकती। इन सब बातों के साथ मैं माननीय सदस्य से यह अपेक्षा रखता हूँ कि जहां तक इस आसन की व्यवस्था का संबन्ध है उसका सम्मान करेंगे।

Page No.63

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह शायद मेरे लिये पहला मौका होगा अपने इस सात वर्ष के सदस्यता के काल में जब कि मुझे चेयर की व्यवस्था के खिलाफ इस सदन में मुझे अपने अधिकारों का प्रयोग करना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार का अनप्लेजेन्ट टास्क इस विधान सभा के अन्दर आय। मेरा मुंह बन्द करने के लिये राज्य सरकार यह कहे कि यह सारी सूची कोन्फिडेन्शियल है इसलिये मैं इस संबन्ध में कुछ नहीं कह सकता। जहां तक इस सूची का प्रश्न है यह कोन्फिडेन्शियल नहीं है जिन जिन व्यक्तियों का सिलेक्शन हुआ है उन सब के पास में इसकी सूचना है इसके अलावा जिन जिन अधिकारियों को सुपर्सीड किया गया है उनकी ओर से आर. ए. एस. एसोसियेशन की तरफ से एक रिप्रैजेन्टेशन चीफ सेक्रेटरी को भी दिया गया है और लोग उनसे मिले भी हैं। इस पर भी इसको कोन्फिडेन्शियल कहा जा रहा है मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आपका जो इस संबन्ध में आदेश है वह भी मेरे लिये मान्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Will the Hon'ble Chief Minister please explain something in this respect whether this is confedential or not?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, जिस लिस्ट के बारे में चर्चा चल रही है वह किन अधिकारियों की लिस्ट है और किस बारे में चर्चा चल रही है मुझे पता नहीं है लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि जो आई० ए० एस० के सिलेक्शन के लिये कमेटी बैठी थी उसने क्या कुछ सिफारिश की उसका अन्तिम निर्णय करने का अधिकार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को है। यहां पर जो सिलेक्शन किया जाता है उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमेन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रिप्रेज़ेन्टेटिव होते हैं उनके द्वारा सिलेक्शन होता है और वे अपनी रिपोर्ट गर्वनमेंन्ट के पास भेजते हैं और उस लिस्ट को युनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पास अन्तिम मान्यता के लिये भेजा जाता है। अभी तक उस पर अन्तिम निर्णय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं हुआ है इसलिये जब तक वहां से निर्णय नहीं होता इसको कॉन्फिडेन्शियल ही समझना ठीक होगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिस लिस्ट को कॉन्फिडेन्शियल बताया गया है उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस लिस्ट के प्रकाशित होने से पहले अगर ये सारी बातें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने रखी जाती हैं। तो मैं समझता हूं इस प्रकार की बातें न रखने का न तो संविधान में उल्लेख है और न किसी प्रकार के सर्विस रूल्स में ही। ऐसे सिलेक्शन होने के बाद भी वे अधिकारी अपील कर सकते हैं। इस समय जो सिलेक्शन हुआ है वह फाइनल है अब केवल यू० पी० एस० सी० की मोहर लगने वाली है, और वह मोहर लग कर राजस्थान सरकार को मिलने वाली है। अगर उस मोहर के लगने के पहले ही यह सदन जिन अधिकारियों के साथ अन्याय हुआ है। उस अन्याय से उन अधिकारियों को बचाने के लिये यदि इस सम्बन्ध में कुछ कहा जाय तो मैं आपत्ति नहीं मानता। जहाँ तक इस सिलेक्शन का और इस लिस्ट के कॉन्फिडेन्शियल होने का

(श्री भैरोंसिंह)

प्रश्न है उसके बारे में ऐसी किसी भी विधान सभा में व्यवस्था नहीं कि उस बारे में सदन में चर्चा नहीं हो सकती। अगर हम इस चीज़ को कॉन्फिडेन्सियल मान कर उस पर चर्चा नहीं कर सकते, तो ऐसे सरकार के कई मामले होते हैं जो प्रकाश में आते हैं जिनको सरकार प्रकाश में लाना नहीं चाहती फिर भी वे प्रकाश में आ जाते हैं और उस पर चर्चा होती है। अगर ऐसे मामले जो सब-जुड़िस हो या का कोर्ट में जिनका निर्णय पेन्डिंग हो उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि मैंने इस सम्बन्ध में व्यवस्था दे दी है। माननीय सदस्य उसको मान्य करेंगे और फिर अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं, अगर मैं सदन के अन्दर अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करता हूं तो भविष्य में एक ग़लत परम्परा स्थापित हो जायगी। इस लिस्ट के लिये जो कॉन्फिडेन्शियल कहा जा रहा है और जिसके बारे में उल्लेख न करने का आपका आदेश है मैं समझता हूं वह न तो कॉन्फिडेन्शियल ही है और न प्रिविलेज की चीज़ ही, ऐसी हालत में जहां तक आपका आदेश है कि मैं इस सम्बन्ध में उल्लेख न करूं वह मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं माननीय सदस्य से दर्ख्वास्त करना चाहता हूं कि जिस प्रश्न पर आप वाद-विवाद करना चाहते हैं उसके बारे में हमें कुछ परम्पराओं को स्थापित करना पड़ेगा। जहां तक आई० ए० एस० के सिलेक्शन का प्रश्न है यह केवल राजस्थान का प्रश्न नहीं है, अखिल भारतीय प्रश्न है। इसके लिये अलग व्यवस्था है। उस व्यवस्था के बारे में अगर हम विचार करते हैं तो कल यह भी हो सकता है कि यहां के पब्लिक सर्विस कमीशन से किसी का सिलेक्शन हुआ और किसी को पता लग गया तो क्या उस नाम के लिये यहां वाद-विवाद हो सकता है जिसकी सिफ़ारिश पब्लिक सर्विस कमीशन ने की है। तो फिर एक बड़ी दिक्कत की बात यह होगी कि जो सिलेक्शन करने के लिये अधिकारी बैठते हैं, जो मिलकर सिलेक्शन करते हैं उनके बारे में आज सदन में चर्चा करना उनके जस्टिस के प्रोन्स और कून्स को सारे के सारे को यहां लाना कहां तक ठीक है। पी० एस० सी० की एक व्यवस्था होती है, वह ऐसी होती है कि जिसमें वह निष्पक्ष बाड़ी गिनी जाती है, निष्पक्षता से बैठकर वह निर्णय करती है। अब वे क्या निर्णय करेंगे कैसे करेंगे, एक अफ़सर के बारे में वे क्या सोचते हैं, आप उसे बुरा भी सोच सकते हैं और उस लिस्ट के बारे में हम क्या कह सकते हैं जिसके बारे में यू० पी० एस० सी० को निर्णय लेना है, लिस्ट जिनके सामने है। इसमें मैरिट्स और डिमैरिट्स का प्रश्न नहीं आता। अगर यह सब हम करने लगे तो यह हमें कहां लीड करेगी, मैं नहीं जानता। इस दृष्टि से तो हमें इस प्रश्न को देखना है कि जिन चीज़ों पर हम चर्चा करना चाहते हैं वे दर-असल इस स्टेज पर चर्चा के विषय बनाये जा सकते हैं या नहीं। फिर तो यह होगा कि कोई भी पी० एस० सी० सिलेक्शन करके लिस्ट भेजे, सरकार आर्डर इश्यू करे तो हम कह देंगे कि यह गैर वाज़िब हुआ। तो जो व्यवस्था निष्पक्ष

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

और अन्तिम समझी जाती है और जो व्यवस्था भारतवर्ष में एक सी है जो भारतवर्ष के लिये सबसे बड़ी बाड़ी है यू॰ पी॰ एस॰ सी॰ उसके लिये भी यह कहा जा सके कि वह इन्वोल्व्ड है तो कुल मिलाकर हमारी चर्चा का क्या दृष्टिकोण है, यह इस पर से मालूम हो जाता है। किसी सदन में इस प्रकार की चर्चाएं की नहीं जातीं।

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble member will please continue his debate with due precautions to the ruling given by this Chair.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं खाली आपसे रिक्वेस्ट करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : (जारी) उपाध्यक्ष महोदय, इसमें रिक्वेस्ट करने का सवाल नहीं है। प्रश्न केवल भविष्य की परम्परा का है। आज सरकार या सदन जो इस समय इस प्रकार का निर्णय ले कि कोई लिस्ट पी. एस. सी. के सामने एप्रूवल के लिये पड़ी हुई है और इसलिये उस पर बहस न की जावे तो उपाध्यक्ष महोदय, कभी मौका यह भी आ सकता है कि सरकार के एग्ज़ीक्युटिव अफ़सर के सामने कोई मामला पड़ा है, तीन-चार आदमियों के केसज हैं जब तक उनका निर्णय नहीं हो जावे; सदन में उन बातों पर भी विचार न किया जावे, सरकार यह भी कह सकती है आगे जाकर। मैं समझता हूं कि आज यहां इन अफसरों के पी॰ एस॰ सी॰ के सिलेक्शन का प्रश्न है, वहां कल राजस्थान में अपोइन्टमेन्ट्स के प्रश्न आवेंगे, ट्रान्सफर्स के प्रश्न आवेंगे किसी अधिकारी के पास कुछ हार्ड केसेज पड़े हैं उनका मामला आवेगा तो इसका मतलब यह हुआ कि उन सब पर विचार न किया जावे जब तक कि तय नहीं हो जावे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर! आर्डर प्लीज़!! यह तो जो व्यवस्था इस दृष्टि से दी गई है उसी के सम्बन्ध में इसका विरोध करते जा रहे हैं। इसलिये पुनः निवेदन करूंगा कि आप अपना भाषण जारी रखें, इस स्थिति को अलग रखते हुए।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि इस विषय को मैं थोड़ी सी देर बाद में लेऊं और उस समय इस सम्बन्ध के अन्दर कुछ विचार किया जावे। इस समय सदन के माननीय सदस्यों को भी कुछ गर्मी आई हुई है और ऐसा लगता है कि गर्मी में शायद किसी प्रकार का अस्वस्थ निर्णय ले लिया जावे तो अच्छा नहीं होगा। इसलिये मैं इस लिस्ट को अब ड्रॉप करके पहले दूसरे मामले ले लेता हूं।

(हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी कुछ दिन पहले एक ज़िले में गया था, भीलवाड़ा उसका नाम है। राजस्थान के प्रान्तपति का वह निवासस्थान है। प्रान्तपति कहते हैं शायद उन्हें।

(हंसी)

एक माननीय सदस्य : प्रान्तपति का निवास-स्थान तो झुंन्झुनू है।

(अनेक ध्वनियें)

श्री उपाध्यक्ष : हो, किसी का भी निवासस्थान हो। आप प्रारम्भ रखिये।

श्री भैरोंसिंह : घाटोल से आने वाले माननीय सदस्य करेक्ट कर दें तो ज्यादा अच्छा है। मेरी समझ में माणिकलालजी को प्रान्तपति कहते थे।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : तो मुझ से पहले पूछ लिया होता यहां बोलने से पहले।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ रखिये, कोई कुछ हो।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र में जाने का मुझे मौका मिला। राजस्थान के कई हिस्सों में कई बार मुझे जाने का अवसर मिला और मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिस प्रकार के डेवलपमेन्ट के आंकड़े राज्यपाल महोदय ने अपने अभि-भाषण में दिये हैं वे आंकड़े यदि किसी डेवलपमेन्ट कमिश्नरों की कान्फ्रेन्स में दिये जाते, जिसमें जिस तरह घाटोल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कोई शील्ड मिलने वाली है और उसके साथ यह विचार हों कि उनके बारे में कोई जांच नहीं होगी, केवल भाषण होगा और भाषण के बाद में भी धन्यवाद दे दिया जावेगा। जहां इस प्रकार का एश्योरेन्स मिल जावे और इसके साथ ही आंकड़े अगर डेवलपमेन्ट कमिश्नरों की कान्फ्रेन्स में रक्खे जावें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान को उसके नाते अवश्य शील्ड मिलेगी। इस दौरे के सम्बन्ध में मैं भीलवाड़ा गया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन कर सकता हूं कि भीलवाड़ा की काफ़ी तरक्की हो रही है। इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। इन छः सात बरसों के अन्दर करीब सात आठ बार मुझे जाने का वहां मौका मिला है और जितनी बार गया हूं वहां मुझे निश्चित कोई न कोई प्रगति हुई है इस बात के संकेत मिले हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी, भीलवाड़ा क्षेत्र की काफ़ी प्रगति हो, इस प्रकार की स्थिति में लाकर छोड़ा है। लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी यह चाहते होंगे कि जिस प्रकार राजस्थान की राजधानी जयपुर है, प्रान्तपति के लिये भी कोई राजधानी होनी चाहिये, और शायद उसी खयाल से उपाध्यक्ष महोदय, मैं भीलवाड़ा के लिये कह सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर यदि कहीं करप्शन है तो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा ऊंचा होगा और यदि किसी डिस्ट्रिक्ट को करप्शन के कम्पीटीशन में कोई शील्ड देनी हो तो भीलवाड़ा कभी किसी को निराश नहीं करेगा।

(विरोधी पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

किसी भी क्षेत्र में ले लो, कोऑपरेटिव के क्षेत्र में ले लो, मैकेनाइज़ेशन के क्षेत्र में ले लो, मिनरल के रुप में ले लो, म्यूनिसिपैलिटी के रुप में ले लो, पंचायतों के रुप में ले लो, जितना करप्शन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है उतना राजस्थान के किसी भी जिले में नहीं होगा। माफ़ करना, भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं यह भी नहीं कहता कि करप्शन में उनका किसी प्रकार का सहयोग है मैं इस बात के कहने में संकोच नहीं करता कि कुछ स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जिनको लेकर वहां का करप्शन रुक सकेगा या नहीं, मुझे इसमें कुछ कम संभावनाएं मालूम होती हैं। धीरे धीरे जिस प्रकार से जयपुर राजस्थान की कैपिटल बनती जा रही है वैसे ही भीलवाड़ा करप्शन की कैपिटल बनता जा रहा है।

(हंसी)

(श्री भैरोंसिंह)

एक दिन वह भी आवेगा कि उस कैपिटल में किसी को कोई न्याय मिल सकेगा इसकी सम्भावना नहीं रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन को-ऑपरेटिव सोसायटियों का ज़िक्र राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया है, घाटोल से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कुछ बातें इस सदन में बताई हैं, देश के अन्दर कृषि की नीति क्या होगी उस सम्बन्ध में जो जिक्र किया गया वह है, ज़िक्र कोऑपरेटिव का। उस प्रश्न को लेकर यदि भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के कोऑपरेटिव संगठन को देख लिया जावे तो सबको पता लगेगा कि यहां के कोऑपरेटिव में किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार से सरकार से रुपया लिया जाता है, किस प्रकार से गरीब किसानों के शेयर्स भरे जाते हैं और किस प्रकार से शेयर्स भरने के बाद में, उस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता, किस प्रकार से ज़मीन का अलॉटमेन्ट होता है और फिर सरकार की ओर से तकाबी दी जाती है और किस प्रकार से उन तकाबियों का दुरुपयोग होता है। मैं समझता हूं कि कुछ व्यक्ति ऐसे इन्वोल्व्ड हैं जिनका मैं यदि नाम लूंगा तो फिर सदन में कई प्रकार की तेज़ी और गर्मी आयेगी। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की गर्मी सदन में लाई जाये लेकिन मैं कुछ उदाहरण माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से सदन में पेश करना चाहूंगा

श्री उपाध्यक्ष : आज्ञा किस संबंध में ?

श्री भैरोंसिंह : मैं भीलवाड़ा की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के कागज़ात सर्टिफाइड पेपर्स पर लेकर आया हूं और मजबूरी इसलिए है कि इनके स्टेम्प के पैसे भी मैंने अपनी जेब से दे दिये और उनका उपयोग यदि सदन में नहीं करूंगा तो मेरे लिए किसी काम के नहीं है। अतः उपाध्यक्ष महोदय, आमसेर एक गांव है आसीन तहसील में, आसीन से आने वाले माननीय सदस्य जानते होंगे कि वहां पर एक कृषि सहकारी समिति बनी है। वहाँ एक अच्छे साम्यवादी कार्यकर्त्ता थे। सन् ५७ में वह कांग्रेसी बने और कांग्रेसी बनने के साथ ही उनको इनाम भी मिलने लग गए। तो वह कृषि सहकारी समिति बनी और भूमि अलॉटमेन्ट कमेटी की ओर से ३०० बीघा जमीन उनको अलॉट की गई। ३०० बीघा ज़मीन अलॉटमेन्ट करने के बाद में उसके कागज़ात एस० डी० एम० के पास गए और उसके बाद में कलेक्टर के पास गए। कलेक्टर ने सब कागज़ात वापिस कर दिये और तहसीलदार और एस० डी० एम० से एक्सप्लेनेशन कॉल किया कि तुमने रूल्स के अगेन्स्ट इस जमीन का अलॉटमेन्ट क्यों कर दिया ? मैं वे दो लाइनें उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से पढ़कर सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें कितना सत्य है :

कलेक्टरी कार्यालय,

भीलवाड़ा १८३६

मिसल सहकारी सोसाइटी आसीन्द की नहरी आराज़ी मौजा आमेसर में २१३॥)३ वकाना का खेड़ा में ८६।) २ दी जाने की राय से पेश हुई है नहरी आराजी का अलॉटमेन्ट गवर्नमेन्ट से बन्द है और सोसाइटीज़ को लैंड अलॉटमेन्ट की जाने के रूल्स भी अब तक प्राप्त नहीं हुए व रूल्स बनने तक बन्द किया हुआ है और आमेसर वालों को

(श्री भैरोंसिंह)

भी एतराज है जि० आर० ए० ४६८ मि० वापिस भेज लिखा जावे कि खिलाफ़ कायदा कार्यवाही व सिफ़ारिश कैसे की गई है जब कि इस वक्त ऐसा अलॉटमेन्ट बन्द है ।

ता० २०–६–५७ ई०

यह है भीलवाड़ा के कलेक्टर का उदाहरण । लेकिन अब सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि उस ज़मीन का अलॉटमेन्ट अभी तक फाइनल भी नहीं हुआ है सोसाइटी ने अपनी सारी राजनैतिक हैसियत का दुरुपयोग करते हुए केवल ३०० बीघा पर ही नहीं, बल्कि ८०० बीघा ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। इसके लिए पटवारी शिकायत करते हैं, गांव वाले शिकायत करते हैं, गावों में लोग बेकार बैठे हैं उनको ज़मीन नहीं दी गई है वह कहते हैं कि हमें प्राथमिकता दी जाये, गांव. वालों के भेड़, बकरी और दूसरे जानवरों के चराने के लिए ज़मीन नहीं है, पर उस ज़मीन को उस सोसाइटी को अलॉट कर दी गई है और वह भी ३०० बीघा पर उसने कब्जा नहीं वरन् ८०० बीघा पर कब्ज़ा कर लिया है । अब सबसे बड़ी क्या बात हुई मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री जी इस विषय में मेरे से ज़्यादा जानते होंगे कि तकाबी के रूल्स के अन्दर जब तक कि व्यक्ति का अधिकार ज़मीन पर नहीं होगा तब तक उसको तकाबी नहीं दी जाये, लेकिन इस ज़मीन के अन्दर अलॉटमेन्ट कानून के अन्तर्गत और कागज़ों के अन्तर्गत नहीं हुआ लेकिन उस ज़मीन पर १०,००० रूपया ट्रेक्टर के लिए लोन भी सरकार ने दे दिया । कलेक्टर कहते हैं कि यह अलाटमेन्ट टेम्प्रेरी और यदि ज़मीन उनके पास नहीं रहेगी तो १०,००० का लोन दिया है वह ज़मीन के अगेन्स्ट में दिया है तो उसकी वसूली कैसे होगी ? मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहूंगा जो बार बार एक्शन लेने की डींग हाँकते हैं कि यह सर्टिफाइड काफी मेरे पास है वह तहसीलदार और एस० डी० एम० के खिलाफ़ कार्यवाही करें जिसके खिलाफ गाव वाले चिल्लाते हैं, शिकायत करते हैं सरकार के पास तार देते है और गांवों में सभाऐं करते हैं और इससे सरकार की आँख भी नहीं खुलती है । उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी सोसाइटीज़ एक ही नहीं सनवाड़ के अन्दर एक सोसाइटी है उसकी ऑडिट रिपोर्ट यह है। यदि इस ऑडिट रिपोर्ट को आप पढ़ें या सदस्य पढ़ना चाहें तो पढ़ें लेकिन उसूलन बात यह है कि जिन व्यक्तियों के नाम रकम देने का है वह कहते हैं कि हमको एक पैसा नहीं मिला । ऑडिटर्स कहते हैं कि एक पैसा नहीं मिला । मैं फिर नाम लूंगा तो कहा जायेगा कि यह किसी राजनैतिक द्वेष के कारण कह रहा होगा । मैं फिर माननीय राजस्व मंत्री जी से, जो कि सहकारी विभाग के मंत्री हैं, ऑडिट रिपोर्ट की नकल पेश करना चाहूंगा जिसके अन्दर उल्लेख है कि कहां कहां किस प्रकार की हिसाब में गड़बड़िया की गई हैं और उसके अन्दर गरीब शेयर होल्डर्स को किस प्रकार से परेशान किया गया है ? इस प्रकार की एक सोसाइटी नहीं है । एक आदमी ने सोसाइटी बनाई, मैं समझता हूं कि आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ज्यादा बता सकेंगें और खास तौर से मैं इसलिए कहूंगा कि हरिजन सदस्य हैं ।उनकी जानकारी के लिए कहूंगा कि वहां पर १०,००० रुपये के शेयर्स एक व्यक्ति ने बेचे और शेयर्स बेच बेचकर यह दस हजार रूपया इकट्ठा किया । वह दो वर्ष

(श्री भैरोंसिंह)

पहले से इकट्टा करता आ रहा है। उस सोसाइटी का अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अभी हो गया हो तो पता नहीं नहीं लेकिन मैं गया था उस समय तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। वह व्यक्ति लोगों के पैसे खा गया। वहां के गरीब हरिजन कलेक्टर के पास शिकायत करते हैं कि उस आदमी को गिरफ्तार किया जाये, उस व्यक्ति का चालान किया जाये लेकिन उन गरीबों की सुनने वाला नहीं है। उनके सामने वही श्री जयनारायण जी व्यास का प्रश्न आता है कि उन्होंने भी शिकायत कर ली और एक्शन नहीं लिया। हमारी विधान सभा के एक भूतपूर्व सदस्य श्री किस्तूरचन्द जी हैं और उन्हें माननीय भीलवाडा से आने वाले माननीय सदस्य जानते होंगे कि सहकारी समिति के नाम से किस प्रकार की गड़बड़ी की है। वह मेरे भो साथ रहे हैं। मैं उनके बारे में सदन से कुछ कहना नहीं चाहूंगा और न सदन को डिटेल्स ही बताना चाहूंगा। अगर ये बातें भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कहते तो ज्यादा अच्छा होता। कभी कभी ज़मीन बेचने का प्रश्न आता है। यदि भीलवाड़ा शहर से लेकर मेजा बांध और मांडल तक आप चले जायें तो रास्ते में आपको अद्भुत घटनायें देखने को मिलती हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर १८ बीघा के खेत में ६,००० रूपये की कीमत से उसको पानी देने के लिए एक नहर सरकारी खर्च पर बनाई गई है। वैसे और कहीं पानी पिलाने की खेतों को व्यवस्था नहीं है, छोटी छोटी पुलियायें बनती हैं और वह १८ बीघा भी कच्ची है, पक्की नहीं है उसकी सिंचाई के लिए ६,००० रुपये खर्च कर के नहर बनाई गई है और दूसरे किसान दर्ख्वास्त देते हैं कि हमारे पास २॥ हज़ार बीघा ज़मीन है, मगर इन्हें नहर बनवाकर नहीं दी जाती है और वह तो अपने खर्चे से बनवाते हैं। अगर उन्हें नहर से पानी लेना होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी समझ गये होंगे, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है ....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : We want to know the name.

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं कि वह समझ गये होंगे।

श्री मदनसिंह : मुख्य मन्त्री जी पूछलें तो नाम बता देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Do'nt interrupt, please.

श्री मदनसिंह दांता : Were you really interrupted?

श्री भैरोंसिंह : Yes.

(हंसी)

तो मैं यह निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कितनी गड़बड़ियां होती हैं। यहां मैं थोड़ा सा संकेत बालसागर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में भी करूंगा। मैं समझता हूं कि मेरा संकेत इस बात के लिये काफ़ी होगा कि सोसाइटी में जितनी भी गड़बड़ियां हैं वे दुरुस्त हो जायें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब इन चीज़ों का ज़िक्र नहीं करूंगा और यह यदि बताऊं कि इन कोऑपरेटिव के बेसिस पर हम कोऑपरेटिव फार्मस् बनाना चाहते हैं, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक सर्विस कोऑपरेटिव्ज़ हैं उनका यदि निर्माण होता

(श्री भैरोंसिंह)

है, उन सर्विस कोऑपरेटिव्ज़ के थ्रू यदि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अन्दर किसी प्रकार की कोई तरक्की होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है तो आपत्ति होने का प्रश्न नहीं है। लेकिन सोसाइटीज़ का हाल आजकल कुछ ऐसा है कि सोसाइटीज़ बनाई जायें और सोसाइटीज़ बनाकर गवर्नमेन्ट से मनी एक्सपैक्ट किया जाये। मनी लेकर उसको अपने काम में लिया जाये। यह आजकल सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की रूप रेखा बनी हुई है। अब इसके आधार पर, हम अपने एक्सपीरियेन्स के आधार पर भारतवर्ष के अन्दर और मुझे भारतवर्ष का जिक्र नहीं करना चाहिए। अपने प्रान्त के अन्दर कृषि सहकारी समिति के बेसिस पर हम कृषि का उत्पादन बढ़ाना चाहें, यह बिलकुल असम्भव है। मैं आज, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहूंगा कि हमारी सरकार अब निश्चित रूप से ऐसे गुट के द्वारा फंसती जा रही है जो गुट देश के अन्दर काश्तकारों की जो स्वतन्त्रता है उस स्वतन्त्रता को छीनना चाहता है। आज से कुछ दिन पहले, ५, ६ वर्ष पहले इस प्रकार का स्लोगन लगाया जाता था कि 'लैंण्ड टू दी टिलर'। हम भी ऐसा समझते थे कि ज़मीन काश्तकार की होगी। जो ज़मीन जोतेगा उसकी होगी और इस स्लोगन के नाम के ऊपर हमने जागीरदारियां और जमींदारियां खत्म कीं। लेकिन जिस तरह से मार्क्स की थ्योरी में है वर्ग भेद बढ़ा कर लोगों की जो प्रोपर्टी है या जो उनके राइट्स हैं उन राइट्स को छीना जाय, इस प्रकार की व्यवस्था की जाय। उस व्यवस्था के चंगुल में हमारी सरकार फंसी हुई है। रूस और चीन में काश्तकारों के अन्दर वर्ग भेद पैदा किया गया था। पहले लैंण्ड लॉर्ड और काश्तकारों के बीच वर्ग भेद पैदा किया और लैण्ड लॉर्ड को खत्म किया। फिर काश्तकारों में श्रेणी भेद फैलाने की कोशिश की, रिच पीजेन्ट्स, मिडिल पीजेन्ट्स और लैण्ड लैस लेबरर्स। इस प्रकार से चार वर्ग की संज्ञा दी गई। इस प्रकार के चार वर्ग तो हमारी सरकार ने बनाये नहीं लेकिन इस प्रकार की कार्यवाही चल रही है कि इस प्रकार के वर्ग बनाये जायं। लैण्ड लॉर्ड खत्म हो गये। उस समय स्लोगन लगा था कि जिन लोगों के पास ज्यादा ज़मीन है उनसे छीनी जाय। इस बात को हमने स्वीकार किया कि जो भूमि का दुरुपयोग करता है, कोई भी व्यक्ति भूमि से अधिक से अधिक उत्पादन होने में बाधक बनता है तो उस व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है। उससे उतनी भूमि छीन ली जाय जितनी भूमि का वह दुरुपयोग करता है। उस सम्बन्ध में हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। हमने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया कि राजस्थान में सीलिंग को लागू किया जाय सीलिंग को लागू करने से जो रिच पीजेन्ट्स थे, वे खत्म हो गये। अब हमने लैण्डलैस लेबरर्स का स्लोगन लगा दिया कि जो व्यक्ति मेहनत करता है भूमि पर तो उस भूमि पर उसका हक है क्योंकि भूमि समाज की है, और इस भूमि पर रहने वाले हर व्यक्ति भूमि का लाभ उठायेगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का स्लोलन सुनने में सुन्दर हो सकता है। इस प्रकार का स्लोगन लोगों को बहकाने में सुन्दर हो सकता है लेकिन इस स्लोगन से निश्चित रूप से किसानों का, राजस्थान के करोड़ों काश्तकारों का, जिन्होंने जागीरदारों से लड़कर जमीनों पर अधिकार प्राप्त किया है, मालिकाना हक हकूक प्राप्त किये हैं, उन लोगों के हक हकूक छीने जायेंगे। इससे काश्त करने की जो लोगों में निष्ठा है, वह समाप्त

(श्री भैरोंसिंह)

होगी। लोगों के अन्दर मेहनत करके उत्पादन बढ़ाने की जो क्षमता, है वह क्षमता समाप्त हो जायगी। मैं समझता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात का संकेत किया गया है कि मालिकाना हकूक उसी प्रकार के बने रहेंगे लेकिन मैंने रात को, चीन के अन्दर जो डेलीगेशन गया था, भारत सरकार ने जो डेलीगेशन भेजा था और उसमें दो मेम्बर्स ने जो नोट ऑफ़ डिसेन्ट दिया था, उसको पढ़ा और उस रिपोर्ट को भी पढ़ा। उस रिपोर्ट के आधार पर और अपनी निजी नॉलेज के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि जो यह बात कही गई है कि काश्तकारों के हक बने रहेंगे वह स्पष्ट रूप से धोखा है, काश्तकारों को मुगालते में डालने की कोशिश है। ज़मीन पर सरकार का अधिकार होगा और सरकार होगी, डेमोक्रेटिक नहीं, बल्कि डिक्टेटरशिप की, क्योंकि डेमोक्रैसी के अन्दर को-ऑपरेटिव फार्म्स इम्पोज़ नहीं किये जा सकते हैं, वे सफ़ल नहीं होंगे, फेल होंगे, और इस को-ऑपरेटिव के नाम पर फ़ोर्स इम्पोज़ किया जायगा और जो सरकार फोर्स इम्पोज़ करे उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट नहीं कह सकते हैं, वह कोई डिक्टेटरशिप की गवर्नमेन्ट होगी। इस प्रकार की संज्ञा यह होगी। आज चाहे यह कहा जाय कि भारत के बड़े बड़े नेता यह कहते हैं कि देश के अन्दर सहकारी कृषि लागू हो सकती है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस देश के अन्दर कृषि में सहकारी व्यवस्था लागू करने के विरोध में, मैं आज बहुमत में नहीं हूं, मेरा दल बहुमत में नहीं है लेकिन राजस्थान के किसानों का बहुमत है, जिन किसानों के वोट लेकर यहां पर बैठे हुए हैं, जिन किसानों और काश्तकारों को आपने कहा है कि ज़मीनों पर किसानों का कब्ज़ा होगा, जमीनों पर किसानों का मालिकाना हक होगा, आज आप उन काश्तकारों के ज़मीनों पर से अधिकार छीनने की बात करते हैं। यह उन वोटर्स के साथ में धोखा है, इस सदन में आप बैठकर इस प्रकार के स्टेप लें। या तो सरकार इस बारे में अस्तिफा देकर बाहर आये और दुबारा इस नाम पर वोट लेकर आये कि हम किसानों के हक छीनेंगे, किसानों के कोऑपरेटिव के नाम पर हक छीने जायेंगे, ज़मीनों की आज जो व्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि कुछ समझ में आ सकता है। लेकिन मुझे इसमें कोई औचित्य नहीं मालूम होता है कि कोऑपरेटिव कल्टीवेशन के लिए यह सब आवश्यक हो।

कोऑपरेटिव फार्म की सफ़लता देखने के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जयपुर से दो मील दूर एक हापिड़ा में फार्म है। उसमें कुछ ज़मीन कम हो सकती है, रुपया उसमें कुछ कम लगा हुआ हो सकता है, लेकिन उसके करने वाले बड़े बड़े नेता हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के उस फर्म पर चल कर राजस्व मंत्री भी देखे, हाँलाकि भय लगता है उनको उनसे, लेकिन वे उस फार्म पर चलकर देखें। वहां जाने के बाद में कोई कहे कि फार्म से कुछ मालगुज़ारी वसूल हो सकती है? कहना तो पड़ेगा कि वसूल होनी चाहिए लेकिन उससे संघर्ष बढ़ता है। उस पर दया की जाय, क्योंकि यह मनुष्य का स्वभाव है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उससे नसीहत लें और मेरी सूचना है, उपाध्यक्ष महोदय, संभवः माननीय मुख्य मंत्रीजी को मालूम हो एक

Page No.72

(श्री भैरोंसिंह)

सोसाइटी है दीगोद में वह शायद उनके नोटिस में भी है। वह तहसील शाहबाद में है......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बीगोद तो नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह : दीगोद तहसील शाहबाद में है। उसमें मैं यदि नाम लूं, उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आपत्ति होगी, लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी उसके हिसाब को अच्छी तरह से जानते हैं, शायद इतना मुझे ज्ञान है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दर असल में मैं नहीं जानता हूँ। आप मेरे ज्ञान की वृद्धि करें, तो ठीक रहेगा।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : सोसाइटी बनी हुई है, जिसके अन्दर, अब मैं नाम...बोलूं लेकिन...

अनेक माननीय सदस्य : बोलें, बोलें।

श्री भैरोंसिंह : मुझे उपाध्यक्ष महोदय की...

श्री उपाध्यक्ष : Is he a member of this House ?

श्री भैरोंसिंह : हाउस के मैम्बर नहीं हैं, लेकिन फिर भी फैमिली मेम्बर्स हैं।

(हंसी)

उस सोसाइटी का हिसाब देखें। जो अलॉट होता है उस सोसाइटी के ज़रिये तो यह स्वीकार करके चलना चाहिए कि कोऑपरेटिव फार्म्स से हमें कोई लाभ होने वाला हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जितने भी को-ऑपरेटिव फार्म्स है, कुछ जागीरदारों ने भी बनाये हैं। एक माननीय सदस्य जो कि बालोत्तरा से आये हैं, वे यहां पर नहीं हैं, उन्होंने भी एक फार्म बनाया था। काफ़ी रुपये खर्च कर दिये और खर्च करने ने बाद में उनको ज़बरदस्त घाटा लगा तो कोऑपरेटिव फार्म का नाम न लेकर, बड़े फार्म का नाम न लेकर चुपचाप बैठे हैं। राजस्थान में कोई भी सहकारी समिति या सहकारी कृषि नहीं चल सकती है। जिन लोगों ने कोशिश की है उन लोगों में निश्चित रूप से झगड़ा हुआ है, एकाउन्टस के मामले में। उत्पादन में कमी हुई है और उसके बाद में ज़मीन का विभाजन उन्होंने किया है। अब उपाध्यक्ष महोदय, जहां इस प्रकार की को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ हों, इस प्रकार के को-ऑपरेटिव फार्म्स हों वहां यदि यह भी सोचें कि राजस्थान में को-ऑपरेटिव डिपार्टमेन्ट मजबूत हाथों में है तो मैं समझता हूँ फिर भी गाड़ी कुछ आगे चल सकती थी। लेकिन एक रिपोर्ट मैंने कल पढ़ी थी Report on certain aspects of Co-operative movement by Shri S. D. K. C. I. E.

गवर्नमेन्ट ऑफ़ इंडिया ने उनको अपॉइन्ट किया था और उन्होंने राजस्थान सरकार को कुछ सलाह दी है और सलाह देने के साथ साथ यह कहा गया है कि राजस्थान सरकार एक ऐसी सरकार है जहां हर वर्ष डाइरेक्टर बदलते हैं। को-ऑपरेटिव सोसाइटी के डाइरेक्टर...

एक माननीय सदस्य : डाइरेक्टर, नहीं, रजिस्ट्रार।

श्री भैरोंसिंह : (जारी) Sorry, Regis-

(श्री भैरोंसिंह)

trar कहते हैं कि एक्सपीरियेन्स्ड आदमी रजिस्ट्रार होना चाहिये और उसको एक साल तक अंडर स्ट्रानिंग रहना चाहिये और उसके बाद वह यदि उपयुक्त साबित हो तो उसको रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में हर वर्ष रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती रहती है और इसी कारण से ऐसा हुआ, इस रिपोर्ट में लिखा है कि राजस्थान में ८८ पर्सेन्ट ऐसी को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो डिफेक्टिव हो गई हैं।

"nearly 80 percent of the 87 percent in Rajasthan"

८७ सोसाइटीज़ थीं जिनमें से ८० पर्सेन्ट डिफेक्टिव हो गई हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : ८७ सोसाइटीज़ हैं ? यह कब की रिपोर्ट है ?

श्री भैरोंसिंह : सन् ५७ की है। या तो आपने उनको गलत आंकड़े दिये होंगे या उन्होंने राजस्थान सरकार को गलत इनाम दिया होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ राजस्थान में १२००० हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसमें लिखा है, आप इसे पढ़ लें।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने रिपोर्ट पढ़ ली है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें लिखा है :

Many socities don't function at all. This applies to 44 percent of Pepsu... and nearly 80 percent out of 87 percent in Rajasthan......

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इसको पढ़कर आपको ठीक तरह से समझा दूँगा।

श्री भैरोंसिंह : आप अच्छी तरह से समझ लें, मैं तो अच्छी तरह से समझ गया। इसमें इस बात का संकेत किया है कि राजस्थान में ढाई साल में तीन रजिस्ट्रार बदल गये और उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि डाइरेक्टर्स जो क्वालिफाइड नहीं हैं उन्हें नियुक्त नहीं किया जाय। लेकिन हमारी सरकार न मालूम क्यों हर आदमी को कोऑपरेटिव के मामले में एक्सपर्ट समझती है और नियुक्त कर देती है। अंत में मैं कहूंगा कि हमारे सामने यह संकेत है। आज तक एक बात कहते आये हैं कि काश्तकारों के दिमाग में सिक्योरिटी पैदा करनी है कि जिस ज़मीन में वह काश्त करता है वह ज़मीन उसी की मानी जायगी और उससे छीनी नहीं जायगी, इस प्रकार की सिक्योरिटी काश्तकारों के दिमाग में पैदा करनी है। लेकिन हमने एक तरफ सीलिंग का नारा लगाया है और दूसरी तरफ कोऑपरेटिव फ़ार्मिंग का नारा लगाना चाहते हैं और मैं समझता हूं राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में एक शब्द सोच समझ कर रखा है कि को-ऑपरेटिव फार्मिंग के नाम पर ज़मीन पूल जायगी। इसके कई अर्थ निकल सकते हैं हालांकि इसका शब्दार्थ कुछ और ही हो। लेकिन जब को-ऑपरेटिव के लिये पूल बनेगा तब मुझे संदेह है कि कलेक्टिवाइजेशन आयगा और लोगों का अधिकार उस ज़मीन पर नहीं रहेगा। आज केवल यह कह सकते हैं कि जितनी ज़मीन होगी उतना हिस्सा उसको मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो लोग इसे चलाने

(श्री भैरोंसिंह)

वाले हैं उन्होंने इसे वर्क आउट नहीं किया है कि दर असल में हालत क्या होगी। सन् ५७ से टिनेन्सी एक्ट से काश्तकारों को जो अधिकार दिये थे और इन्वेस्टमेन्ट करने का प्रोत्साहन दिया था वह ५८ में सीलिंग के ज़रिये छीनना चाहते हैं और को-ऑपरेटिव फार्मिंग के नाम पर छीनना चाहते है। ऐसी स्थिती में उनकी सिक्योरिटी कहां से रहेगी, यह मामूली बात नहीं है इसके कारण से उत्पादन में कमी आयेगी। आज काश्तकारों को भय है कि यदि उपज बढ़ायेंगे या मेजा बंध से पानी लेंगे तो जमीन इर्रिगेटेड समझी जायगी और सीलिंग मत्थे पर आयगी और आमदनी बढ़ गई तो सीलिंग से खत्म हो जायगी । ऐसी स्थिति में काश्तकरों में अस्थिरता है उसको देखते हुए चाहे खरीफ़ या रबी अभियान चालू करें, इससे उत्पादन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो सकती। राजस्थान की जनता के सामने जो अनाज की समस्या आ रही है, उसको देख कर सरकार चाहे यह कहे कि रबी अभियान सफल हुआ है इससे इतनी आमदनी आयेगी, भूखों नहीं मरना पड़ेगा लेकिन इससे पूर्ति नहीं होगी। अन्न का संकट आयेगा, उत्पादन में कमी आयेगी। आप कहते हैं कि रबी में बहुत कुछ सफलता मिलने वाली है पर वह केवल कागज़ में मिली है। जितना प्रचार किया उतनी सफलता नहीं मिली है। मैं मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे आंकडे दें कि कितनी ज़मीन रबी अभियान के अंतर्गत काश्त में ली गई और पहले कितनी पैदावार थी और अब कितनी बढ़ी है और जो खर्चा किया है उसकी तुलना में लाभदायक सिद्ध हुई हो तो उसको बतावें। बीज के बारे में मैं सरकार को धन्यवाद दूँगा। यदि सरकार की तरफ से बीज नहीं मिलता तो काश्तकार किसी प्रकार से भी बीज लाते लेकिन सरकार ने इसके लिये सहूलियत दी और बीज दिया । लेकिन कितनी ज़मीन कल्टीवेशन में ली गई और कितनी पैदावार बढ़ी, ये दो आंकडे मुख्य मन्त्रीजी देंगे तो हमें विश्वास करने में कोई संकोच नहीं होगा कि रबी अभियान सफल हुआ। लेकिन मैंने जहां तक देखा है कोई प्रगति नहीं हुई है। केवल नारा है। आप उनका भय दूर करना चाहते हैं। अविश्वास की भावना को रोकने के लिये ही यह नारा लगाया जा रहा है कि रबी अभियान सफल हो रहा है और खरीफ अभियान चालू करने वाले है। यदि यही बात है तो मुझे इससे आपत्ति नहीं होती। लेकिन राजस्थान सरकार के सामने अन्न की समस्या बड़ी भारी है। आज यह कहा जा रहा है कि होलसेल बिज़नेस को गवर्नमेन्ट अपने हाथ में ले रही है और इससे यह समस्या हल करली जायगी । लेकिन मैं कहूंगा कि यह ब्यूरोक्रेटिक एक्सपेन्शन होगा, ब्यूरोक्रेसी बढ़ेगी। स्टेट ट्रैडिंग या होलसेल बिजनेस के सफ़ल होने की कोई आशा नहीं है। हमने कंट्रोल के ज़माने में राज्य सरकारों की व्यवस्था देखी है। १ करोड़ ६० लाख रुपयों के वाउचर्स भी नहीं मिले थे। उस समय भी यह काम जनता के लोगों के हाथ में नहीं था। इसके इन्चार्ज सरकारी अधिकारी आई. सी. एस. लोग थे। उस समय इतना घोटाला हुआ है कि जिसकी हद नहीं। उन्हीं सरकारी अधिकारियों के हाथ में होलसेल बिज़नेस देकर आप क्या उम्मेद करते हैं। कोस्ट ऑफ मेन्टिनेन्स और खर्चा मिलाकर बिज़नेसमैन जिस भाव

(श्री भैरोंसिंह)

से देते हैं उससे कम कीमंत पर नहीं मिलेगा। ऐसी रिपोर्ट है कि इससे ३५ लाख लोग बेकार हो जायेंगे। एक तरफ बेकारी होगी और दूसरी तरफ होलसेल बिज़नेस को अपने हाथ में लेकर सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार के कारण अनाज सस्ता नहीं देंगे। तो आगे चल कर सरकार कहेगी इस तरह से यह नहीं चल सकता। इसका तरीका दूसरा है और वह तरीका क्या होगा ? वह तरीका लागू होगा काश्तकारों पर और कहा जायगा कि कंपलसरी लेवी देनी होगी। किसानों को लेवी देनी होगी और उनकी उपज फिक्स भाव से देनी होगी और सरकारी गोदाम भरने पड़ेंगे। इस बात की चिन्ता नहीं की जायगी कि कोस्ट ऑफ़ मैन्टिनेन्स एंड ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज़ उनको मिलते है या नहीं। भाषण में काश्तकारों को विश्वास दिलाया जायगा कि लेवी के रूप में अनाज नहीं लिया जायगा। लेकिन विधान सभा के अधिवेशन के समय उनको यह भी संकेत मिलेगा कि स्टेट ट्रेडिंग फेल हो रहा है, सफ़ल नहीं हुआ और इसकी सफ़लता के लिये लेवी इंपोज़ करनी चाहिये। और काश्तकार देखेंगे कि सरकारी अधिकारी किस प्रकार उनसे अनाज लेकर दूसरे लोगों को तकसीम करते हैं। लेकिन इसमें अभी कुछ देर है। शायद मन्त्री महोदय इस बारे में आश्वासन देंगे कि यह चीज़ होने वाली नहीं है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो अपने मतलब की बातें इस सदन में कहना चाहूंगा। एक सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, मेरा इससे मतलब यह है कि यह डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार का मुंह है, मुंह। राजस्थान सरकार क्या कहती है, सरकार नहीं बोलती, डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन बोलता है, अब यदि सरकार के मुंह में कीड़े पड़ जायं, यदि सरकार का मुंह किसी बात को स्पष्ट नहीं कह सके तो सुधार करने की आवश्यकता है और इस सरकार का जितना दायित्व मुख्य मंत्री महोदय पर है उतना मुझ पर भी है, उस अपने उत्तर-को दायित्व निभाने के लिये लिये राजस्थान के मुखको साफ़ करने के लिये निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष, भ्रष्टाचार की बातें मैंने रखीं, वह स्पष्ट है, गृह मंत्री जी अच्छी तरह से परिचित हैं कि राजस्थान का यह डिपार्टमेंट किस तरह काम कर रहा है। असेम्बली में मैंने करीब ५० प्रश्न अब तक इस डिपार्टमेंट के बारे में किये हैं। कोई प्रश्न ऐसा नहीं आया जिसमें गृह मंत्री जी ने डाइरेक्टर, पब्लिक रिलेशन्स को बचाने की कोशिश नहीं की हो। एक नाते से गृह मंत्री जी सर्विसेज़ को बचाना चाहें, सिम्पेथी शो करना चाहें, वह समझ में आ सकता है पर मैंने यह देखा है उपाध्यक्ष महोदय, कि सिम्पथी शो करने से जिसके प्रति सिम्पेथी शो की जा रही है, वह उल्टा समझता है। वह समझता है मैंने गलती नहीं की और अगर गलती की भी है और वह विधान सभा में आती है तो गृह मन्त्री जी वहां मौजूद हैं, वहां गृह मंत्री जी मुझे बचाने के लिये तैयार हैं।

३. २ म० प०

यदि इस विभाग को लेकर गृह मंत्री जी कहें कि इस विभाग में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, कोई गड़ बड़ी नहीं है तो मैं इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं

Page No.76

(श्री भैरोंसिंह)

कि मैं इस बारे में कभी कुछ नहीं कहूंगा पर वे भी मानते हैं कि इस विभाग में गड़ बड़ी है। इस विभाग में खरीद फरोख्त की जाती है, उसमें गड़ बड़ी है। जो खरीद फरोख्त की जाती है उसके लिये टेन्डर इन्वाइट नहीं किये जाते, खरीद में गड़बड़ी है। उनको रूल्स का पता नहीं, पता है तो मुख्य मन्त्री जी (गृह मंत्री जी) का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके कारण उनको कोई चिन्ता नहीं। उनको या तो कानून का पता नहीं या कानून का उल्लंघन करने की चिन्ता नहीं। मैं समझता हूं आशीर्वाद तो नहीं होगा। तो यह मान कर चलना चाहिये कि कानून का ज्ञान नहीं पर यह समझ में नहीं आता कि कानून का ज्ञान नहीं, कानून का ज्ञान है और वे योग्य हैं इसी लिये हमारी सरकार ने उन्हें कन्फर्म किया है। यद्यपि सरकार को अधिकार नहीं था उनको कन्फर्म करने का, फिर भी सरकार ने उन्हें कन्फर्म कर दिया, चाहे वह भारत सरकार के सामने पड़ा हो। पब्लिक अकॉउन्ट्स कमेटी अपनी रिपोर्ट में डाइरेक्टर के खिलाफ़ चाहे कुछ भी लिखती हो, पर गृह मंत्री जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका कन्फ़र्मेशन हो गया, कन्फ़र्मेशन होने के बाद यदि कोई आदमी गलती करे और उसको इनाम मिले तो वह गलती इनाम से दुरूस्त नहीं होगी, इनाम देने से वह और गलतियां करेगा। मैंने गृह मंत्री जी को एक पत्र लिख कर दिया था कि इस डिपार्टमेंट का फ़िज़िकल वेरिफ़िकेशन होना चाहिये, स्टोर के अकॉउन्ट्स का चैकिंग होना चाहिये, स्टॉक्स चैक किये जाने चाहिये पर मुझे कोई खेद है कि उसका उत्तर मुझे नहीं मिला। मैंने लिखा था कि मैं सबूत देने को तैयार हूं कि किस प्रकार इस विभाग में घाटोला होता है पर मुझे कोई पूछे न पूछे इसकी मुझे चिन्ता नहीं, सरकारको इसकी चिन्ता करनी चाहिये थी। सरकार भी इसकी चिन्ता नहीं करती क्योंकि यह विभाग है वह हमारे गृह मंत्री जी के पास है।

मैं इन घोटालों के बारे में मोटी बातों का सूक्ष्म में ज़िक्र करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त रशिया के प्रधान मन्त्री यहां आये थे, जयपुर नाम की पुस्तिका का प्रकाशन कराया गया था। किस समय पुस्तिका का प्रकाशन हुआ........

श्री उपाध्यक्ष : This is also an oft-repeated instance.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस डिपार्टमेंट का तो यही हाल है, बार बार रिपीटेशन करना होगा और उस समय तक करना होगा जिस समय तक गृह मन्त्री जी की यह ज़िद है कि इस व्यक्ति के खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जायगा।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : मुझे कोई ज़िद नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इस बात की खुशी है कि मजबूरी से ही सही पर उन्होंने कुछ कहा है। ऐसी स्थिति में मैं पहले एक बात बताना चाहूंगा। मैं यदि कहूं कि वह किताब देरी से आई, बुल्गानिन ५५ में आये और उनके लिये छपाई गई पुस्तिका ५७ में आई, दिल्ली से कागज़ आ रहे थे, दो वर्ष लग गये पर प्रश्न यह है कि हमारा हैड ऑफ़ दी डिपार्टमेंट सर्टिफ़िकेट दे देता है कि किताब आ गई है और स्टोर में रख दी गई है, पेमेंट

(श्री भैरोंसिंह)

कर दिया गया, स्टाक रजिस्टर में लिख दिया गया कि आ गई है। यदि इन तीनों जगह की एन्ट्री गृह मंत्रीजी देखना चाहें तो सब मालूम हो जायगा। किताबें ५७ में आती हैं पर सर्टिफाई कर दिया गया कि किताबें ५५ में आ गई, पेमेंट ५५ में कर दिया गया। जिस राजस्थान के हैड ऑफ़ दी डिपार्टमेंट इतना ग़लत सर्टिफिकेट देते हैं और उनको कन्फ़र्म किया जाता है। गृह मंत्री जी कहते हैं कि उनको कोई ज़िद् नहीं है तो क्या आपने इस अधिकारी के खिलाफ़ कोई एक्शन लिया है? मैंने चार दफ़ा लिखा है। पर कोई उत्तर नहीं। इसका नतीजा है कि इस डिपार्टमेंट के हैड अपनी मरज़ी के माफ़िक रुपया खर्च करते हैं। कुछ दिनों पहले ब्लॉक्स का काम लिया था, उसके लिये टेन्डर्स इन्वाइट किये गये। हिन्द ब्लॉक्स और जुबिली ब्लॉक्स के टेन्डर आये। हिन्द ब्लॉक्स के टेन्डर लोअर थे इस लिये मंज़ूर कर लिये गये और उनको इन्टिमेशन भी दे दिया गया कि आपका टेन्डर स्वीकार कर लिया। जिस दिन हिन्द ब्लॉक्स को यह इन्टिमेशन जाता है उसी दिन जुबिली ब्लॉक्स को काम जाता है और वह सारा काम जुबिली ब्लॉक्स से होता है जिसकी रेट्स हाई थीं। पेमेंट उनको कर दिया गया। पर जिस आदमी का पक्ष लेना हो उसको साधारण पेमेंट हो जाय, यह डाइरेक्टर साहब को जंचा नहीं, उसको कहा गया कि यदि एक्स्ट्रा चार्जेज़ लेने हों, तो ले लो। पर जुबिली ब्लॉक्स ने शायद यह सोच कर कि राजस्थान सरकार में कभी भी बिल चैक हो सकते हैं, सही बिल्स पेश किये, उनको डाइरेक्टर वापिस भेजता है और कहता है कि पैसे बढ़ाओ और इस प्रकार १०० पर्सेन्ट एक्स्ट्रा चार्जेज़ वसूल किये जाते हैं।

इसी तरह का हाल फोटो ग्रुप का है। टेन्डर इन्वाइट किये गये। टांक ब्रदर्स और बंगाल स्टुडियोज़ ने टेन्डर दिये और भी दो तीन ने टेन्डर दिये जिनके नाम मुझे अभी याद नहीं। उनमें से लोएस्ट टेन्डर मंज़ूर कर लिया गया और उसको मेसेज़ कन्वे कर दी गई। इसके तीन दिन बाद कहते हैं कि तुम्हारा टेन्डर ग़लत है, तुम्हारे रेट्स कम नहीं दूसरों के रेट्स कम हैं। मैं समझता हूं फाइनेन्स रूल्स में इस बात की व्यवस्था है कि मेसेज़ कन्वे करने के बाद कोई रद्दोबदल करनी हो तो उच्च अधिकारियों की आज्ञा ली जाय। उस बंगाल स्टुडियों ने लेटर लिख कर दिया है, वह लेटर मैं सदन में पढ़ कर सुनाऊंगा। जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा डिपार्टमेंट किस प्रकार से पक्षपात करता है।

श्री उपाध्यक्ष : लेटर किसको दिया गया है ?

श्री भैरोंसिंह : डाइरेक्टर को लिखा गया है। यह लेटर है बंगाल फोटो स्टुडियो का in reply to the invitation of tenders by the Department.

"The policy of Depatment and the officer concerned is not straightorward and businesslike and is rather more based on favouritism and even basic terms of the tender are not adhered to. Only on the other day some leading photograhers and suppliers waited upon you and you discussed with them on such aspects of the terms of the tenders invited.

(श्री भैरोंसिंह)

We regret to observe no change in the policy of the Department. As such, with a view to protest against the policy of favouritism, we have decided to abstain from submitting our tender this time."

उपाध्यक्ष महोदय, यह हाल है टेन्डर्स का। इसके अलावा आप देखेंगे कि कागज़ों का हिसाब नहीं। किस प्रकार से खरीद करते हैं। इसके अतिरिक्त जितने पत्रों का प्रकाशन होता है उसमें कितने कागज़ खर्च होते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस छोर से उस छोर तक किसी बात का पता ही नहीं है। मैं समझता हूं कि यदि मुख्य मंत्री भी कैश बुक में से कैश निकालें तो उसकी एन्ट्री करना लाज़मी हो जाता है। यह तो एक सामान्य नियम है। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारे माननीय डाइरेक्टर पब्लिक रिलेशन्स, माननीय गृह मंत्री जी की छत्र छाया में कैश निकाल सकते हैं, बगैर किसी एन्ट्री के। जब ऑडिट का चेकिंग होता है तो उसमें १५००) कम मिलते है। ऐसे अधिकारी कन्फ़र्म होने के लायक तो नहीं है बल्कि बरखास्त होने के लायक हैं और अगर कोई ईमानदार अधिकारी हो तो इस प्रकार के अधिकारी को जेल में भेज दें। मगर हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद और छत्रछाया में वे इस प्रकार के सभी काम कर रहे हैं। उधर डिपार्टमेंट में हर तरफ घोटाला ही घोटाला है। किसी पत्र को कितने एडवर्टाइज़मेट पब्लिसिटी के लिये दिये, सरकार से अगर यह पूछा जावे तो कुछ पता नहीं, इसके लिये कोई नियम नहीं। किस पत्र को कितना कितना एडवर्टाइज़मेंट दिया जाना चाहिये, इसका कुछ पता नहीं। जिसको चाहा दिया जाता है और जिसको चाहा नहीं। जिसको सरकार के दिमाग़ में आया उसको ब्लेक लिस्ट में ले लिया जाता है और जिसको सरकार चाहती है उसको एडवर्टाइज़मेंट दे देती है और शायद उस एडवर्टाइज़मेंट से सरकार का जो पर्पज़ है वह तीन दिन पहले ही खत्म क्यों न हो गया हो। किसी टेन्डर करने की तारीख २१ की थी। अगर वह एडवर्टाइज़मेंट २१ तारीख से पहले पहले किसी पत्र में आता है तो उसकी कीमत है और अगर वह २४ तारीख को किसी पत्र में आता है तो उसका कोई सेन्स नहीं है। कई ऐसे आते हैं और सरकार की बिना अनुमति के ही छप जाते हैं और बाद में सरकार उनको पेमेंट करती है।

लाइब्रेरी बुक्स का कोई हिसाब नहीं है। यदि कोई चैक करें तो आपको उचित हालत में नहीं मिलेगी। किताबें कौन कहां ले गया यह किसी को मालूम नहीं। कौन लाइब्रेरी का जिम्मेदार है, कौन हिसाब रखता है, अगर हमारी सरकार से कोई पूछे तो पता लगेगा कि इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार कुछ प्रकाशन करती है और प्रकाशन के लिये हमारे गवर्नमेंट के प्रेसेस हैं जोधपुर और जयपुर में। मगर प्रकाशन गवर्नमेंट प्रेसों में छपें तो जिन प्रेसों को वे फायदा पहुंचाना चाहते हैं, नहीं पहुंचा सकते इसलिये एक तरीका डाइरेक्टर ने निकाला और वह सफल भी हुआ है। जिस प्रकाशन की आवश्यकता की है उसके लिये टेलीफोन से सरकारी प्रेसों को कहा जाता है कि अमुक किताब कल शाम तक या आज शाम तक छपनी चाहिये। प्रेस के पास पहले काम होना निश्चित रुप से तय है ही। इस

(श्री भैरोंसिंह)

लिये प्रेस कहते है कि आज या कल में नहीं छप सकती है। उस समय दूसरे प्रेसों को जिनको उनको फायदा पहुंचाना होता है, टेलीफोन से उठा कर कहते हैं कि फला किताब छापनी है, कल शाम तक। वह भी यही कहते हैं कि कल तक नहीं छप सकती तो उनको कहते हैं कि आप कब तक छाप देंगे। वह कहता है कि १० दिन में। उसको कहा जाता है कि अच्छा १० दिन में छाप देना लेकिन बिल कल शाम का ही बना कर दे देना। किताबें १० दिन बाद आती हैं और बिल उसी दिन का बनता है और पेमेन्ट हो जाता है। इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं कि किस प्रेस को कितना काम दिया गया। इस प्रकार की व्यवस्था है, जिस प्रकार राजस्थान में सब डिस्ट्रिक्टों में भीलवाड़ा करप्शन का केन्द्र है उसी तरह सब डिपार्टमेंटो में से सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, अयोग्यता और पक्षपात है तो वह राजस्थान के डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स के ऑफिसर में है। मैं माननीय गृह मंत्री से कहूंगा कि जो ये बातें मैं सदन में कह रहा हूं अगर गलत हो तो, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मैं अपना त्यागपत्र देने को तैयार हूँ...

श्री उपाध्यक्ष : आप यहां तक क्यों पहुंचते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं इसलिये पहुँचता हूँ कि मैं सदन का एक सदस्य हूँ और जब तक सरकार इसके प्रति कोई एक्शन नहीं लेगी, मैं हर मौके पर इन बातों को रिपीट करता ही रहूँगा। जब तक सरकार ऐसे व्यक्ति को सख्त दंड देने की व्यवस्था नहीं करती। यदि एक विभाग में इस प्रकार की चीज़ चलती है तो यह बहुत ही अनुचित है और यह कॉन्टेजियस है। एक विभाग से दूसरे विभाग में पहुँचेगी। पहुँचेगी क्या, पहुँच गई। यह इस विभाग से पंचायत विभाग में पहुँच गई। जब उन्होंने देखा कि पब्लिक रिलेशन में यह हो रहा है और कोई ऐक्शन नहीं हो रहा है तो यह बीमारी पंचायतों में पहुँच गई। उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो यह बीमारी पंचायत विभाग के ऊपर ही ऊपर है। यदि उसको ऊपर ही ऊपर नहीं रोका गया तो नीचे के स्तर तक पहुँच जावेगी। इसलिये मैं स्वायत्त शासन मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस बीमारी को रोकें और मैं समझता हूं कि स्वायत्त शासन मंत्री इस बात को मंज़ूर करते होंगे कि यह बीमारी है।

एक माननीय सदस्य : ये तो स्वस्थ्य हैं।

श्री भैरोंसिंह : इनको भगवान हमेशा स्वस्थ रखे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं तो श्री विनोबाजी के साथ उनकी पद यात्रा में २० मील पैदल गया था।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : इसमें जितना भ्रष्टाचार हुआ, दुनिया में नहीं हुआ होगा।

श्री भैरोंसिंह : मुझे खुशी है कि आप २० मील पैदल पद यात्रा में चले। मगर पद यात्रा करने के बाद में पैर भी दबवाये होंगे।

(हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि यह एक ऐसा विभाग है जिस पर हम बहुत ज़बर्दस्त ज़िम्मेवारी छोड़ने वाले हैं। सरो

(श्री भैरोंसिंह)

भूमि और भूमि की व्यवस्था की ज़िम्मेदारी पंचायतों के हाथ में देने वाले हैं इसलिये यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पंचायतों के वर्किंग जितना शांत हो उतना ही अच्छा है, हम पंचायतों को अधिकार देने में विरोध नहीं कर सकते। मगर जो पंचायतों वर्किंग से एक्सपीरियेन्स मिलता हैं उसके आधार पर निर्णय लें तो उचित है। आप देखेंगे कि पंचायत एक्ट में मुख्य पंचायत अधिकारी की व्यवस्था है और उसकी डेफीनेशन जब तक असेम्बली में वह नहीं आता कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता। आज मैंने बोर्ड देखा तो उस पर लिखा है संचालक पंचायत विभाग। पहले चीफ पंचायत ऑफिसर था, मगर अब लिखा है डाइरेक्टर। मैं नहीं समझ सकता कि डाइरेक्टर और चीफ़ पंचायत ऑफिसर में क्या फर्क है और उनको इससे क्या आपत्ति थी। मैंने यह सारा देखा और सोचा कि यह सारी व्यवस्था क्यों बदली जा रही है। पता चला कि कन्बे के कुछ बेकार लोग हैं उनको नौकरी दिलाना है। यदि कुछ लोगों को बाहर नहीं निकला गया और कुछ को मजबूर नहीं किया गया और कुछ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला नहीं किया गया तो यह नहीं हो सकेगा। कुछ लोगों का भीलवाड़े से गंगानगर, गंगानगर से अलवर आदि स्थानों पर ट्रान्सफर किया गया। उनका यह आशय था कि जब उनका ट्रान्सफर करेंगे तो वे लोग नहीं जावेंगे और अपना इस्तीफ़ा दे देंगे और उनके स्थान पर अपने कुन्बे के लोगों को फंसाया जा सकेगा और वे इसमें सफ़ल भी हुए। अनाप शनाप ट्रान्सफर किये गये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह स्वायत्त शासन मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कहीं यह भी कॉन्फीडेन्शियल तो नहीं है। अगर कान्फ़ीडेन्शियल हो तो फिर मैं चुप हो जाऊं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे आप दिखा दें तो मैं बता दूँ।

श्री भैरोंसिंह : यह वही है जिसमें आपने कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को अलॉट किया। गवर्नमेंट के सेक्रेटेरियेट लेवल पर कोई ऑर्डर नहीं हुए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑर्डर हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : ऑर्डर नहीं हुए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑर्डर हो गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार उनके अलॉटमेंट के आर्डर जिस रीति से होने चाहिये नहीं हुए और डाइरेक्टर ने एक व्यक्ति के लिये ऑर्डर कर दिया था और उसने नायब तहसीलदार का चार्ज सवाई माधोपुर में लिया लेकिन बाद में उस ऑर्डर को कैंसिल किया गया। अब माननीय मंत्री महोदय बता दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पोस्टिंग ऑर्डर्स गवर्नमेन्ट की सेंक्शन्स से हुए हैं। जब ऐसी शिकायत मिली कि कुछ आदमी कॉम्पिटेन्ट नहीं है इसलिए उनको रोका गया।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझ नहीं पाया इस बात को कि यदि पोस्टिंग ऑर्डर्स गवर्नमेंट की ओर से होते हैं और डाइरेक्टर स्वयम् अपनी मर्ज़ी से नहीं करता तो फिर उनमें उथल पुथल क्यों होती है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : This is not Question Hour.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गड़बड़ी हुई है तो मेरी जानकारी में आई, नहीं तो नहीं, किसी रूप में सही हो।

श्री भैरोंसिंह : मैं मुख्य मंत्रीजी को एक बात के लिए बधाई दूँगा कि छोटे कर्मचारियों के लिए तो व्यवस्था कर दी, कि दो साल से पहले उनका ट्रान्स्फर नहीं किया जाय, उच्च अधिकारी से राय ले ली जाये, इससे काफ़ी हद तक न्याय होगा और ऑफिसर्स को उनका ट्रान्सफर करने में भी संकोच होगा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप पंचायत विचाग की लिस्ट को उठा कर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि एल. डी. सीज़ यू डी. सीज़ इन्स्पेक्टर्स आदि को इधर से उधर कर दिया गया है, एक उथल पुथल भी कर दी गई है। उन लोगों को आज तक तनख्वाह नहीं मिली है, आज मिल गई हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कल शाम तक का मुझे मालूम है कि उनको तनख्वाह नहीं मिली थी। सारी जो व्यवस्था बची हुई थी उसको इधर से उधर कर दिया गया, इन डाइरेक्टर महोदय से हर व्यक्ति परेशान है। वे तो यह समझते है कि मैं नया ढांचा जमा रहा हूँ, रिआर्गेनाइज़ेशन कर रहा हूँ, तमाम डिविज़नल इन्स्पेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर्स हैड क्वार्टर्स तोड़ दिये गये, उनको पावर्स नहीं है, सारी डाक इकट्ठी हो जाती है, सेक्रेटेरियेट में जाकर डाइरेक्टर साहब खुशामंदी करने लग जायेंगे लेकिन कागज़ों के इकट्ठे हो जाने के कारण लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, उनका काम हो नहीं पाता, इधर सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है, एक अजीब वातावरण सा हो गया है, जिनकी नियुक्तियां नहीं हुई, उनकी नियुक्तियां हो रही है, जिनकी नियुक्तियां हो गई उनको हटाया जा रहा है। मैं यदि इस सारे का विवेचन करने लगूं तो मैं समझता हूं कि मुझे काफ़ी समय लगेगा इसलिए अधिक समय न लेकर मैं माननीय मंत्री महोदय का इस ओर ज़रूर ध्यान आकर्षित करूंगा कि समय रहते हुए माननीय मंत्री महोदय इसके लिए चेत जांय तो अच्छा है और यदि उन्होंने इस स्थिति को ठीक नहीं किया तो गृह मंत्रीजी के खिलाफ़ जो ऐक्शन निश्चित किया है कि यह आपके वश का रोग नहीं आप इससे छुटकारा ले लें तो अच्छा है वैसे ही आपके लिए भी मजबूर होकर होगा।

पंचायत विभाग के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा विभाग जो है वह मुख्य मंत्रीजी का विभाग है, शिक्षा विभाग, इसके सम्बन्ध में आपको बताना चाहूंगा। शिक्षा के विस्तार के सम्बन्ध में अभी बहुत कुछ चर्चा हुई। सब बच्चों को पढ़ा दिया जायगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा ऐसा आश्वासन भी हमको मिला है। लेकिन पढ़ाई किस प्रकार होती है उसके लिए अपने मुख्य मंत्रीजी को भेट करने के लिये एक पुस्तक लाया हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, क्या कोई टाइम लिमिट नहीं है?

श्री भैरोंसिंह : अब मैं जल्दी ही समाप्त कर दूँगा।

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, टाइम लिमिट तो होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : No, that depends

Page No.82

(श्री जनार्दनराय नागर)

upon the circumstances. I am conscious about it.

श्री जनार्दनराय नागर : There is every reason to submit to you, Sir, if there is no time limit you must declare it, because we know some of the Members will claim time-limit tomorrow.

श्री उपाध्यक्ष : No. The Chair was too liberal with members on this side and as such it is equally liberal to that side also.

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

श्री जनार्दनराय नागर : I would like to say......

श्री भैरोंसिंह : There is the ruling of the Chair. Please sit down.

श्री उपाध्यक्ष : I am thinking over it seriously.

श्री जनार्दनराय नागर : Sir, I will again submit that there have been occasions in this House where time limit has been claimed by certain members and certain members......

श्री उपाध्यक्ष : This is the first speech. As soon as Shri Bhairon Singh concluds his speech, I will consider about imposing time-limit.

श्री जनार्दनराय नागर : That is the point of making my submission to you, Sir.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था राजस्थान शिक्षा विभाग पर, लेकिन पहले मुझे आना पड़ेगा साहित्य एकेडेमी पर।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : ज़रूर लाइये आप मेरी मदद ही करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अब मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य कहें कि समय ज़्यादा लगेगा तो मैं नहीं बोलूंगा।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : ज़रूर बोलिये, आप मेरी मदद ही करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : खैर। उनकी उदारता के कारण मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। शिक्षा विभाग राजस्थान में शिक्षा का प्रसार कर रहा है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लड़कों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, मैट्रिकुलेट्स, इन्टरमीजियेट्स और ग्रेजुएट्स काफी संख्या में निकल रहे हैं, इसमें भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती। सरकार ने जितने आंकड़े बताये हैं, यदि उनको थोड़ी देर के लिए सही भी मान लिया जाय तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन पढ़ाई कैसी होती है उसको तो ज़रा देखना पड़ेगा। पिछली बार पुस्तकों का राष्ट्रीकरण हुआ, उनको लेकर उनमें जो गलतियां रह गई थीं उनकी ओर संकेत किया गया। मुझे इस बात की खुशी है कि डिप्टी मिनिस्टर ने यह आश्वासन दिया था कि जहां जहां गलतियां रह गई हैं उन सब में दुरुस्ती कर दी गई हैं, लेकिन आश्वासन मिलने के बाद

(श्री भैरोंसिंह)

उन पूरी किताबों को देखा नहीं, लेकिन मुझे एक किताब ऐसी मिल गई जिसको यदि लायब्रेरी में रखा जाय तो अच्छा है, पार्लियामेन्ट में भी भेजा जाय तो अच्छा है। यह किताब किसी मामूली आदमी की लिखी हुई नहीं है बल्कि गवर्नमेन्ट के माननीय नेता, मैं समझता हूं कि जिनका असर है, वह श्री मंडन मिश्र के द्वारा लिखी हुई है। उस पुस्तक का नाम है,"आधुनिक भारत और नागरिक शास्त्र" जो आठवीं कक्षा के लड़कों को पढ़ाई जाती है। यदि कोई चाहे, माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा विभाग, किसी पेज को निकाल कर दे दे, तो मैं गलतियां निकाल दूंगा। किसी में स्पेलिंग मिस्टेक हैं, किसी में फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं और किसी में तो ऐसा है न तो टांग है और न पूंछ ही। कुछ बातें ऐसी हैं जो सदन से सम्बन्धित हैं और उपाध्यक्ष महोदय, आपसे भी सम्बन्धित हैं उनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। उसके पेज १७२ पर लिखा है :

"राजस्थान"

राजस्थान का वर्णन है इसमें। इसमें लिखा है कि "राजस्थान में सम्मिलित होने वाले ऐसे बहुत कम राज्य थे, जिनमें विधान सभायें थीं। जहां थीं, उनके अधिकार भी राजस्थान बनने के साथ साथ समाप्त हो गये। इसीलिए राजस्थान का प्रारम्भिक शासन केवल राजप्रमुख के प्रति ही उत्तरदायी था। जब प्रथम आम चुनाव हुए तो राजस्थान में भी विधान सभा का संगठन किया गया। हमारी विधान सभा के सदस्यों की संख्या १७६ निश्चित हैं।" १७६ के बारे में जिक्र कर दूँ कि सन् ५७ में अमेन्डमेन्ट हुआ है इसका। अब लिखा है :

"भिन्न भिन्न राजनैतिक दलों ने हमारी विधान सभा के चुनाव में भाग लिया और उनमें कांग्रेस दल ने सबसे अधिक आसन प्राप्त किये। इस समय हमारी विधान सभा में मुख्य रूप से दो दल हैं : १. कांग्रेस दल और २. संयुक्त दल।" संयुक्त दल कहीं नहीं हैं। मैं समझता हूं संयुक्त दल का नामोनिशान भी नहीं है। और न ही कोई सदस्य है। १७६ सदस्य हैं जो लिखा है ये वे ही थे, जो कि १६० थे। इसमें जो अमेन्डमेन्ट होना चाहिये था, वह हुआ है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : भविष्य की दृष्टि ज्यादा थी।

श्री भैरोंसिंह : आगे देखियेगा "संयुक्त दल में कांग्रेस के अतिरिक्त दलों की ओर से आने वाले सभी दलों के सदस्य सम्मिलित हैं। कांग्रेस दल का हमारी विधान सभा में पूर्ण बहुमत है, इसीलिए श्री मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में वही हमारा शासन चला रहे हैं।" इसमें तो वही "हमारा शासन चला रहा है।" भाषा आप देख लीजिये। आगे लिखा है, "संयुक्त दल के अनेक जागीरदार सदस्य भी कांग्रेस दल में शामिल हो गये हैं व हो रहे हैं। विधान सभा के प्रत्येक सदस्य को २२५) रु० मासिक भत्ता मिलता है।"

श्री उपाध्यक्ष : आगे बढ़ने का प्रयत्न कर सकते हैं।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : यहां इसमें आपका भी उल्लेख है।

(हंसी)

(श्री भैरोंसिंह)

इसमें लिखा है कि, "अध्यक्ष को ६००) रुपये और उपाध्यक्ष को ४००) रुपये व अन्य सामान्य सुविधायें मिली हुई हैं।" उपाध्यक्ष महोदय, आपको ७५०) मिलते हैं जब कि इसमें लिखा है कि ४००) मिलते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस किताब में कई गलतियां हैं। कौंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए लिखा है "राज्य परिषद्", हमारे मंत्रियों के लिये इस किताब में लिखा गया है : हरिभाऊ उपाध्याय की जगह हरिभाई उपाध्याय, श्री भीखाभाई की जगह श्री मोखाभाई, श्री रिखबचन्द धारीवाल को रेखबचन्द धारीवाल । इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां विधि विशेषज्ञ का एक स्थान है जिसको अंग्रेजी में एक्सपर्ट-इन-लॉ कहते हैं उसके लिये कहा गया है नियम विशेषज्ञ। मैं समझता हूं नियम विशेषज्ञ सही अनुवाद नहीं है। कौन्सिल ऑफ स्टेट के लिये राज्य परिषद् लिखा गया है। यह एक प्रकार से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ है जब कि मेम्बरों की तनख़्वाह दो सौ रुपया माहवार है तो इसमें दो सौ पच्चीस लिखा गया है जब कि हमको कम तनख़्वाह मिलती है और ज़्यादा तनख़्वाह बताई गई है। वैसे तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के प्रश्न को लेकर मैं फिर आपकी सेवा में उपस्थित होउंगा लेकिन जो इस किताब में ग़लत बातों का उल्लेख किया गया है उसकी ओर हमारे शिक्षा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस एक्ट के तहत यह बताना जरूरी होता है कि यह कौनसा एडीशन है लेकिन इसका भी जिक्र नहीं किया गया है। यह मैंने राष्ट्रीयकरण कृत पुस्तक का नमूना आपके सामने पेश किया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के संबन्ध में, मैं बजट के समय जिक्र करूंगा।

इसके अलावा जागीरदारों की प्रोब्लम को लेकर पं० जवाहरलाल नेहरू की मध्यस्थता के कारण लगभग पांच करोड़ रुपयों की सहायता देने की भी इसमें व्यवस्था की है और इसके लिये एक बिल भी इस सदन में पेश किया जाने वाला है इसलिये इस विषय पर ज्यादा समय नहीं लेता हुआ उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक ऐसी बात है जिसमें हमारी सरकार कहती है जागीरदारों के पुनर्वास के लिये और उनके उद्योग धंधों के लिये काफ़ी व्यवस्था की है और उसके लिये बहुतसा रुपया अलॉट भी किया है जिससे छोटे छोटे उद्योग धंधे वे स्टार्ट कर सकें। इस बारे में एक किताब भूस्वामी संघ की ओर से निकली है। मैं उस किताब का उदाहरण दे रहा हूं। जागीरदारों के लिये कौन कौन से उद्योग धंधों में क्या-क्या सहायता मिलेगी और क्या जागीरदार इस प्रकार के उद्योग कर सकते हैं? सरकार के पास जागीरदारों के उद्योग के लिये निम्न योजना है:

एक तो है लोहे के तार बनाने का, दूसरा उद्योग है, पीतल बनाने का और उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा उद्योग उनके लिये है कांच की चूड़ियां बनाने का

(हंसी)

और इसके अलावा चौथा उद्योग है फलों के मुरब्बे के लिये डिब्बे बनाने का। फिर भी मैं सरकार की तारीफ करूंगा कि सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

ने किसी न किसी रूप में उद्योग धंधों के लिये सहायता देने की व्यवस्था की है। जागीरदार उस व्यवस्था से फ़ायदा न उठा सके यह तो उनके भाग्य की बात है, लेकिन सरकार ने उद्योग धंधों के लिये अवश्य सहायता देने की व्यवस्था की है।

उपाध्यक्ष महोदय, जागीरदारों के सामने इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने का प्रश्न नहीं है। मुख्य प्रश्न यह कि सरकार द्वारा जो कम्पेन्सेशन मिलने वाला है उसको लेने का। मैं माननीय राजस्व मन्त्री महोदय को धन्यवाद दे उंगा कि उन्होंने इस विभाग के अन्दर ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें जागीरदार फंसा तो गया, वापिस आने का नाम निशान नहीं। नीचे से कम्पेन्सेशन फाइनल हो गया तो उसकी अपील हो गई। राजस्थान में जहां तक मुझे ख्याल है १८० केसेज़ ऐसे हैं जो जागीर कमिश्नर द्वारा तय कर दिये गये हैं जिसका उल्लेख फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट में भी आया है उनके केसेज़ को जागीर कमिश्नर ने अपने यहां से फाइनल करके राज्य सरकार के पास भेज दिया है और राज्य सरकार ने अपने यहां उसके लिये ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि एक अधिकारी की नियुक्ति कर रखी है वह अधिकारी रिटायर्ड है उस स्थान पर दूसरा व्यक्ति भी काम कर सकता था किन्तु एक रिटायर्ड व्यक्ति को रीएम्प्लॉय किया, इसकी शिकायत तो है ही लेकिन उनका दूसरा काम होता है वह यह है कि जागीरदार कमिश्नर द्वारा यदि किसी ने अपना केस फाइनल करवा लिया तो रेवेन्यू विभाग से वह अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं करवा सकता। ये इच्छाएं अगर कानून विरोधी हो तो उसकी पूर्ति नहीं होनी चाहिये, लेकिन कानून के अनुसार यदि कार्य हो तो उस पर भी इस प्रकार की कोर्ट की व्यवस्था करदे तो यह उचित नहीं है। जहां तक इन सब केसेज़ का ताल्लुक है उसमें मैं समझता हूं सभी गलत हों यह तो माने जाने लायक नहीं है। १८० केसेज़ में करीब ५० केस तो रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर भेज दिये गये हैं। वे इसलिये भेजे गये हैं कि जागीरदार उनके पीछे कई दिनों तक घूमते रहें। अगर उसमें किसी प्रकार की खामी रह गई है तो आप जागीर कमिश्नर को दुबारा लिख कर या जागीरदार को अपने सामने खड़ा करके सारे मामले को निपटाया जा सकता है। रेवेन्यू बोर्ड में ६, ६ महीने तक तारीखें नहीं पड़ती। अगर किसी के क्लेम्स फाइनल हो गये तो उनके बारे में निर्णय नहीं होता। ऐसी अवस्था अब है तो बोन्डस् मिलने पर क्या हाल होगा, यह मैं कह नहीं सकता। जो चक्रव्यूह रचा गया है उसकी तारीफ़ यह है कि कुछ पेटेन्ट वकील हैं उन वकीलों के ज़रिये अगर जागीरदार अपने केस की पैरवी कराता है तो वह केस निकल गये। इसके अलावा चाहे कितना ही होशियार वकील क्यों न हो जागीरी केसेज़ में सरकार को एडवाइज़ करने वाला भी वकील क्यों न हो उसको अगर किया जाता है तो वह काम किसी भी प्रकार से होने वाला नहीं है। जो चक्रव्यूह की रचना की है उसमें वे पेटेन्ट वकील ही कामयाबी के साथ प्रवेश पा सकते हैं और उनके केस निकलवा सकते हैं। ऐसी स्थिति को लेकर जागीरदार बड़े परेशान हैं। आज सबसे बड़ा प्रश्न है छोटे छोटे जागीरदारों का। हमारी सरकार ने आदेश दिया है कि जिन जागीरों का सैटलमेन्ट फाइनल नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

हुआ है उनके क्लेम्स फाइनल नहीं किये जायं। दांता रामगढ़ तहसील, जयपुर तहसील, जमवा रामगढ़ की तहसील, अलवर की गढ़ी थाना, ये तहसीलें ऐसी हैं जिनका फाइनल सैटलमेन्ट नहीं हुआ गवर्नमेन्ट रिव्यू कर रही है। सीकर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर छोटे मोटे जागीरदारों की संख्या करीब २२ हज़ार है। दांता रामगढ़, श्रीमाधोपुर इन तहसीलों में रेटस् का रिव्यू हो रहा है, रिव्यू कब होगा, यह पता नहीं। दांता रामगढ़ का सन् ४९ से सैटलमेन्ट हो रहा है। आज सन् ५९ है लेकिन अभी तक सैटलमेन्ट पूरा नहीं हो पा रहा है कितने अर्से तक वहां के जागीरदार प्रतीक्षा करते रहेंगे ? राजस्थान की कई तहसीलों का रिव्यू हो रहा है सैटलमेन्ट फाइनल हो रहा है, उसमें जो देरी हो रही है, मैं समझता हूँ इससे निश्चित रूप से जागीरदारों को नुकसान होगा। मैं राजस्व मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि अगर रेटस् के बारे में कहीं झगड़ा है तो आप उसे इस ढंग से तय कर दें जिससे न तो राजस्थान सरकार को ही नुकसान हो और न जागीरदार को ही। आप कोई भी एक्शन लें, तुरन्त लें ताकि जागीरदार को जो कुछ भी पैसा मिलने वाला है वह उसको प्राप्त करके उसका फ़ायदा उठा सके और सहायता जो मिलने वाली है उससे फ़ायदा उठा सके।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूँगा। मेरे मित्र यहां से चले गये हैं, वह उनसे सम्बन्धित ज्यादा हैं। उन्होंने टैक्सेशन की तालिका देते हुए यह बताया था कि डूंगरपुर में सबसे ज्यादा टैक्स है। उनकी वेदना को मैं समझ सकता हूँ, वे डूंगरपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने पहला चुनाव डूंगरपुर से लड़ा था, उन्होंने बताया कि डूंगरपुर में पर केपिटा ६ रुपया टैक्स है, उसको देखते हुए उनका कहना है कि दूसरे स्थानों पर भी ज्यादा टैक्स होने चाहिये। वे शायद इस बात से भी परिचित होंगे कि वहां की नगरपालिका के चेयरमैन हैं उनके खिलाफ़ एक लाख रुपये के दुरुपयोग करने की शिकायत है। सरकार द्वारा एक लाख रुपया अर्बन इम्प्रूवमेन्ट के नाम पर दिया गया जिसका दुरुपयोग किया गया है, एक लाख रूपयों का दुरूपयोग किया है। कलक्टर को शिकायत होती है। कलक्टर ने कागज़ात जब्त किये हैं और जांच करके उसने रिपोर्ट दी है कि कुछ रूपयों का दुरूपयोग हुआ है। पर एक इसके बाद भी इस के खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस एक लाख ही का प्रश्न नहीं। एग्रीकल्चर-विभाग से एक ट्रेक्टर के लिये लोन दिया गया, पर एक भी ट्रेक्टर वहां नहीं है। एक डिपार्टमेन्ट से बीज भण्डार के नाम से रूपया लिया गया पर उसका आज तक सदुपयोग नहीं हुआ। अब कोई बीज भण्डार की नींव लगी हो तो पता नहीं। पर जहां तक मेरी जानकारी है उसकी स्थापना नहीं हुई। गर्ल्स हाई स्कूल के लिये १५ हज़ार की राशि दी गई। उसमें भी ११ हज़ार का हिसाब गलत दिया है। इतना ही नहीं, मैं और जिक्र करता हूं, काफी समय मैंने आपका ले लिया है, पर फिर भी संक्षेप में निवेदन कर देता हूं; एक आदमी है खाजूलां। इस आदमी के नाम से चार हज़ार रूपया ले लिया गया। वह आदमी अदालत में खड़ा होकर कहता है, मैंने न कोई ठेका लिया, न काम किया, मेरा झूठा नाम लेकर रूपया मेरे नाम से ले लिया गया है। उसने कहा कि मुझे कहा जरूर गया था कि तुम नाम ही अपना दे दो पर

(श्री भैरोंसिंह)

मैंने इन्कार कर दिया पर फिर भी उसके नाम से रूपया ड्रॉ कर लिया गया। कलक्टर के पास भी इसकी पुकार की गई। पर कोई एक्शन इस में नहीं लिया गया। ये घोटाले वहां होते हैं। ये मैं उनको बताना चाहता हूं जिन्होंने कहा है कि सबसे अधिक ६ पर्सेन्ट टैक्स उनके यहां लगे हैं। मैं इसका विरोध इस लिये करता हूं कि इम्प्रूवमेन्ट के नाम से पैसा लेते हैं और उसका दुरूपयोग करते हैं। ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर उपाध्यक्ष महोदय, जनता को लाज़िमी तौर से विरोध करना पड़ता है कि हम सरकार को किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना चाहते इस तरह से दुरूपयोग करने के लिये। अब मैं उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी कार्यवाहियों के लिये सदन का और विशेष तौर से आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस बात का काफ़ी मौका दिया है कि मैं अपने विचार, इस सदन में प्रस्तुत करूं।

लेकिन अभी कुछ राजस्थान के सलेक्शन हुए हैं आर० ए० एस० के, यूनियन पी० एस० सी के नहीं बल्कि राजस्थान सरकार के। सीनियर ग्रेड्स में आपने कुछ व्यक्तियों को अभी सलेक्ट किया है। मैं समझता हूं कि किया होगा, न किया हो तो आप मुझे अभी बता दें ताकि मेरा समय अधिक खर्च न हो। आपने किया है। चार अफ़सरों का किया है। वे हमारे अफ़सर, उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं यदि यह कहूं कि नगर पालिका के चुनावों में जाकर माननीय मुख्य मंत्रीजी यह शिकायत करेंगे कि उदयपुर की तरक्की का जिक्र करता हूँ तो जनसंघ के आदमी मेरा विरोध करते हैं। लेकिन मजबूर होकर मैं यह कहूंगा कि जिन चार आदमियों का सलेक्शन हुआ है उनमें तीन उदयपुर के हैं। मैं यह नहीं चाहता कि उदयपुर के लोगों को प्रमोशन नहीं दिया जावे। तीन उदयपुर के हैं और एक बीकानेर का है। वे जो बीकानेर के हैं, वे मेहता हैं।

(हंसी)

इस तरह से चार प्रमोशन्स मिले हैं। इनको सीनियर ग्रेड के लिये चान्स दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री स्वंय इसे देखें। यह सलेक्शन उचित नहीं हुआ है। आप चाहे, किसी को किसी भी प्रकार से तरक्की देना चाहें दें, लेकिन जिनको आप सुपरसीड करते हैं उनका भी विचार करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया :अच्छा हो, उपाध्यक्ष महोदय, यह सलेक्शन की व्यवस्था क्या थी, यह भी बता दें।

श्री भैरोंसिंह :उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि इस व्यवस्था की बात कही जाती है। आर० ए० एस० की व्यवस्था तो आवेगी इसलिये बताने में संकोच नहीं है। इन चार का जिनका सलेक्शन हुआ है उनके नाम से शायद कहना चाहें तो एक एक का नाम भी बता सकता हूं। एक हैं श्री भंवरलाल मेहता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया :मैंने तो यह पूछा है कि उनको सलेक्ट करने वाले कौन हैं, सलेक्ट करने की व्यवस्था और रूल्स क्या हैं, यह भी थोड़ा आप बता दें।

श्री भैरोंसिंह :मैं समझता हूं राजस्थान सरकार है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया :राजस्थान सरकार ने इसके लिये सिलेक्शन कमेटी बिठाई है। इसलिये सिलेक्शन कमेटी ने उनको सिलेक्ट किया है, मुख्य मंत्री ने नहीं वह भी नहीं, जिनके लिये संकेत करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप से तो मैं पक्षपात की उम्मीद ही नहीं करता।

(हंसी)

मैं केवल इतनी सी बात कह रहा था कि सिलेक्शन कमेटी का अपॉइन्टमेन्ट राजस्थान सरकार ने किया है। और यदि चाह कर भी इस सिलेक्शन कमेटी की बात को लेकर जिक्र नहीं किया तो मेरे अधिकारों का अतिक्रमण होगा।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): इस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन थे इसकी जानकारी चाहते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा कि पूरे दो घंटे इन्हें बोलते हो गये हैं।

श्री भैरोंसिंह :मैं भी अब बिलकुल जाने ही वाला हूं।

(हंसी)

और इसलिये यह निवेदन है।

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ऊपर अगर समय की पाबन्दी लगावेंगे, तो हम मंजूर नहीं कर पावेंगे।

श्री भैरोंसिंह : दो मिनट में मैं समाप्त करता हूं।

श्री जनार्दनराय नागर : आप तो और बोलिये। हम लोगों के लिये सवाल हैं। कुछ वी० आइ० पी० है जिनको अधिक समय दिया जाता है। हमारे लिये समय की पाबन्दी लगाई जा सकती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I would request the Hon'bal Member please not to cast aspersions...

श्री जनार्दनराय नागर : I submit to the Chair...

श्री उपाध्यक्ष : I will have my own decision about other Hon'bal Members.

श्री जनार्दनराय नागर : But we have a right to speak.

श्री उपाध्यक्ष : You have right and I will assess that.

श्री भैरोंसिंह : One at a time please.

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order ! please !!

श्री भैरोंसिंह : तो मैं यह निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में कि जो सिलेक्शन हुआ है, माननीय सदस्यों की शिकायत को ध्यान में रखते हुए मैं जल्दी समाप्त करूंगा, मैंने वास्तव में काफी समय ले लिया है, उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी का केवल यह कह कर उसे टालना कि वह अनुचित है, मैं उस बारे में यह निवेदन करूंगा कि इस सलेक्शन के कारण

(श्री भैरोंसिंह)

लोगों के अंदर असंतोष पैदा हो गया है। अब मेरा अंतिम प्रश्न उपाध्यक्ष महोदय, वह आर. ए. एस. का सिलेक्शन है और इसको लेकर मैं इस बात से भी इंकार नहीं करता कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है, मैं उस व्यवस्था को जिस ढंग से विरोध होना चाहिये, करूं पर मैं इस बात के लिये भी कंसीड नहीं करता कि इस प्रकार की व्यवस्था चालू हो जावे सदन में। कंसीड कर जाऊं तो ऐसी परम्परा चालू हो जावेगी. कि किसी भी कागज के लिये फिर आगे से सरकार कहने लगेगी कि चूंकि यह कागज उच्चाधिकारियों के सामने है, एग्ज़ीक्यूटिव हैड्स के सामने है, सिलेक्शन बोर्ड के सामने है, यह कागज फलां अफसर के सामने है और इस पर जज़मेंट होने वाला है, इसलिये यहां किसी पर भी कुछ विचार नहीं किया जावे। कुछ इस प्रकार की इस सम्बंध में मेरे पास इन्फोर्मेशन थी कि आर. ए. एस. अफसरों में इस सिलेक्शन के प्रति असंतोष है,. और वे उस पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उन्होंने अपने ग्रीवान्सेज लिखे भी हैं। उनको लेकर अगर मुझे यहां कुछ कहने से रोका जाता है तो यह मेरे अधिकारों का अतिक्रमण है, यह किन्हीं लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयत्न है। राजस्थान सरकार की व्यवस्था से जो असंतोष का संचार लोगों में हुआ है और जिसकी अभिव्यक्ति की जा रही है उसको रोकने का प्रयास है। यह सदन के सदस्यों के प्रति किसी प्रकार का न्याय नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से यह अपील करते हुए कि उनके साथ यह अन्याय हुआ है, वह चाहे फिर किसी स्तर पर हों, राजस्थान के स्तर पर हुआ हो या दिल्ली के स्तर पर हुआ हो, चाहे होने वाला हो, उनके साथ जो अन्याय हुआ है विरोधी दल का सदस्य होने के नाते उनके प्रति सहानुभूति दिखलाये बिना मैं नहीं रह सकता, उसका जिक्र किये बिना नहीं रह सकता, जिक्र करने से रोकना मेरे अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण है और जो अपने अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है उसके विरोध स्वरूप, मैं, इस सदन से अपने दल सहित वाक आउट करता हूं।

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह आप दो घंटे का भाषण देकर, क्या वाक आउट करते हैं ?

(३. ५०. म. प. श्री भैरोंसिंह एवं कुछ अन्य विरोधी दल के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायण सिंह।

श्री जर्नादनराय नागर : मैं यह मानकर चलता हूं कि हम पर कोई समय की पाबन्दी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : यथासम्भव समय के प्रश्न पर विचार नहीं किया जावेगा। Provided that the speech is relevant and repetitions are less. Yes, Shri Narain Singh Masuda.

(सर्व श्री नारायणसिंह एवं जुगलकिशोर चतुर्वेदी बोलने हेतु खड़े हुए)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय....

डॉ बहादुरसिंह : आपने नाम बोल दिया है।

Page No.90

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : धन्यवाद का प्रस्ताव रक्खा है

श्री उपाध्यक्ष : Shri Narain Singh will please Continue

श्री नारायणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय..

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : But he has not yet started.

श्री उपाध्यक्ष : He has started

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Mr. Dy. Speaker, Sir, I will again submit that I resent this name calling business. The procedure is that anybody who catches the eye of the Speaker should be called.

श्री उपाध्यक्ष : I think the Hon. Member was not attentive.

श्री श्रीभानसिंह : I am attentive. The Hon. Dy. Speaker called the Hon. Member even though he had not risen in his seat.

श्री उपाध्यक्ष : He rose from the seat and than I called his name.

श्री श्रीभानसिंह : No, Sir, the Chair called his name.

श्री उपाध्यक्ष : You can better refer it to Shri Narain Singh. He rose in his seat and then I called him. It is not in the light of the list that I called him.

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में मैं खड़ा होता हूं। राज्यपालीय भाषण अथवा चीफ़ ऑफ़ दी स्टेट का जो भाषण है, वह हमेशा प्रगति का सांकेतिक है और भावी की ओर एक प्रकार का मार्ग दर्शक होता है। इसी दृष्टि में हमें जो राज्यपालीय भाषण है उसको देखना पड़ता है और वह उसी दृष्टि से धन्यवाद के पात्र बनते हैं। आज हमारे सामने जो राज्यपाल महोदय का भाषण प्रस्तुत है उसमें उन्होंने बड़ी स्वतन्त्रता पूर्वक और बड़ी स्पष्ट भाषा में राज्य की प्रगति का पूर्ण संकेत किया है और त्रुटियों का भी सुचारु विश्लेषण किया है। जो विशेष बातें उनके भाषण में आई हैं और जो ध्यान देने योग्य हैं उनमें सर्वोपरि शासन शक्ति के विकेन्द्रीयकरण की ओर संकेत किया है और जिसके विषय में उनकी यह घोषणा है कि इसके बारे में एक विधेयक भी यहां पर लाया जायेगा, उसका हम हृदय से स्वागत करते हैं। इसके अलावा जो महिला शिक्षा की तरफ़, अनिवार्य शिक्षा की तरफ़ उन्होंने पॉलिसी का संकेत किया है और उत्तरी ज़ोन की सम्मिलित रिज़र्व पुलिस फोर्स का जिक्र किया है, सहकारिता की ओर जो राज्य सरकार का बढ़ता ध्यान इंगित किया है, उसकी ओर जो संकेत किया है और उद्योगों के फैलाव का जो मस्विदा प्रस्तुत किया है, और इस प्रकार छोटे उद्योगों की ओर जो राज्य सरकार का बढ़ता ध्यान बताया और इसके अलावा ज़िला परिषदों के विकास की ओर जो सरकार का विचार गया है, जो २।। लाख टन नाज़ की बढोत्तरी का लक्ष्य उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है इन सब बातों से जो हमारी सारी प्रगति प्रस्तुत होती है वह बड़ी आशाजनक है। लेकिन जो यह सारा विश्लेषण है वह एक प्रकार से केवल प्रत्यक्ष

(श्री नारायणसिंह)

अवलोकन है, एक ऑब्जेक्टिव्यू है हमें यह भी देखना आवश्यक है कि अर्थ के जो भीतरी चक्र चालू हैं, उनका असर क्या होगा या हो रहा है ? क्या हमारे प्लानिंग के ऊपर उनका असर पड़ रहा है, हमारे मानस का क्या इस भूमिका में स्वरूप बन रहा है इस ओर भी हमें दृष्टि डालना आवश्यक हो जाता है। रोग की परिचर्या के लिए यही नहीं देख कर संतोष ले सकते कि रोगी का टेम्प्रेचर कितना घटा अथवा उसका रोग किन अंशों में गया हमें यह भी देखना आवश्यक हो जाता है कि रोग का मूल समाप्त हो रहा है या नहीं और रोगी का मानस स्वस्थ जीवन संवहन करने के लिए तैयारी हो रही है या नहीं, यह भी देखना होता है। इसी दृष्टि से आज हमें इस सारी प्रगति के नीचे जो भीतरी चक्र चल रहा है, अर्थ का या मानस का, उसकी ओर दृष्टि डालना आवश्यक हो जाता है। आज हमारे देश का मानस पूरी तरह से बन नहीं पाया है जन मानस विक्षिप्त एवं लहराता हुआ है। उसकी एक विशेष भूमिका है। हमारे देशको आज़ादी मिली और उसके बाद हमें एक जनतंत्रीय पद्धति प्रजातंत्रीय पद्धति के विकास का अवसर मिला, और हमें जो पुराना अनुसरणीय उदाहरण मिला वह संसदीय पद्धति का था। उस संसदीय पद्धति के साथ साथ हमने एक आधुनिक कल्याण-कारी राज्य का आदर्श प्राप्त किया और उसके साथ ही समाजवादी समाज के गठन का बीड़ा भी उठा लिया। इन सब बातों की विकास भूमिका को यदि हम देखें तो वास्तव में यूरोप में यह सारी प्रगति, इस सारी विचार धारा का विकास तारतम्य २०० वर्ष से कम समय में नहीं लाया जा सकता। यूरोप का जो सामन्तशाही युग था। उसकी प्रक्रिया में जो एक औद्योगिक क्रान्ति पैदा हुई, उसने एक व्यक्तिवाद को जन्म दिया, लेकिन उसका जो व्यवहार स्वरूप था वह ऐसा दोष पूर्ण था, कि जिससे जो हल प्रजा चाहती थी जो सामाजिक न्याय को कायम होना था वह ओझल होता चला गया। कई दार्शनिको डेस कोर्ट्स, वाल्टीयर, बर्क एड्च स्मिथ, मिल इत्यादि ने उसी व्यक्तिवाद कोसमय समय पर अपनी ही परिस्थिति अवलोकन एवं अनुभव के आधार पर एक दर्शन के रूप में विकास मान् किया। उसे वे अशुद्ध कहते रहे। लेकिन जो उसका व्यवहार स्वरूप बनता चला जा रहा था, उसकी अन्तिम प्रति क्रिया मार्क्स-वाद का स्वरूप एवं उसकी स्थापना हुई। उसी के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था लाने का दौर चला और जो समाजवादी व्यवस्था का विचार हमारे सामने आया वह उसी का फल था। आज उस मार्क्सवाद को इस उद्भय में जो व्यक्तिवाद था उसके जबाब एक प्रकार का समूहवाद उत्पन्न हुआ जो कि थोड़े में, व्यक्ति को बिलकुल दबा देना चाहता था। हम जहां प्रजातंत्र कायम करना चाहते हैं वहां हमारा गांधीवाद इस बात पर ज़ोर देता है कि व्यक्ति को दबाकर समाज विकसित नहीं हो सकता। ऐसे प्रजातंत्र के लिए और एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श लेकर हम यदि समाजवादी ढांचा बैठाना चाहते हैं तो हमें पूरी तरह से सोचना पड़ेगा कि हम ऐसी पद्धति को किस सुचारू रूप से बैठायें कि जिससे सही प्रकार के व्यक्ति-मूलक प्रजातंत्र का विकास हो। व्यक्ति एवं व्यक्ति विकास समूह में मर नहीं जाये। आज हमारे सामने जो एक विशेष अर्थ-व्यवस्था के निर्माण का और ऐसी ही राजनीति के निर्माण का लक्ष्य है उसके लिए यहां यदि मैं एक समाज शास्त्री के महत्वपूर्ण

(श्री नारायणसिंह)

संकेत को कोट करूं तो मैं शायद विषयान्तर नहीं करूंगा।

"There is all the difference in the world between treating everybody equal and attempting to make them equal. While the first is the condition of a free society, the second means, as Toquiville will describe it, a new form of servitude."

इक्वेलिटी एवं सामाजिक न्याय का आदर्श तो सब जगह सभी आधुनिक नीति शास्त्र की बुनियाद है। उसके साथ ही साथ इक्वेलिटी का या सबके लिए इक्वल अपार-चुनिटी लाने का प्रश्न व्यक्तिवाद में भी सर्वोपरि है तो समूहवाद में भी। लेकिन वहां यह देखने की आवश्यकता है कि ऐसी कन्डीशन्स पैदा न हो जायें कि जिससे एक प्रकार का सर्वीट्यूड उत्पन्न होता नज़र आये। इससे तो अच्छा हमें गांधीवाद से प्रेरणा लेकर अपनी ही संस्कृति एवं परम्परा की भूमिका पर हमारे जनमानस को सही दिशा दे सकते हैं जो कि आज बड़ी भारी अविकसित अस्थिर अवस्था में है। उसी अविकसित अस्थिर अवस्था में हमारा राष्ट्रीय मानस भी है। इसलिए ज़ब हम अपने प्लान एवं प्रोग्राम लेकर आगे बढ़ते हैं उनमें कभी-कभी कुछ थरथराती लहराती हुई सी नीति अथवा भावनायें नज़र आ जाती हैं।

४ म० प०

समाजशास्त्री एफ, ए, हैकस्पष्ट चेतावनी के शब्दों में कहते हैं :

"Indeed the great lesson which the Individualist philosophy teaches us is that while it may not be difficult to destroy spontaneous formations which are indispensable to a free civilsation, it may be beyond our power deliberately to reconstruct such civilisation once these formations are destroyed."

यह जो spontaneous formations की तरफ उनका संकेत है आज उनकी रक्षा करना है हमारी सारी आर्थिक नीति और सामाजिक नीति का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। हमारा जो प्लानिंग है आज का मैं अगर कहूं कि वह एक प्रकार का माइक्रो प्लानिंग है तो अनुचित न होगा। हम एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर एक साथ सब चीजों में सामुहिक समूचा विकास लाना चाहते है। हम एक विहंग व्यापक दृष्टि से सब चीज़ों की ओर ध्यान देना चाहते हैं जिससे सारा समाज सामूहिक स्वरुप में विकसित हो सके। हम वहां इसी दृष्टिकोण से टार्गेट्स बनाते हैं। हम अपने लक्ष्य बिन्दु बनाते हैं, और वे लक्ष्य ऊपर से बनाकर नीचे की व्यवस्था पर थोपते हैं। अब वे लक्ष्य नीचे के मानस अथवा स्थानीय परिस्थिति पर पूरी तरह से बैठ नही पाते हैं, तब एक संघर्ष उत्पन्न होता है, और उस समय जो इन टार्गेट्स को क्रियान्वित करने के लिए, मशीनरी है वह या तो बेढंगे तौर से उन्हे करने के लिए प्रयत्नशील होती है या एक फाल्स स्टेटमेंट पद्धति को अख़्तियार करती है। जो कि आज भी कई रिपोर्टों से स्पष्ट है। तो इस प्रकार की जब परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हमारा विकास उस क्षेत्र में सही रूप से हमारे सामने नहीं आपाता है। केवल मात्र स्टेटमेंट के आधार पर हम उतनी ही उस विकास के लिये झूठी समझ बिठा लेते हैं। आज जो आवश्यकता

(श्री नारायणसिंह)

है उसमें व्यक्तिवाद के मूलाधार को लेकर हमारे यहां की संस्कृति के आधार पर जो गांधीवाद है उसकी प्रेरणा को लेकर सारे समाज की रचना हमें माइक्रो प्लानिंग की जगह एक प्रकार से माइक्रो प्लानिंग को आदर्श बनाना पड़ेगा। उसी तरह से नियोजन करना पड़ेगा। उसका अर्थ यह होगा कि एक एक व्यक्ति की रोज़ी एवं रोज़ी के दायरे का आप सर्वे करेगें और ऐसे सर्वेक्षण के आधार पर एक व्यक्ति की रोजी की तैयारी में उसकी रोजी की स्थिति का ताना बाना बुनेगें, जिसमें एक एक व्यक्ति की रोजी के चित्र को हम दूसरे के साथ जोड़ते हुए सारे समाज की व्यवस्था की रचना करेगें। तो इस प्रकार से हम हमारे प्लानिंग के मूलाधार को बदलें।

आज जब हम तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए तैयार है, उसके लिए तैयारी कर रहे है, आज दो पंचवर्षीय योजनाओं का हमें पूरा अनुभव है, उन अनुभवों को लेकर हमें आज यह बात आवश्यक रूप से करनी होगी कि हमारा जो आयोजन हो वह व्यक्ति के आधार पर बनकर आगे की ओर अग्रसर हो। वह नीचे से चले और उपर से थोपा हुआ नहीं हो। यदि इस दृष्टिकोण को लेकर हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की ओर अग्रसर होते हैं तो ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। हमारे नेताओ ने, हमारे कर्मण्य पुरुषों, हमारे समझदार अर्थनीतिज्ञों ने अब इस बात को समझा एवं स्वीकार भी किया है कि हमारा आयोजन नीचे से शुरू होना चाहिए। पंचायतों को नियोजन का मूल बनाकर हमारा ध्यान गांवों के विकास की तरफ़ से शुरू होना चाहिए। आज हमारा प्लानिंग टार्गेट्स के आधार पर है, लेकिन आवश्यकता है रेस्पोन्सिव एवं रेस्पान्सिबल लीडरशिप को प्रोत्साहित करने की, जिससे गावों में वहीं के जुम्मेदार व्यक्ति तैयार हों और वास्तविक विकास की ओर लोगों की प्रवृत्ति बढ़े और विकास उन्ही के जरिये प्रेरित हो, उन्ही के जरिये बढ़ सके। तभी सही नियोजन एवं रुची जन सहयोग भावना का उद्भव होगा।

अब विकास के मूलाधार, विकास की रीढ़ की हड्डी जिसको समझना चाहिए उसकी ओर मैं आता हूं, वह है प्रशासन जो मशीनरी हमारे हाथ में होगी, जिससे प्लानिंग अग्रसर हो सकेगा वह सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित होना अनिवार्य है। प्रशासन की व्यवस्था के बारे में आज कोई दो मत नहीं हो सकते कि प्रशासन आज जिस प्रगति से हमारा विकास चल रहा है, हमारी आयोजनाएं चल रही है, उस प्रगति से हमारा प्रशासन अपने आपको संचालित करने में अपनी ही पुरानी विधिगत गुत्थियों में उलझकर ओछा पड़ रहा है कई बातें उसमें है। कई प्रकार की रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की राजकीय स्तर पर प्रशासन के बाबत में प्रकाशित हो चुकी है। विकास निमित्त कमेटी ने सिफारिशें दी हैं। वे सिफारिशें हमारे सामने आई हैं। गोरवाला, एपलबाई इत्यादि की रिपोर्ट्स हमारे सामने आई है। व सब इस बात पर जोर देती हैं कि यदि हमें प्रशासन को सही दिशा में ले जाना है तो राइट रिक्रूटमेंट, राइट ट्रेनिंग और राइट एलोकेशन ऑफ़ वर्क, इन तीन बातों पर ज़ोर देना चाहिए। उन्होंने कुछ मौलिक तथ्य हमारे सामने लेकर पेश किये हैं। उन्होंने बताया है कि प्रशासन की

(श्री नारायणसिंह)

आज जो ढ़िलाइयां हैं वह सर्व प्रथम तो ऐसी प्रोसीड्यूरल व्यवस्था का, हमारी एक ऐसे लम्बे अफसरशाही के ढांचे का परिणाम है कि जिस ढांचे में कागज़ को निकलने के लिये अनिवार्य विलम्ब मौजूद है। हमारे प्रस्तावक महोदय ने स्वयं इस बात की ओर संकेत किया था।

४. ५ म० प०

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

उन्होंने कहा था कि एक एक मुद्दे को लेकर एक एक फाइल को किस प्रकार से चक्कर लगाना पड़ता है। किस प्रकार की लम्बा तारतम्य बनी हुई है कि जिनमें घूमते हुए कार्यवाही निलम्बित हो जाती है और फाइनेन्स में जाते जाते तो कई फाइलें टक हो जाती हैं। कई योजनाएं बनती है। ब्लॉक लेवल पर अथवा डिट्रिस्क्ट लेवल पर जो योजनाएं बनकर आती हैं। लेकिन जहां एग्ज़ीक्यूट टैक्निकल से सेंक्शन आदि का सवाल आता है वहां उन प्रशासनिक गलियों से निकलते हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव आदि सेन्क्शन की गलियों से गुजरते हुये आखिर में जाकर फाइनेन्स डिपाटमेंट में तो जैसे जाही अटकती है। फाइनेन्स डिपार्टमेंट में ही टेढ़ी मेढ़ी ही गलियां बहुत आजाती है और कार्यवाही इतनी पिछड़ जाती हैं कि योजनाओं में कई बार कई स्वयं और शार्टफाल्स भुगतने पड़ते हैं। आज उन गलियों को ठीक प्रकार से हम सरल एवं सीधी बना सकते हैं यह विचार आवश्यक है। फाइनेन्स डिपार्टमेंट में कभी कभी इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, मेरे ही एक अधिकारी का मुझे अनुभव था अपने ही एक जांच नवीस था। केवलमात्र उसका लक्ष्य यही रहता था कि जो भी कागज़ आये, जब तक उसे जांच नवीस जांच के तीन चार चक्कर न लगवाये तब तक वह अपनी चतुराई सिद्ध नहीं मानता था। आज यदि इस प्रकार से केवल मात्र जांच के लिए, केवल जांच की लकीर की फकीरी को पकड़ कर नुक्तेनिगाह से बर्ताव किया जाय तो कई योजनाओं के पिछड़ जाने का जो अन्देशा है उसकी तरफ से ध्यान हट जाना स्वाभाविक है। और आज तो यह आवश्यक है कि जिस चीज़ का टार्गेट बनाया है, जिस चीज़ को करने जा रहे हैं, वह चीज़ कितनी जल्दी क्रियान्वित हो सकती है। उस प्रवृत्ति को आज एक एक विभाग से नहीं हटाते हैं तो जो प्रगति के रोड़े हैं वे हमेशा के लिए बने रहते है। नीति के बारे में भी कभी कभी प्रशासन को एक अस्पष्टता का सामना करना पड़ता है। इस बारे में इन रिपोर्ट्स ने काफ़ी जिक्र किया है। और इसके लिए शासन की कुछ कमियां हैं उन चीजों की ओर संकेत किया है, और उनके काफ़ी उदाहरण दिये हैं।

नीति की अस्पष्टता के लिए ही खास करके में गोरवाला की रिपोर्ट में ही कहा गया है। उसको पढ़कर अर्ज़ करता हूं, और वह कई प्रकार से सब जगह हमारे यहां राजस्थान की भूमिका में बराबर लागू हो जाती है। इसमें लिखा है,

Lack of plannning, continuous shifts in policy, incapacity for independent thought, inability to withstand pressure and influence, these are pointed out as some of the defects in the administrative efficiency.

(श्री नारायणसिंह)

तो इस प्रकार से यह जो नीति की अस्पष्टता का विषय आता है उसमें मैं अगर उदाहरण रूप में खरी अभियान का ज़िक्र करूं तो खरी अभियान एक विशेष दृष्टिकोण से सरकार ने चलाया उसमें इन्टेन्सिव कल्टी-वेशन बढ़ायें, बीज इत्यादि दिये जायं, यह बातथी लेकिन प्रशासनिक अस्पष्टता के कारण वह एक दूसरे ही रास्ते पर चला गया इसका अर्थ यह हुआ कि जो एग्रीक्लचर डिपार्टमेंट होने के नाते अच्छे बीज देने की तरफ ध्यान देता, उसको सप्लाई डिपार्टमेंट बनने की नौबत आ गई, और हर जगह से बड़ी बड़ी मागें आ गई, और हमको उसे पूरा करना मुश्किल होगया, और जो साधा-रणतया ऑर्डिनेरी प्रोसेस में, अन्दर जो बीज हर जगह उपलब्ध रहता मिलता था वह तहखानों में चला गया या बाहर चला गया और लोग बीज के लिए ताकते रह गये। इस प्रकार की अस्पष्टता की तरफ इन रिपो-र्ट्स में भी काफी ध्यान आकर्षित किया गया है। गैर जिम्मेदारी और अनुशासन की कमी खास तौर से बताई है कि आज प्रशासन में अलग अलग दायित्व का विभाजन और शक्ति का विभाजन पूरी तरह स्पष्ट प्रतित नहीं है। और जहां कुछ है लेकिन इसके होते हुए भी ऊपर के जो दफ्तर हैं या ऊपर के जो अफसर हैं उनके कारण बराबर दखल नीति के नीचे वाले अपने दायित्व को भूलने लगते हैं और ऊपर का अधिक सहारा लेने लगते हैं और इस कारण से निजी काम में गैर ज़िम्मेवार भी होते जाते है। आज चाहिये यह कि हरेक शक्ति और दायित्व का दायरा अलग अलग बने। कलेक्टर अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट को छोड़ छोड़ कर अपने निर्धारित फैंक्शन्स या शक्तियां बनी हुई है उनके अन्तर्गत कामों के लिये भी क्यों बार बार, दूर, दूर, से जैसे जैसलमेर, भरतपुर, अजमेर, या अन्य जगहों से चलकर जयपुर में आकर आदेश की दौड़ करते रहते हैं, उनको इतनी छूट होनी चाहिये कि वह अपनी शक्ति का काम स्वयं अपनी ज़िम्मेदारी से करले यदि इस प्रकार की जिम्मेदारी ऊपर सरक जाती है तो हरएक अफसर, वह स्वयं अपनी ज़िम्मेदारी से बचने का सहज तरीका अपना लेता है और अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पर सरकाने की प्रवृत्ति अंगीकार कर लेता है और खुद पकड़ में नहीं आता। इसलिये हरेक चीज़ का स्पष्टीकरण होना चाहिये। शक्ति और दायित्व का विकेन्द्रीय-करण और स्पष्ट नियम और हद बन जानी चाहिये कि फलां तरह के अफसर को फलां शक्ति और दायित्व है और उस तक वह बिल-कुल स्वतंत्र एवं जवाबदार हैं और वैसा ही और उससे ऊपर ऊपर के ऊपर तक का तार-तम्य इस तरह से यदि किसी की गलती भी होगी सो जिस दायित्व के अंतर्गत गलती होगी, उसको पकड़ में लिया जा सकता है।

इन रिपोर्ट्स में एक और प्रवृत्ति का इशारा किया गया है और स्पष्ट बताया है कि ब्रिटिशकाल में, पोस्ट वार डैज में जो स्थिति बनी जिससे ऐसे कई डिपार्टमेन्ट खुले जो टेम्परेरी थे। पोस्ट वार कंडीशन या वार कंडीशन ऐसी हुई जिसमें प्रशासन के लिये कुछ ऐसे प्रलोभन बने और आदतें बनीं जो आज तक भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकीं। इसके लिये मैं मानता हूँ कि राज्य सरकार भी काफी प्रयत्नशील है और उसके लिये प्रयत्नशील ऑफिसरों को भी प्रयत्नशील दिल से होना चाहिये। आज देश जिस संकट

(श्री नारायणसिंह)

काल में से गुज़र रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हरएक को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी है। यदि इस देश को बनाना है तो हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ेगी। इसका कुछ कारण क्लॉस थी और क्लॉस फोर सरवेन्ट्स की पे स्केल्स आदि हैं भी हैं। जो खाली पेट इमानदारी कैसे सिखलायेगा सेन्टरल पे कमीशन की इन्टेरिम रिपोर्ट है उसकी सिफारिशों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा और उनके जो सुझाव हैं उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा मंहगाई भत्ते हर बीस कॉन्उट और लिविंग इंडेक्स की बढ़ोतरी पर पुनः सोचकर बढ़ाया जायां करे इस शिफारिश पर ध्यान देना पडेगा ताकी जो आर्थिक सुदृढता अफसरों में होनी चाहिये वह हो सके।

अभी अभी प्रस्तावक महोदय ने ३५० पेन्डिग केसेज़ एम्बेजलमेंट के बताये जो २० लाख की मालियत के हैं उनका ज़िक्र किया। उन चीज़ों की ओर भी हम आंख मींच कर नही रह सकते। आज प्रशासन में जितनी सुदृढ़ता लाने की है उसके लिये कोशिश करनी चाहिये। टेम्प्रेरी स्टाफ के बारे में निवेदन यह है कि पोस्टवार कंडीशन में कई डिपार्टमेन्ट बने उसकी वजह से टेम्पेरेरी स्टाफ़ अधिक आया। कुछ हमारे यहां इन्ट्रीग्रेशन का भी दौर आये। दायरा था ऐसे अवसरों पर जो स्टाफ़ था उसको जज्ब करना पड़ा परिणामतः कई टेम्प्रेरी सर्विसेस रह गई इनको सतत पर्मानेन्ट होने की ही ज्यादा चिन्ता रहती है बनिस्पत अपने कर्त्तव्य की ओर ध्यान देने की। हमको एक अवधि निश्चित करनी चाहिये। जिससे आगे किसी को टेम्प्रेरी नहीं रखा जावे। यह जो अनिश्चितता की प्रवृत्ति बनती है उसके कारण उनको यह सोचना पड़ता है कि हमें पर्मानेन्ट बनना है इसके लिये किस किस को एप्रोच करना है, कैसा कैसा लिन्क लगाना है यह प्रवृत्ति खत्म हो और काम सुचारु रुप से चल सके ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये।

डवेलपमेन्ट विभाग के लिये गौर वाला विलेज् माइन्डेडस होने का इशारा किया है और उनकी रिपोर्ट में यह सुझाव है कि दायित्व और शक्ति का विकेन्द्रीयकरण हो और भ्रष्टाचार को निर्मूल करने का सुगम विधानी तरीका हो लेकिन उसमें इतनी लंबी गली नहीं हो कि लीगल गलियें पार निकालते, करते कार्यवाही ही गायब न हो जाय इसके लिये ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उसका तुरन्त उपचार किया जा सके।

तबादलों के बारे में यह कहूतो अतिशयोक्ति नहीं होती कि नियत आधार पर होने में बहुत कमी रह जाती है अधिक समय तक एक ऑफिसर एक ही जगह पर नहीं टीका रहे। यह ठीक है लेकिन जो बहुत जल्दी तबादले किये जाते हैं वे स्थिर प्रशासन की ओर ले जाने वाले नहीं होते। कम से कम ३ वर्ष तक एक अफिसर एक जगह रहना ही चाहिये। इस विषय में खास तौर से डवेलपमेन्ट विभाग के बी.ड़ी. ओज. का सवाल आता है उनके लिये ३ वर्ष का नियम भी ठीक नहीं है। २ वर्ष में तो वे अपने क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर पाते हैं कि वहां की स्थिति कैसी है और वहां का जन-समुदाय क्या है जब यह बात जान पाते हैं उसके बाद सही कार्य-प्रणाली की एक दिशा बना सकते हैं, उस बीच में ही यदि उनकी ट्रान्सफर हो जाती है तो एक

(श्री नारायणसिंह)

तरफ से कार्य का जौर दौर बन पाता था उसको दूसरा आने वाला विद्दिप्त करके दूसरी कार्य धारा बनाने लगता है और इस प्रकार कार्य संपादन अपूर्ण एव उलभा हुआ सा होता है यदि किसी की शिकायत हो तब तो अलग बात है लेकिन यदि किसी की शिकायत नहीं हो तो बी.डी. ओज़. को ५साल तक एक स्थान पर रखना चाहिये। उनका सिलेक्शन कैसे हो यह बात अलग अलग रह जाती है। राज्य की फाइनेन्स इन्क्वारी रिपोर्ट ने भी जल्दी जल्दी ट्रान्सफर के बारे में कहा है: " Frequent transfers involve a loss of deffectiveness."

इन बातों पर हमें खास तौर से ध्यान देना होगा।

आगे चलकर अफसरी चुनाव एक नियुक्तियों का सवाल आता है।

आज पी. एस. सी. के अधीन ही शिलेक्शन है लेकिन इन रिपोर्टस में यह भी सुझाव है कि हर स्टेज पर ऐसी कमेटी बननी चाहिये, जो पी. एस. सी. के नियम एव निरीक्षण के आधीन हो और एक विशेष प्रकार के नियम से सब चुने जांय। अलावा इसके नियुक्तियें ही नहीं बल्कि पदवृद्धि भी इन्हीं नियमों के अनुसार पी. एस. सी. के अधिकार में हों, "Within the ambit of the P. S. C. concerned." ये गोर वाला असली शब्द हैं : "All appointments within the supervisory ambit of the P. S. C. concerned, all appointments by Committees. केवल योग्यता के आधार पर और नियमों के अनुसार नियुक्तियां हों तो पदवृद्धि भी इसी के अनुसार हों, इससे निश्चयात्मकता एवं विधिबन्ता हरेक नियुक्त में और हरएक प्रशासन के अधिकारी के दिमाग में असली योग्यतानुसार जाता है। मैं टेम्प्रेरी स्टाफ़ के बारे में कह चुका हूँ। ६ महीनों से अधिक कोई टेम्प्रेरी नहीं रहना चाहिये।

इसके अलावा एक सबसे बड़ा सुझाव इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टस में और है जिसकी ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। गवर्नर महोदय ने भी कहा है कि विभिन्न प्रकार के नेशलाइज़ेशन करने पड़ेंगे और कई उद्योग धन्धे पब्लिक सेक्टर में खड़े होंगे जिनके लिये टैक्निकल व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। उसके लिये एक इकोनोमिक सिविल सर्विस होने की आवश्यकता है और इसमें यह भी सुझाव है कि इकोनोमिक सिविल सर्विस के अलावा ऑफ़िसर्स को सिलेक्टेड फर्म्स में टेक्निकल ट्रेनिंग के लिये भेजना चाहिये या फोरन यूनिवरसिटीज़ में भेजा जाना चाहिये। टक्निकल या तिजारती पद उन्हीं को मिले, अन्त में प्रशासन में खरी नौकरी के लिये उत्साहवर्द्धन का दृष्टिकोण भी आवश्यक है। यदि वे अपने दायित्व का निर्वाहन सुचारु रूप से करते हैं तो उनका उत्साह वर्द्धन होना चाहिये।

प्रशासन व्यवस्था के बाद में प्रशासनिक इकोनोमी का प्रश्न आता है। आज प्लानिंग का बजट इतना अर्थ भार से दबा है कि हमें हर पहलू को अच्छी तरह से देखने की आवश्यकता पड़ेगी। राजस्थान के बारे में फाइनेन्स इन्क्वायरी कमीशन ने बताया है कि राजस्थान में सेलेरीज़ और पेन्शन का टोटल बजट आधा आता है जब कि मद्रास में इसके मुकाबले में २५·२२ पर्सेन्ट टोटल बजट का आता है और आन्ध्रा में २५ पर्सेन्ट के हिसाब

(श्री नारायणसिंह)

से आता है। इन सब बातों का ख्याल करके आज हमें इस निश्चय पर पहुँचने की आवश्यकता है कि इतना बड़ा प्रशासन का जो दायरा है उसको कैसे कम किया जाय। सरकार केवल मात्र चलाने के लिये नहीं चलती, प्रशासन केवल प्रशासन के लिये नहीं। प्रशासन इसलिये है कि जो हमारी योजना है, जो हमारे सामाजिक कार्य हैं, इसके जरिये चल सकें।

(घंटी)

मैं इतने ही समय में तो अपनी बात नहीं कह सकूंगा।

श्री सभापति : The quorum is not

(४·२१ म० प०)

(गणपूरक घंटी के पश्चात्)

Complete. Yes you continue please.

श्री नारायणसिंह : तो, जहां प्रशासनिक किफ़ायत की, मैं अर्ज़ कर रहा था इस विषय में हमारी राजकीय फाइनेन्शियल इन्क्वायरी रिपोर्ट में भी सिफारिश की है और उन्होंने सबसे बड़ी एक तो यह बात कही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनको रिऑर्गेनाइज़ करने की आवश्यकता है, जिससे सम्भावित ४ डिस्ट्रिक्ट्स तक कम हो सकते हैं और इसी प्रकार तहसीलों को भी रीऑर्गेनाइज़ करने की आवश्यकता है। मेरे विचार में एक डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेन्ट की एक कॉन्स्टिट्यूएन्सी के बराबर होनी चाहिये। वहां एक तहसील एक असेम्बली कॉन्स्टिटयूएन्सी के इस मूलाधार को लेकर हमें रिऑर्गेनाइज़ेशन करने की आवश्यकता है।

श्री श्रीभानसिंह : (अश्रव्य)

श्री नारायणसिंह : राजस्व मण्डल के पुनर्गठन की ओर भी हमें कदम उठाना होगा। वर्क लोड भी सब ऑफिसर्स के ऊपर सुव्यवस्थित रूप से डेफ़िनेट करने की आवश्यकता है। रिसीट डिस्पेच के लिहाज़ से भी किफ़ायत की जा सकती है, फ़िज़ूल रिसीट डिस्पेच डिस्पोजल्स को रोकने के लिये भी कमेटी बना कर छानबीन करने की आवश्यकता है।

कमिश्नर्स के बारे में विभिन्न रायें हमारे सामने पेश हुई हैं। उधर एस्टीमेट्स कमेटी ने तो कहा है कि कमिश्नर्स के पद उड़ा दिये जायं पर फ़ाइनेन्शियल एन्क्वायरी कमेटी ने कमिश्नर्स की आवश्यकता समझी है बड़ी भूमिका के साथ। आज डेवलपमेंट का काम चला हुआ है, कई बड़े बड़े वर्क्स का असेसमेंट करना है, इरिगेशन पॉवर के वर्क्स के असेसमेंट का प्रश्न आता है। वहाँ एक ऐसी अलग व्यवस्था असेसमेंट की अदम मौजूदगी भी खलती है। मैं समझता हूं कि कमिश्नर्स का वर्क लोड बहुत कम है, प्रायः नगण्यात्मक कार्य है इस दृष्टि से कमिश्नर्स को इस प्रकार का असेसमेंट डाइरेक्ट सुपरवीज़न का काम दिया जाय तो उनकी उपयोगिता बनी रहती है और इस पद को हटाने की भी आवश्यकता नहीं रहती।

फाइनेन्शियल एन्क्वायरी कमेटी ने बताया है कि जहां कमी होनी चाहिये वहां कमी नहीं हुई है और कहीं कहीं ओवर स्टाफिंग नज़र आता है। उन्होंने बताया है कि कई ऐसे ओहदे हैं, जिनकी कोई आवश्यकता खास मालूम नहीं पडती, जैसे सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, यह एक प्रकार से सुपरफ्लुअस पद, इर्रिगेशन में और पी. डब्ल्यू. डी. में है। इसी तरह असिस्टेन्ट कमिश्नर का पद, कमि-

(श्री नारायणसिंह)

श्नर ऑफ़ देवस्थान का पद, खुदकाश्त का स्टाफ़ जो जागीर डिपार्टमेंट में है इसी प्रकार पुलिस में, एग्रीकल्चर और लेबर में कमेटी ने संकेत किया है कि कमियाँ की जा सकती हैं। इसके अलावा मैं यह भी जोड़ूंगा कि जॉनल डवेलपमेंट ऑफिसर्स हैं और इसी प्रकार को वह डिविजन लेवल ऑफिसर्स का पद हैं इनके कार्य का कोई खास कार्य भार हमारी समझ में नहीं आता, उनको भी बखूबी रिट्रेन्च किया जा सकता है।

अर्थ के विकास में आज हम तीसरी योजना के मोड़ पर हैं, जब कि आज हम बड़ा आर्थिक दबाव अनुभव कर रहे हैं और दूसरी योजना में कई कटौतियाँ करने की सोच रहे हैं, रीएलोकेशन की सोच रहे हैं। कॉर ऑफ दी प्लान को सुरक्षित रखने की सोच रहे हैं ऐसे समय में थर्ड फाइव ईयर प्लान की ओर हमारी विचार धारा असंयत उड़ानें न लेकर रिसोसिज का विशेष रूप से विचार करे, यही आवश्यकता है। पुराने अनुभवों से हमें काफी ग्रहण करने की आवश्यकता हो जाती है।

सन् १९५० से ७५ तक बढ़ते हुए पेटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के सिद्धान्त के अनुकूल अनुमान लगाया गया है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना १० हजार करोड़ की लागत की है। इसके अलावा अवेलेबल रिसोर्सेज का प्रश्न उठ खड़ा होता है और वह इस योजना के बनाने में संकोच भी ला सकता है। वैसे सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान का स्पिल ओवर हॉल और जो कर्ज़ा वापिस करना होगा उसका भी भार १० हजार करोड़ की लागत में लगेगा तो १० हजार करोड़ की सारी धन राशि के ऊपर एक तो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज का भार होगा स्पिल ओवर होगा, उसका भार होगा और तीसरा भार होगा कर्ज़ा वापिस करना है उसका।

राजस्थान के इर्रिगेशन से ही अनुमान लगायें तो पहली योजना का स्पिल ओवर १।५ आता है, इससे हमारी तीसरी पंच वर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या स्पिल ऑवर हो सकता है, इसका अन्दाज लगा सकते हैं।

फाइनेन्शियल एन्क्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ६०—६१ तक प्लानिंग एक्सपेन्डीचर का राज्य सरकार को जो कर्जा लौटाना होगा वह ११० करोड रूपया होगा और उसका ३१० लाख रू० व्याज का होगा तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े कर्ज के भार का हमारे स्टेट बजट पर सालाना क्या असर पड़ेगा और हमारी तीसरी पंच वर्षीय योजना के नियोजन में ध्यान रखना पड़ेगा और जहां वर्तमान में फ़िज़ूल खर्चियां हैं उनको कम करना पड़ेगा।

हमारी इकोनॉमी का संकेत है कोस्ट ऑफ़ लिविंग का इन्डेक्स। वह मैं पेश करूं तो, ३९ का बेस फ़ीगर लेते हुए ५१ में कोस्ट ऑफ़ लिविंग का इन्डेक्स ३७४ है, वह जनवरी ५७ में ३८१ हो जाता है और फिर अगस्त ५७ में ४०२ पर आता है और अक्टूबर ५७ में ३९५ पर आता है और इसी प्रकार एग्रीकल्चरल प्राइसेज़ का हाल है। सितम्बर में यह अपनी पीक पर पहुंच गया था। जब कि ११९.९ वहां था और वहां पर नवम्बर ५८ तक ११३.३ पर आया जब कि गये साल १०९.३ था। आज हमारे खाद्य अनाजों के भावों की समस्या बड़ी विकट है। हमारे देश और राज्य के सामने सबसे प्रमुख खाद्य समस्या है। उनकी बढ़ती हुई कीमतों

(श्री नारायणसिंह)

को किसी तरह से हमें कम करना चाहिये और किस तरह से हम उसे कम कर सकते हैं यह हमें देखना है। इसी प्रकार इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन का भी हाल है हम १६५३ को बेस मानते हुए :

१६५१ में	१५८.८ था
१६५३ में	११४.२
१६५४ में	१४३.३
१६५७ में	१४८.८

यानि १६५७ में ३.५ प्रतिशत की इस इन्डेक्स में बढोतरी हुई है।

जब इसके कारण की तरफ़ ध्यान देते हैं तो इसका कारण यह बताया जाता है कि खास तौर से कॉटन इन्डस्ट्रीज पर प्रेसर पड़ा है उसके कारण यह हुआ है। इन सब आंकडों को देखते हुए हमें विशेष प्रकार से हमारा जो उत्पादक वर्ग है उसकी ओर ध्यान देना होगा। उनके रहन सहन के स्थर को देखते हुए और बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए। हमें कृषि की ओर इन सब चीजों की ओर किसी प्रकार से प्रगति कराना है।

आज अन्न की समस्या हमारे सामने है। राज्यपाल महोदय ने इस ओर संकेत किया है कि हमारा लक्ष २.५० लाख टन उत्पादन करने का है लेकिन केवल लक्ष को आधार रख कर हम सन्तोष नहीं कर सकते। हमारे देश में यहा २० से ३० लाख टन का आयात होता है और बढ़ती हुई आबादी का ख्याल करते हुए करना पड़ता है। और इसका खयाल लम्बे अर्से तक चालू रखना होगा। हम यदि एक्सटेन्सिव कल्टिवेशन की तरफ ही अधिक ध्यान देते हैं तो सोइल कन्जरवेशन को हमारे ध्यान से उतार कर ही ऐसा करते है। इसमें भी सीमा है। हमें इसके संबन्ध में भी दो पंचवर्षीय योजनाओं से अनुभव हुआ है। आज इन्टेनसिन कल्टी वेशन के प्रति हमारी दिलचस्पी बढ़ने की आवश्यकता है। हमारे यहां की ज़मीन की प्रोडक्शन क्षमता काफी है, लेकिन फिर भी हम दूसरे देशों की ओर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि:—

चावल प्रति एकड़ जापान में यहां से ४ गुना अधिक होता है।

गेहूँ प्रति एकड़ कनाडा में यहां से दुगना होता है।

गन्ना प्रति एकड़ जावा में यहां से चार गुणा अधिक होता है।

कपास प्रति एकड़ मिश्र में ५ गुणा अधिक होता है।

इस प्रकार लाइन सीड अरजेन्टाइना और कनाड़ा में हमारे यहां से प्रति एकड़ दुगना होता है।

इस प्रकार हम खुद अन्दाज़ लगा सकते हैं कि हमारा इन्टेनसिव कल्टीवेशन की तरफ कितना ध्यान गया है और हमने कितना ध्यान आज तक दिया है हमें आज इस तरफ ध्यान देना है और इस तरफ हमें नियोजन करना है। आज यह बात नहीं है कि हमारे देश की ज़मीन की किस्म हलकी हो। यहां पर ज़मीन की किस्म अच्छी है। यहां पर प्रयोग किये गये हैं और उसका नतीजा यह हुआ हैं कि प्रति एकड़ ६० मन गेहूं, ४० मन चावल और ८०० मन आलू हुए हैं। इस तरह से हमारी ज़मीन की क्षमता काफ़ी है। इसलिये हमें इन्टेन्सिव कल्टीवेशन की तरफ़

(श्री नारायणसिंह)

ध्यान देना चाहिये और इस तरफ़ हमार पॉलीसी को लाना है।

इसके अलावा हमारे यहां भूमि सुधार भी विशेष महत्व रखता है। आज हमारे यहां सरकार ने बीचोलियों को खत्म कर दिया है। आज बिचोलिये समाप्त हो गये हैं। बिचोलियों के दबाव से कृषक भूस्वामित्व दबे हुए थे, अत: सरकार ने उनको समाप्त कर दिये हैं। अथवा मनी लेन्डर के प्रभाव में जो दबे हुए थे उनका भी बोझा सरकार ने एक हद तक कानून बनाकर हल्का कर दिया है। आज कृषक को यह महसूस करने का मौका है कि हमारी ज़मीन के हम मालिक बने हैं या बनेंगे आज यह उमंग कृषक हृदय में उठने लगी है कि हम स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी जमीन का उपभोग कर सकने की हालत में आज आये हैं और हमारी भी माली हालत अच्छी हो जावेगी जिससे हम जल्दी ही आराम की बंसरी बजा सकेंगे। आज कृषक इस समय की शदियों से दबी इन्तजार कर रहा था। आज जब हमने उसको पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी है और आर्थिक स्थिति का विकास करने का उनको अवसर दिया है तो हमें यह विचार की आवश्यकता है कि कोई कहीं भावुकता में बह कर अथवा आदर्शवाद अथवा सिद्धान्तवाद में बह कर ऐसी गलतियें न कर बैठें जिससे जो भावना प्रफुल्लित होती नजर आ रही है, कहीं उसी पर ओस गिर पड़े। यदि हम कृषि स्वामित्व पर हद से ज्यादा दबाव डालेंगे तो कहीं कृषक की परपंरा एवं अर्न्तभानस सिहर न उठे। यह हम स्वप्न में भी न भूलें अगर हमें किसी प्रकार का कदम उठाना है तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा और हमें इस बात को नहीं भूलना होगा कि कृषक की कृषि उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। यह अनुभव चीन और रूस व अन्य देशों का हमारे सामने ज्वलंत है। अभी अभी विपक्ष के माननीय सदस्य ने कहा था कि को-आपरेटिव में बहुत घोटाला है। मैं यह कहूंगा कि को-ऑपरेटिव तुरन्त सफ़ल नहीं हो सकता। वे अपने दृष्टिकोण से एक एक उदाहरण नुकता चीनी करते उठाकर सुन्दर विधि से एक बड़े दायरे में जाते हैं। वे यह तो मानेंगे ही कि एक नई पद्धति को कायम करने में कितनी दिक्कत होती है। को-ऑपरेटिव जर्मनी की देन है। यहां ३०—३५ वर्षों से उसका जन्म है। जो नकशा आज हुआ है वह ब्रिटिश काल में अलग था। आज हमारा दृष्टिकोण को-ऑपरेटिव के प्रति अलग है। आज हम उसको विशेष प्रकार से विकसित करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अनुभवकाल में गलतियें नहीं हो। जो गलतियें होंगी और उससे हमको जो अनुभव होगा उससे हम आगे बढ़ेंगे। इसलिये इस संबन्ध में मैं यही मानूंगा कि अनुभव की कमी है। इसके अलावा मैं यही कहूंगा कि आप खामियें तो बताते चले जाते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारा जन मानस ही अभी पूरी तरह से नहीं पनप पाया है। आज हमारे में राष्ट्रीय भावना उतनी नहीं है जो बाहर के लोगों में देखने को मिलती है। उन लोगों की तरह हम में अब तक यह सोचने की क्षमता नहीं हुई है कि हमें देश को बनाना है। जिस समय ऐसा कुछ कहा भी जाता है तो लोग सिर हिला देते हैं और मुस्कुराने लग जाते हैं और मुस्कुराकर रह जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। मगर सही तौर

(श्री नारायणसिंह)

से कोई इस पर नहीं सोचता। मैं जापान गया था। वहां मैं कुछ मजदूर वर्ग से मिला और हमारे मंत्री भीखाभाई भी वहां जाकर आए हैं वे भी मेरे साथ गवाही देंगे। वहां एक–एक व्यक्ति में राष्ट्रीयता की भावना भरी है। आज १० वर्षों में जिस जापान का लड़ाई में सफ़ाया ही हो गया था, वह पीछा खड़ा हो गया है। वहां पर १० घन्टे का काम हर मजदूर का है और इसमें वे दिल से काम करते हैं और जिस प्रकार के श्रम को लगा कर वे काम करते हैं उस प्रकार हमारे यहां श्रम नहीं होता है। हमारे यहां ८ घन्टे में ५ या ६ घन्टे मुश्किल से लोग काम करते हैं। बाकी समय आलस्य में घुल जाता है। यह ठीक है कि जापानी मजदूर की स्थिति अच्छी है लेकिन उसके साथ–साथ उनमें राष्ट्रीय भावना भी है। वे यह समझते हैं कि पहले मुझे राष्ट्र को बनाना है। जापान का हर नागरिक यही चाहता है कि उसको जापान की वही हैसियत जो वार से पहले थी कायम करनी है। जापान को व्यापार की दृष्टि में जैसा स्थान पहले दुनिया में था, उसी स्थान पर लाना है। आज इस बात को हमारे यहां साधारण श्रमिक नहीं सुनेंगे और न सोचेंगे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, जापान में हम एक होटल में ठहरे। वहां का एक वेटर जो मेरा सामान ऊपर ले गया मैंने उसको १० सेन्ट बख्शीश देना चाहा। उसने कहा, मैं यहां नौकर हूं, this is my duty; उसने लेने से इन्कार कर दिया। नीचे से लगाकर ऊपर तक इतना व्यक्तित्व हमारे यहां पैदा होगा तब हमारे अन्दर वह राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो सकेगी जिससे जो हमारे प्लानिंग के पहलू हैं उनको आगे बढ़ा सकेंगे और उनमें इजाफ़ा कर सकेंगे।

जहां मैं इन्टेन्सिव कल्टीवेशन के लिए अर्ज़ कर रहा था वहां मैं एक बात आवश्यक समझता हूं कि हमारी बड़ी–बड़ी योजनायें चल रही हैं, फार्म्स वगैरा के लिए मैं पहले कई बार अर्ज़ कर चुका हूं और फिर कभी उसका जिक्र करने का अवसर लूंगा। लेकिन हमारी जो छोटी सिंचाई योजना पर जोर है वहां हमारे जो १३॥ हजार छोटे २ तालाब हैं वे बिना मरम्मत के पड़े हुए हैं। उनका खयाल आज कहां है? उनके सम्बन्ध में सबसे बड़ी बात है वह यह है कि जो पंचायतों के तालाब हैं उनकी ओर सरकार ध्यान नहीं देना चाहती, क्योंकि हमारे क़ानून में ऐसी बात है कि ५० एकड़ से कम रकबा वाले तालाबों को पंचायतों को सौंप दिया जाय और चूंकि पंचायतें टैक्स वसूल करती हैं उनसे इसलिए अब हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं रहता, क्योंकि वह उनका स्वामित्व सिद्ध कर देता है। सबसे पहले तो मैं यह अर्ज करूंगा कि यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि वे पंचायतों की ही धरोहर कैसे हुए या पंचायतों की धरोहर का मतलब ही था? लेकिन यदि फिर भी उनको पंचायतों के अन्तर्गत रखा जाता है तो मान लिया जाय कि उन्हीं के हुए, पंचायतें भी तो सेमी गवर्नमेन्ट हैं, नजूल जमीन भी उनके तहत में रहने की बात है और जंगलात भी उनको देंगे। तो इसके माने तो यही हुए कि वे सभी पंचायतों की ही संपत्ति हुए। लेकिन प्रश्न यह है कि पंचायतों की ही वे सम्पत्ति क्यों हैं, गवर्नमेन्ट की भी तो हैं दोनों की सामलात की चीज़ें मानी जा सकती हैं तो मैं कहता हूं कि ऐसे तालाबों की हम मरम्मत

(श्री नारायणसिंह)

नहीं करवायेंगे और यदि उनकी मरम्मत की क्षमता पंचायतों की नहीं हुई तो फिर १३॥ हजार तालाबों का मालिक कौन होगा और उनकी बिना मरम्मत के क्या स्थिति होगी अथवा क्या उनके बिल्कुल ही बिगड़ जाने के बाद सोचेंगे कि उनको तैयार करवाना है ?

दूसरा ४॥ पर्सेन्ट रिटर्न का सवाल आता है। वह ऐसा सवाल है जो कई सिंचाई योजनाओं को कुंठित कर देता है, रोक देता है। अजमेर के अन्दर सिंचाई योजनाओं के लिये ३८ लाख रुपया अलॉटेड था लेकिन वह खर्च होने से इसलिये रुक गया कि ४॥ पर्सेन्ट का वापिस रिटर्न निकालें। जब ऐसी योजनाएँ टेक्निकल संक्शन में होकर एडमिनिस्ट्रेटिव संक्शन के लिये आता तो ४॥ पर्सेन्ट तो फलां के संक्शन से ही हो सकता है। जब दो पर्सेन्ट का सवाल आयगा तो कमिश्नर तक कागज़ घूम घूमा कर आता है। फिर विभिन्न संक्शन के लिये सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, चीफ़ इन्जीनियर इनके दायरे में घूमते २ कागज़ घूमते ही रह जाता है। एनीक्ट्स का जहां सवाल आता है वहां भी जो लाभ है वह प्रत्यक्ष में नहीं है। दो ढ़ाई पर्सेन्ट सीधी सिंचाई को ले लें तो वह होता है। जहां जहां छोटी २ पहाड़ियां हैं, बंध लगा दिये जा सकते हैं, जिससे आस पास के कुंओं में पानी बढ़ता है और सॉइल कन्ज़रवेशन की दृष्टि से भी तरक्की होती हैं, उसको भूल कर केवल ४॥ पर्सेन्ट सिंचाई का रिटर्न लेकर बैठने से कैसे हो सकता है। ३८ लाख रुपये जो छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए अजमेर में रखा हुआ था वह यों का यों ही पड़ा है और उसमें से नगण्यात्मक ही खर्च हो पाया है। यह मैं पहले ही कह आया हूं कि नीति का स्पष्टीकरण आवश्यक है।

को-ऑपरेटिव बैंक के सम्बन्ध में भी कहना चाहता था, किन्तु अधिक समय नहीं लेता हुआ इतना ही कह देना पर्याप्त समझता हूं कि सहकारी सैंट्रल बैंक की आर्थिक मदद पर जोर देना चाहिये। राज्यपाल महोदय के भाषण में कहा गया है कि ४ करोड़ से बढ़ा कर ७ करोड़ की राशि कर्ज़ के रूप में देने के लिए कर दी गई है। लेकिन फिर भी और ज्यादा विचार करने की इस ओर आवश्यकता है। और जो रिजर्व बैंक (स्टेट्स बैंक) की रिपोर्ट्स हैं उनसे भी साफ़ हो जाता है कि सैंट्रल बैंक्स को अधिक कर्ज देने की आवश्यकता है, स्टेट की ओर से और दूसरी ओर से। ४॥ पर्सेन्ट या ५॥ पर्सेन्ट यूनियनों से ब्याज़ लिया जाता है, ७ पर्सेन्ट की दर से वे समितियों को देने और ९ पर्सेन्ट ब्याज से लेकर मैम्बर्स १० पर्सेन्ट तक को देते हैं, ये दर ठीक नहीं पड़ती। ऊपर की जब तक अर्थ-व्यवस्था ठीक नहीं होगी यह मामला नहीं बैठ सकता। इसी प्रकार शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन्स का है। पेड सेक्रेटेरीज़ और इमोल्यूमेंट्स का भी विचारणीय मामला है। एम. सी. एल. में भी अन लिमिटेड लायबिलिटी है वहां लिमिट अधिक है, लिमिटेड लायेबिलिटी है वहां आठ गुना मेक्सिमम क्रेडिट की आवश्यकता है। स्टेट गवर्नमेन्ट इस बात पर जोर देती है कि अधिकतर लिमिटेड लायबिलिटी वाली कम्पनीज़ बने। एम. सी. एल. का पुर्नविचार हुए बिना यह बात बनेगी भी कैसे इसलिए सहकारिता कानून में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। बकाया वसूली की समस्या का सुझाव है। वहां भी आर्बीट्रेशन

(श्री नारायणसिंह)

का तरीका लम्बा है। कुछ लोगों का मध्यभारत की तरह अटेचमेन्ट पॉवर्स का सुझाव है, दूसरी इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव्ज में दिक्कत है। अगर इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन्स का जाल बिछा देना है और तीसरी योजना के लिए सोच रहे हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जो उनके रिजर्व फन्ड की सीमा है उसमें कमी न रहे और प्रोफिट दिया जाय वह ७ पर्सेन्ट से अधिक हो ताकि पूंजी लगाने वाला ऐसी कोऑपरेटिव्ज की ओर आकर्षित हो सके।

राजस्थान केनाल कोलोनाइज़ेशन का भी सवाल आयगा।

राजस्थान केनाल एक हमारे यहां बहुत ही महत्वपूर्ण योजना होगी। लेकिन जो इसकी प्रगति है वह शिथिल है इसलिए इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं समय के संकोच के कारण से इस विषय में अधिक नहीं जाना चाहता। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिये कि पांच लाख कुटुम्ब वहां जमाये जावेंगे और उसके साथ हैंडल पॉवर का सवाल होगा और छोटी २ इन्डस्ट्रीज़ लगाई जावेंगी, आबादी होगी, दूसरे २ धन्धे होंगे, कृषि खास होगी और इन सब के लिए पूर्ण नियोजन बनाना है। पहली बात ध्यान में रखने की है वहां पांच लाख कुटुम्ब ही राजस्थान के हों, उनमें अधिक से अधिक पर्सेन्टेज राजस्थानियों का हो। यदि इस ओर ध्यान नहीं गया तो महा—पंजाब से सामने की आवश्यकता यहां भी पड़ जावेगी।

अब मैं अधिक विगत में न जाकर पॉवर डवेलपमेन्ट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने २१ हज़ार किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की ओर संकेत किया है कि चम्बल इत्यादि से उपलब्ध होगी। अगर हमारा राजस्थान पॉवर डवेलपमेन्ट में पिछड़ गया तो हमारे यहां जो छोटे २ उद्योग धन्धों को कायम करने की ख्वाहिश है, जो हम यह ख्वाहिश करते हैं कि हमारे यहां कोऑपरेटिव फार्म्स और उनमें मेकेनाइज्ड़ सिंचाई उन्नति करें तो इसके बिना इस लक्ष्य में हम पिछड़ जावेंगे।

इन्डस्ट्रियल सर्वे के साथ-साथ पॉवर को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। हमें यह भी देखना होगा कि हमें मेकेनाइज्ड़ फार्मिंग के लिये इतनी पॉवर की आवश्यकता होगी और वह आवश्यकता हम किस प्रकार पूरी कर सकते हैं, इस ओर भी हमें ध्यान देना होगा।

मैं मानता हूं कि फोरीन एक्सचेन्ज वगैरा की दिक्कत के कारण हम इन कामों में पिछड़ रहे हैं और फिर भी रह सकते हैं, इस बात को पहले ध्यान में रखने की आवश्यकता है। समय ज्यादा हो रहा है इसलिये मैं अधिक विगत में न जाकर मैंने जो पत्र, चेयरमैन थर्ड इयर प्लानिंग राजस्थान को लिखा है, उसके केवल दो स्थल पढ़कर सुनाना ही काफी समझता हूं :—

"It cannot be ruled out that we still need one proper geographical and physical survey on proper lines to augment food production, specially to control scientific rotation of crops, overall change in co-operative loans to come in tune with the recommendations of the Rural Credit Survey, and uniform irrigation rates etc."

इसके बाद एक स्थल पर मैंने चौथे पैरेग्राफ में कहा है :

(श्री नारायणसिंह)

"Without going into further details in this respect, if we consider the organisational and assessment set up of our programmes under the plan, one is pretty well seized of the situation and could easily point out to inadequate statistics, late financial sanctions and procedural and executional bottlenecks, lack of proper delegation of power, lack of proper machinery and assessment, lack of co-ordination, unattractive grades and salaries of the technical staff and; last but not the least, lack of service examinations in various fields of development activities resulting in ordinary civil servants thrusting into highly technical or organisational activities."

तो इन बातों की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं जब कि हम थर्ड फाइव इयर प्लान का प्लानिंग करने जा रहे हैं, हम इन बातों को ध्यानान्तरित नहीं कर सकते।

अजमेर की सैकिन्ड फाइव इयर प्लान की ओर अब मैं सदन का थोड़ासा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसके इम्पलीमेन्टेशन के लिये विशेष अफ़सर की नियुक्ति होनी चाहिये। वहां के लिये काफ़ी धनराशि स्वीकृत भी है। अजमेर के लिये सैकिन्ड फाइव इयर प्लान के इम्पलीमेन्टेशन के लिये एक कमेटी बनी है, जिसके चेयरमैन मुख्यमंत्री स्वंय हैं। मैं तो समझता हूं इसमें एक ऐसे इम्पलीमेन्टेशन ऑफिसर की अब कमी है जो भाग दौड़कर हर–एक विभाग से रिअलोकेशन जो हो उसके अनुसार काम करवा सके, यह एक अत्यन्त आवश्यक बात है। नहीं तो जितना अलोकेशन है या होगा उसके लेप्स हो जाने का खतरा है।

प्रशासनिक कुशलता के लिये मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूं। अन्त में मैं केवल यह अर्ज करूंगा–एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमी और इफीसियेन्ट वर्किंग के लिये एक कमेटी नियुक्त होनी चाहिये। जो इस बात को एक्जामिन करे कहां कहां किफ़ायत हो सकती है और कितनी रकम की बचत हो सकती है।

अनिवार्य शिक्षा के दौरान में राज्यपाल महोदय ने जहां स्त्री-शिक्षा की ओर इशारा किया है उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन जो सोशल एज्युकेशन की ओर हम कदम उठाते रहे हैं वह अभी तक पूरा नियोजन नहीं थरथरातासा है। जनता को पूरी तौर से लाभ नहीं मिला है। इस दिशा में सही रूपरेखा जमाने की आवश्यकता है।

इस प्रकार बेसिक एज्युकेशन के लिये जो हमारा प्रयास है उस पर भी काफी विचार विनियम करने की आवश्यकता है। इनको सफल बनाने के लिये जिन जिन प्रयास की आवश्यकता है अगर उस ओर ध्यान दिया गया तो हम इस बेसिक एवं सोशियल एज्युकेशन प्रसार से काफी व्यापक जन लाभ कर सकते हैं।

अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ यह जुड़ा हुआ प्रश्न है इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा।

श्री सभापति : May I request the Ho'nble. Member to conclude his debate within five minutes.

श्री नारायणसिंह : (जारी) समय की तंगी के कारण कुछ बातें मैं छोड़

(श्री नारायणसिंह)

देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि और भी अवसर आयेंगे जब हम इन बातों पर प्रकाश डाल सकेंगे। आज हम थर्ड फाइव इयर प्लान की योजना बनाने में संलग्न हैं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तृतीय वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं इसलिये इस बात की अधिक आवश्यकता है जितना भी नियोजन करें वह पूरी वस्तु स्थिति को ध्यान में रखते हुए करें। जिन बातों की ओर मैं पहले भी संकेत कर चुका हूँ कि हमारा प्लानिंग ऐसा मेक्रो प्लानिंग होना चाहिये जिसमें हर व्यक्ति की रोज़ी के दायरे का ध्यान रखते हुए उसकी दृष्टिबिन्दु को ध्यान में रखकर सारा नियोजन किया जाना चाहिये। इस दृष्टिकोण से अगर हम प्लानिंग करते हैं तो वह प्लानिंग हमारे यहां एक नवीन आर्थिक क्रान्ति का काम करेगी और उसमें हम सर्वोदय सिद्धान्त भी जोड़ सकते हैं। हालांकि मैं मानता हूँ कि सर्वोदय सिद्धान्त के साथ साथ उसकी सारी विचारधारा को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहां मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था का विशेष स्थान है। सर्वोदय से हमें केवल विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था और भावना परिवर्तन का आदर्श लेना है। अगर हम हमारी संस्कृति के मूलाधार को लेकर हम सारा नियोजन इस प्रकार का करें जिससे सारा प्रशासन और सारी अर्थ-व्यवस्था की नीति विकेन्द्रित हो। ये सारी चीजें हमें व्यष्टिमूलक सुचारु समष्टि की ओर ले जाने वाली हैं और इससे अधिक लाभ प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें आवश्यक यह है कि बजाय टार्गेट ऊपर से थोपने की नीति के सारी चीजों का नियोजन करें। तहसील और पंचायतों के लेवल पर और स्थानीय आवश्यकता के अनुसार नियोजन होना चाहिये और उसके अनुसार परिवर्त्तन भी होना चाहिये। केवल प्लानिंग कमीशन की किताब लेकर हमें उसका अनुकरण मात्र ही नहीं करना चाहिये। इसके अलावा रसपोन्सिबल लीडरशिप के प्रादुर्भाव की ओर भी अधिक ध्यान होना चाहिये। अन्त में एक बार और मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद अर्पित करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति : The House is adjourned to meet tomorrow at 11 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४ बजकर ५५ मिनट पर दिनांक १९ फरवरी, १९५९ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(बुद्धवार, १८ फरवरी, ५६)

सभापति-तालिका

८१

निम्नांकित सदस्यों को सभापति-तालिका के लिये अध्यक्ष महोदय द्वारा मनोनीत किया गया :

१. श्री आबिद अली २. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ३. श्री अनोपसिंह ४. श्री मनोहर कोठारी

सदन की मेज़ पर रखे गये पत्र

(क) श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने राजस्थान लैण्ड एक्विज़ीशन (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ (अध्यादेश संख्या १,१९५६) सदन की मेज़ पर रखा।

(ख) श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने नाथद्वारा टेम्पल अध्यादेश (अध्यादेश संख्या २, १९५६) सदन की मेज़ पर रखा।

(ग) श्री रामकिशोर व्यास, गृह मंत्री, ने राजस्थान सप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रेफिक इन वीमेन एण्ड गर्ल्स रूल्स, १९५८ (Rajasthan Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Rules, 1958) की एक प्रति सदन की मेज़ पर रखी।

(घ) श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री, ने सहकारिता विभाग विज्ञप्ति संख्या एफ. ५ (१२१) को. ओप. ।५७, दिनांक ६ जनवरी, १९५६, जिसके द्वारा राजस्थान स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन रूल्स, १९५७ के नियम ३ व ११ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज़ पर रखा।

(ङ) श्री नाथूराम मिर्धा, यातायात मंत्री, ने होम (बी) विभाग विज्ञप्ति संख्या डी. ७२०५।एफ. १६।१ (II) एच. बी. ।५७ दिनांक ८ नवम्बर, १९५८, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स रूल्स, १९५१ के नियम ५२ में संशोधन किया गया है, सदन की मेज़ पर रखा।

सभा द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति

सचिव, विधान सभा, ने गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण, जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, सदन की मेज़ पर रखा। विधेयक इस प्रकार हैं :

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

८४

1. The Rajasthan Warehouses Bill, 1957.
2. The Ajmer Abolition of Intermediaries and Land Reforms (Amendment) Bill, 1958.

3. The Rejasthan Suits Valuation Bill, 1958.
4. The Rajasthan General Clauses (Amendment) Bill, 1958.
5. The Rajasthan Sales Tax Validation Bill, 1958.
6. The Motor Vehicles (Bombay Amendment) Repealing (Amendment) Bill, 1958.
7. The Rajasthan Jagirdars Debt Reduction (Amendment) Bill, 1958.
8. The Rajasthan Tenancy (Fifth Amendment) Bill, 1958.

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1 The Rajasthan Animal Diseases Bill, 1958.
2. The Rajasthan Land Revenue (Sixth Amendment) Bill, 1958.
3. The Rajasthan Tenancy (Fourth Amendment) Bill, 1958.
4. The Rajasthan Appropriation (No. 3) Bill, 1958.

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद ८५

श्री हरिदेव जोशी ने यह प्रस्ताव किया कि राज्यपाल महोदय को निम्नलिखित शब्दों में धन्यवाद प्रस्तुत किया जाय :

'इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये जो कि उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।'

श्री पुरूषोतमलाल शर्मा ने धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन किया। इस प्रस्ताव पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :

(१) श्री भैरोंसिंह (१४)
(२) श्री नारायणसिंह मसूदा

परिशिष्ट १

कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६० का उत्तर देखिये।

LIST OF CULTIVATIONS WHOM WHEAT SEED WAS DISTRIBUTED BY THE D. A. O. BHARATPUR.

S. No.	Name	Cast.	Village.	Tehsil	Quantity.	Remarks
1.	Pyara Lal	Faudr.	Jagina.	Bharatpur.	25 0 0	
2.	Bharat Singh	"	Bharatpur	"	50 11 8	
3.	Om Prakash	Vaish	"	"	30 24 0	
4.	Ram Mohan	Brahmin	"	"	20 12 0	
5.	Asam Das	Atora	Atora	"	15 2 8	
6.	Niranjan Datt	Brahmin	"	"	45 23 0	
7.	Bhagar Singh	Fauj	"	"	50 0 0	
8.	Govind Sihgh	"	"	"	52 30 0	
9.	Usad Singh	"		"	30 18 0	
10.	S. Sakah Singh	Jat	Khadeta	"	30 18 0	
11.	Bakhtavar	"	Chaksu	"	61 0 0	
12.	Bachan Singh	"	"	"	61 0 0	
13.	Vijay Singh	Fauj		"	25 13 4	
14.	Mangal Singh	Jaat		"	30 23 8	
15.	Ume Singh	Jaat	Bharatpur	"	26 20 0	

1	2	3	4	5	6	7
16.	Kanaiya	Gujar	Kalanpur	Bharatpur	35 23 0	
17.	Narender Singh	Jaat	Bharatpur	,,	20 0 0	
18.	Virender Singh	,,	,,	,,	37 4 0	
19.	Suse	Gujar	Kalyanpur	,,	40 32 0	
20.	Sita Ram	Brahmin	,,	,,	40 32 0	
21.	Gangadhar	Gujar	,,	,,	35 28 0	
22.	Hana	Brahmin	,,	,,	20 16 0	
23.	Sahdev	Gujar	,,	,,	25 0 0	
24.	Udaibhan Singh	Dhaoo	,,	,,	64 10 12	
25.	Shriman Singh	,,	,,	,,	50 32 4	
26.	Ghamandi Singh	,,	,,	,,	28 1 0	
27.	Jagmohan Singh	Jaat	,,	,,	15 10 0	
28.	Phool Singh	Gujar	,,	,,	63 0 0	
29.	Radhvir Kumar	Jaat	,,	,,	12 30 0	
30.	Sumer Singh	Jaat	,,	,,	12 30 0	
31.	Inderjit Singh	Jaat	Geipura	,,	12 30 0	
32.	Man Singh	Jaat	Bachhanmandi	,,	20 0 0	
33.	Gurcharan Singh	Jaat	Pariyar	,,	50 0 0	

1	2	3	4	5	6	7
34.	Ravinder Singh	Gujar	Pariyar	Bharatpur	30 0 0	
35.	Harnath Singh	Gujar	,,	,,	22 20 0	
36.	Karam Singh	Jaat	Angapur	,,	45 27 0	
37.	Jogender Singh	,,	Chaknau	,,	25 0 0	
38.	Vijay Singh	,,	Bachhanmandi	,,	20 0 0	
39.	Kishan Lal	Joshi	Deeg	,,	50 0 0	
40.	Jaideo Singh	Jaat	Helk	,,	50 0 0	
41.	Ratan Singh	,,	Sudewal	,,	50 0 0	
42.	Bhagwat Prashad	Brahmin	Bharatpur	,,	40 0 0	
43.	Mool Chand	Gujar	Kalyanpur	,,	60 0 0	
44.	Samudar Singh	Jaat	,,	,,	60 0 0	
45.	Bhagwat	Gujar	Bharatpur	,,	30 0 0	
46.	Puran Singh	Gujar	Kalyanpur	,,	30 0 0	
47.	Hukami	,,	,,	,,	20 0 0	
48.	Ishwar Singh	Jaat	Sewar	,,	30 0 0	
49.	Shivcharan Singh	Vaish	Noh	,,	20 0 0	
50.	Chhintria	Vaish	,,	,,	30 0 0	
51.	Girvach	,,	Anth	,,	10 0 0	

1	2	3	4	5	6	7
52.	Sadhu Singh	Sikh	Chaksiya	Bharatpur	20 0 0	
53.	Shivcharan Lal	Brahmin	Kalyanpur	,,	20 0 0	
54.	Jagan Nath	Kakar	Bharatpur	,,	20 0 0	
55.	Karam Singh	Vaish	Sewar	,,	24 0 0	
56.	Bishan Saroop	,,	,,	,,	10 0 0	
57.	Sumer Singh	Bamanpura	,,	,,	30 0 0	
58.	Jaswanti Kumari	Jaat	Bamanpura	,,	30 0 0	
59.	Madan Lal	Brahmin	,,	,,	20 0 0	
60.	Bishan Lal	,,	Rupbas	,,	25 0 0	
61.	Amar Singh	Panchayat	Bachhinmandi	,,	320 0 0	
62.	Uttar Singh	Faujdar	Kuan	::	40 0 0	
63.	Mohan Singh & others.	,,	Daatpura	,,	30 0 0	
64.	Prem Nadi	Shashtri	Bharatpur	,,	30 0 0	
65.	Ghanesh Chand	Brahmin	,,	,,	40 0 0	
66.	Deshchander	,,	,,	,,	20 0 0	
67.	Govind Singh	-do-	NalaDharm Singh	,,	30 0 0	
68.	Tota Ram	Brahmin	Kalyanpur	,,	30 0 0	
69.	Girraj	Gujar	Napraula	,,	34 0 0	

1	2	3	4	5	6	7
70.	Mohan Singh	Faujdar	Chanchola	Bharatpur	27 20 0	
71.	Nobat Singh	Brahmin	Khreda	,,	40 0 0	
72.	Bapu	Jaat	Devpur	,,	40 0 0	
73.	Kanhaiya Lal	Brahmin	Rehmanpura	,,	10 0 0	
74.	Sukh Singh	Vaish	Patra	,,	12 20 0	
75.	Yadram	Brahmin	Basikhurad	,,	20 25 8	
76.	Man Singh	Jaat	Bharatpur	,,	49 0 0	
77.	Hukam Singh	,,	Vasikhurad	,,	20 24 8	
78.	Bachhu Singh	,,	Bharatpur	,,	76 12 0	
79.	Suresh Chand	,,	,,	,,	21 32 0	
80.	Rajendar Singh	,,	,,	,,	19 3 0	
81.	Sher Singh	,,	,,	,,	20 0 0	
82.	Girraj Singh	,,	,,	,,	22 0 0	
83.	Durga Prashad	,,	,,	,,	50 0 0	
84.	Kaula Bux	,,	,,	,,	50 0 0	
85.	Girraj Singh	Brahmin	,,	,,	10 0 0	
86.	Sawan Singh	Jaat	,,	,,	15 0 0	
87.	Man Singh	Gujar	Sharatpur	,,	10 0 0	

1	2	3	4	5	6	7
88.	Ram Lal	Rajput	Sharatpur	Bharatpur	12 20 0	
89.	Devi Singh	Gujer	,,	,,	10 0 0	
90.	Balvir Singh	,,	Adhapur	,,	7 20 0	
91.	Charan Singh	Vaish	,,	,,	7 20 0	
92.	Paryon Aurat	Prassin	Bhuranara	,,	10 0 0	
93.	Nani Aurat	,,	,,	,,	10 0 0	
64.	Bhim Singh	Gujar	Bharatpur	,,	5 0 0	
95.	Dhure	Faujdar	Daulatpur	,,	5 0 0	
96.	Bhaundoo	Jaat	,,	,,	7 20 0	
97.	Hari Singh	,,	,,	,,	5 0 0	
98.	Dikka	,,	,,	,,	12 20 0	
99.	Sakera	,,	,,	,,	5 0 0	
100.	Dhan Singh	,,	,,	,,	5 0 0	
101.	Bira	,,	,,	,,	5 0 0	
102.	Kanhaiya	,,	,,	,,	7 2 0	
103.	Ram Singh	,,	,,	,,	7 20 0	
104.	Girraj	,,	,,	,,	7 20 0	
105.	Kharga	,,	,,	,,	7 20 0	

Page No.116

1	2	3	4	5	6	7
106.	Nare	Jaat	Daulatpur	Bharatpur	10 0 0	
107.	Sri Ram	,,	,,	,,	12 20 0	
108.	N. Hans	,,	,,	,,	7 20 0	
109.	Dhup Singh	,,	,,	,,	5 0 0	
110.	Tirath Dass	Khatri	Achalpura	,,	10 0 0	
111.	Thhami	,,	,,	,,	7 20 0	
112.	S. Arjun Singh	Sikh	Basiya	,,	10 32 0	
113.	Prem Dass	Khatri	Bharatpur	,,	10 0 0	
114.	Surat Singh	Sikh	,,	,,	7 0 0	
115.	Nikki Singh	Thakur	Sevat	,,	5 0 0	
116.	Bhur Singh	Meha	,,	,,	5 0 0	
117.	Patre	Atav	,,	,,	5 0 0	
118.	Silloo	Brahmin	Hetam	,,	10 0 0	
119.	Dina	Dhobi	Achalpura	,,	5 0 0	
120.	Mula	Lodha	,,	,,	5 0 0	
121.	Har Govind	Brahmin	Chirsena	,,	5 0 0	
122.	Ram Ratan	,,	Aspura	,,	10 0 0	
123.	Mohan Prashad	,,	,,	,,	10 0 0	

परिशिष्ट २

(प्रश्न काल में न लिए जाने वाले प्रश्तोनत्तर)

मजदूरों के भवन निर्माण पर व्यय

६३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या श्रम मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) प्रथम पंचवर्षीय योजना में मजदूरों के लिए भवन निर्माण में कितनी धनराशि रखी गई थी व उसमें से कितनी खर्च हुई ?

(२) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि रखी गई है तथा उसमें से अब तक कुल कितना खर्च हुआ है ?

उत्तर

(१) प्रथम पंचवर्षीय योजना में ४०. ३५ लाख रुपये औद्योगिक आवास योजना के लिए स्वीकृत किये गये थे। इसमें से २. ४६ लाख रुपये खर्च किये गये।

(२) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६३. ५० लाख रुपये रखे गए। उसमें से अप्रेल १९५६ से दिसम्बर १९५८ तक कुल २५. ६५ लाख रुपये खर्च हुए।

जिला भरतपुर में हत्या के अपराध

६४. **श्री गोवरधनसिंह केन** (बयाना सु०) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला भरतपुर में गत दो वर्षों में किस २ ग्राम में कितने हत्या के अपराध हुए ? मृतकों के क्या क्या नाम हैं ?

(ख) यह हत्याएं किस २ तारीख में हुई, किस २ तारीख में कौन २ से थानों से इन अपराधों के विरुद्ध पुलिस ने चालान पेश किये ? इन चालानों में अदालत द्वारा कितने व्यक्तियों को दंडित ठहराया गया ?

(ग) दंडित व्यक्तियों के क्या २ नाम हैं तथा किस २ ग्राम के हैं तथा उन्हें क्या दंड दिया गया ?

१. सूचना, संलग्न पत्रः अः के कालम ५ और २ में सम्मिलित है।

२. सूचना, संलग्न पत्र :अः के कालम संख्या ४,३ व ७ में दी हुई है।

३. सूचना, संलग्न पत्र :अः के कालम ७ में सम्मिलित है।

(सूची अत्याधिक विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No.118

नगरपालिका किशनगढ़ की साधारण बैठकें

६५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने कि कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका किशनगढ़ ज़िला अजमेर में टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट के मातहत प्रतिमाह बोर्ड की साधारण मीटिंग बुलाई जाती है ?

(२) यदि हां, तो किशनगढ़ नगरपालिका के खिलाफ ऐसी कितनी शिकायतें पेश हुईं ?

(३) उक्त शिकायतों पर क्या एक्शन लिया गया ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राजस्थान केनाल से बीकानेर डिविज़न की भूमि की सिंचाई

६६. **श्री गिरधारीलाल** (नौखा) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान केनाल से बीकानेर डिविज़न की कुल कितनी एकड़ भूमि को सिंचाई हो सकेगी ?

(२) राजस्थान केनाल बीकानेर डिविज़न के किन किन गांवों की भूमि सिंचित करेगी ? कृपाया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

१. राजस्थान केनाल से बीकानेर डिविजन में लगभग १५ से १७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

२. बीकानेर डिविज़न में राजस्थान केनाल द्वारा सिंचित किये जाने वाले क्षेत्र के परिधी परीक्षण नक्शे अभी तैयार नहीं है। भारतीय सर्वे ने इस परिधी परीक्षण पर कई फील्ड पार्टीज़ को लगा रखा है। अतः, बीकानेर डिविज़न में जिन २ गावों की भूमि राजस्थान केनाल द्वारा सिंचित होगी उनकी सही संख्या देना सम्भव नहीं है।

सिंचित किये जाने वाले क्षेत्रफल की आबादी बहुत कम है। अतः बहुत से गावं नई बस्ती के स्थापित करने हैं।

राजसमन्द में खरी नदी के पानी को डालने की योजना

६७. **कुमारी शन्नोदेवी** (सुजानढ़) क्या सिचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें गे :—

(१) राजसमन्द में खारी नदी के पानी को डालने की योजना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हो रही है ?

(२) कब तक इस योजना को कार्यान्वित कराने का सरकार का विचार है।

उत्तर

(१) तख़मीना तैयार हो गया है और शीघ्र ही भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

(२) कार्य स्वीकृति मिलने के बाद प्रारंभ किया जा सकेगा।

नगरपालिकाओं द्वारा असूचित जातियों को रिआयतें

६८. श्री धर्मलाल पंवार (नोहर सु) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या डाइरेक्टर लोकल बॉडीज़ द्वारा परिपत्र संख्या सी. ए. एफ. २२१। १०। फ. ५२- १०- ७० डी. एल. बी. ।५७ दिनांक ३-७-५८ तमाम नगरपालिकाओं को भेजा गया है ?

(२) यदि हां, तो उक्त परिपत्र में अनुसूचित जातियों को क्या क्या रिआयतें दी जाने का आदेश था ?

(३) जिला गंगानगर की किन २ नगरपालिकाओं ने उक्त परिपत्र के आदेशानुसार क्या २ कदम उठाये हैं ? कृपया पूरा ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(१) जी हां।

(२) उक्त परिपत्र में यह अंकित था कि जिस क्षेत्र में परिगणित जातियों के लोग बसे हुये हैं वहां पर निः शुल्क भूमि प्रदान न करें, परन्तु परिगणित जातियों के लोगों को रियायती दरों पर उपर्युक्त भूमि प्रदान करने की ओर कदम उठाये जावें। इस सम्बन्ध में भूमि विकास के खर्चे का एवं जिस स्थान से किसी आदमी को घटाया जावे उसके अधिकारों को ध्यान में रखा जावे।

(३) इसकी जानकारी गंगानगर जिले की समस्त नगरपालिकाओं से की जा रही है। सूचना प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रखवा दी जावेगी।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में भ्रष्टाचार के मामले

६९. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् ५८-५९ में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास कुल कितने भ्रष्टाचार के मामले आये ?

(२) ये मामले किस प्रकार के व क्या २ थे, इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रक्खें।

(३) इन मामलों में से कितनी जांच हुई, कितनों के चालान पेश किये गये और कितने मामलों में कितने व्यक्तियों को क्या क्या सज़ाएं दी गईं ?

१. वर्ष १९५८ में २२२ भ्रष्टाचार के मामले भ्रष्टाचार विरोधी विभाग द्वार पंजीबद्ध किये गये।

२. मामलों का वर्गीकरण निम्न प्रकार है :

अ. भारतीय दंड विधान संहिता की धारायें १६१,१६२ तथा १६५ :अ:के अन्तर्गत, ...५७

(ब) प्रिवेन्शन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा के अन्तर्गत ८

(स) भारतीय दंड विधान संहिता की धारायें ४२०, ४६८ आदि के अन्तर्गत १२

(द) भारतीय दंड विधान संहिता की धाराएं ४०८,४०९ आदि के अन्तर्गत........१४५

३. उक्त मामलों का निबटारा निम्न प्रकार हुआ :

(अ) कोर्ट में चालान प्रस्तुत किये गये २०

(ब) सजायें हुई................ .... ८

(स) मुक्त किये गये........ ....

(स) अनुसंधानान्तर्गत १८३

(घ) जिनमें एफ. आई. आर. दी गई........ ... .११

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक १८ फरवरी, ५६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
३१	४	ट्यत्र वेल्स.	ट्यूब्र वेल्स
४२	१२	**श्री भैरोंसिंह** : इस कमेटी की भिटिंग	श्री **भैरोंसिंह** : इस कमेटी की मीटिंग
५६	१२	में बताऊं	मैं बताऊं
७५	६	हुए हैं।	रखे हुए हैं।
७७	अन्तिसे ५-६	(उणियारा)	(उनियारा)
१०७	२५	भिलकर	मिलकर
१२५	२८	में	मैं
१३६	१६	आई हो।	आई होगी।
१४१	२२	बात ने लिये	बात के लिये
१४३	१८	Scrious	Serious
१५१	१०	श्री भैरोंसिंह	**श्री भैरोंसिह**
१५५	१	(श्री भैरोंसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
१५७	१५-१६	उन्हें माननीय भीलवाडा से	उन्हें भीलवाड़ा से
१५६	२	के थू रू	के थू
१६४	१८	सोचें	सोचें
१७०	८-६	उत्तर-को दायित्व निभाने के	उत्तर दायित्व निभाने के
१७४	२५	Depatment	Department
१७८	अन्तिम पंक्ति	सरी	सारी
१८१	१४	पंचायत विचाग	पंचायत विभाग
१८३	१	(श्री जनार्दनराय नागर)	(श्री उपाध्यक्ष)
१६३	अन्तिम से ६	उपाध्यक्ष महोदय	उपाध्यक्ष महोदय

१	२	३	४
१६४	१६	उपाध्यज्ञ महोदय	उपाध्यक्ष मोहदय
१६६	६ व १४	Hon' bal Member	Hon'ble Member
१६७	१६	सभत्रंध	सम्बन्ध
२०४	४	civilsation	civilisation
२०५	अन्तिम से ५	अर्थनीतिर्णो	अर्थनीतिज्ञों
२०६	२६	व सत्र	वे सत्र
२०७	१४	तारतम्य	तारतम्य
२०७	१८	डिट्रिस्क्ट	डिस्ट्रिक्ट
२११	२८	दौर आये। दौर था ऐसे अवसरों	दौर आया ऐसे अवसरों
२११	अन्तिम से ५	परिसामतः	परिणामत :
२१६	२४	रज्यपाल महोदय	राज्यपाल महोदय
२२१	२	हमार	हमारी
२२८	१६	फोरेन एक्सचेन्ज	फॉरिन एक्सचेन्ज